# वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

राष्ट्रीय महिला आयोग

# वार्षिक रिपोर्ट
# 2016-2017

राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया–110025
http://www.ncw.nic.in

# विषय सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्राक्कथन** | | (i-iii) |
| **अध्याय–1** | प्रस्तावना | 1-4 |
| **अध्याय–2** | शिकायत एवं अन्वेषण (सी एण्ड आई) प्रकोष्ठ | 5-14 |
| **अध्याय–3** | नीति, कार्यक्रम, मानीटरिंग, अनुसंधान एवं समन्वय (पीपीएमआरसी) प्रकोष्ठ | 15-52 |
| **अध्याय–4** | अनिवासी प्रकोष्ठ एन.आर.आई. भारतीय | 53-56 |
| **अध्याय–5** | पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ | 57-65 |
| **अध्याय–6** | विधिक प्रकोष्ठ | 66-76 |
| **अध्याय–7** | स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ | 77-82 |
| **अध्याय–8** | मीडिया और पहुंच कार्यक्रम | 83-84 |
| **अध्याय–9** | सूचना का अधिकार | 85-86 |
| **अध्याय–10** | सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग | 87 |
| **अध्याय–11** | सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग | 88 |
| **अध्याय–12** | लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया | 89 |
| **अध्याय–13** | वार्षिक लेखे 2016–17 | 91-136 |
| **अध्याय–14** | लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2016–17 | 137-144 |
| **अध्याय–15** | वर्ष 2016–17 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की मुख्य बातें और उन पर की गई कार्रवाई | 145-147 |

**उपाबंध**

| | | |
|---|---|---|
| **उपाबंध** -I | आयोग की संरचना | 150 |
| **उपाबंध** -II | आयोग का संगठनात्मक चार्ट | 151 |
| **उपाबंध** -III | आयोग द्वारा विचार किए गए विषय | 152-157 |

Rekha Sharma
Member & Chairperson (IC)
Tel. : 011-26944808
Fax : 011-26944771

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लाट नं. 21,जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया
एफ. सी. 33, नई दिल्ली-110 025
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
PLOT NO. 21, FC-33, JASOLA
INSTITUTIONAL AREA, NEW DELHI-110 025
Website : www.ncw.nic.in
E-mail : chairperson-ncw@nic.in
sharma.rekha@gov.in

# प्राक्कथन

राष्ट्रीय महिला आयोग अब पच्चीस वर्षों से अस्तित्व में हैं। यह आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) के 31 जनवरी, 1992 से लागू होने के बाद ही क्रियान्वित हो गया था। वार्षिकोत्सव हमें रूककर आकलन और चिन्तन करने का मौका प्रदान करते हैं कि हम क्या कर पाए और क्या नहीं कर सके। इस संदर्भ में आयोग की 25वीं जयंती हमें आत्मनिरीक्षण करने, सुधार करने, आयोग के लिए नए आयाम निर्धारित करने और स्वयं को उस लक्ष्य के लिए जो आयोग के अस्तित्व का मूल उद्देश्य है, पुनः समर्पित करने का अवसर प्रदान करती है।

पच्चीस वर्ष के सफर में कई सकारात्मकताएं है साथ ही साथ यह महिलाओं की स्थिति में सुधार करने और उन्हें अधिक गरिमामय जीवनयापन करने के लिए समर्थ बनाने और अवसरों की प्राप्ति में व्यवस्थागत और संरचनात्मक कमियों और बाधाओं को भी उजागर करता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि इस अवधि के दौरान आयोग, सरकार के भीतर और सरकार के बाहर मुख्य साझेदारों तथा अन्तरराष्ट्रीय निकायों के साथ भागीदारी विकसित करने में समर्थ रहा है। कुल मिलाकर, इन 25 वर्षों के दौरान आयोग महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए, स्वयं को सबसे आगे स्थापित कर पाने में भी सफल रहा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग महिलाओं के संवैधानिक और विधिक अधिकारों तथा हकदारियों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए अधिदेश के निबंधनों के अनुसार ऐसा वातावरण सृजित करने के लिए कार्य करता रहा है जिसमें जीवन के सभी कार्यक्षेत्रों में महिलाएं अपनी पूर्ण सक्षमता की अनुभूति कर सके और प्रभावी रूप से राष्ट्र निर्माण में योगदान भी कर सके। आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में परिभाषित अपने अधिदेश के अनुसरण में, केवल एक छोटा ढांचा स्थापित किया है जिसमें मुख्य रूप से संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी हैं। इस छोटे ढांचे को लेकर आयोग ने केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य महिला आयोगों, राज्य सरकार के विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र संगठन के विभिन्न अभिकरणों के साथ सक्रिय सहयोग से अपने अधिदेश को चरितार्थ करने का प्रयास किया।

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग ने विभिन्न संगठनों के सहयोग से आयोजित अनेक सेमिनारों, कार्यशालाओं, कानूनी जागरुकता कार्यक्रमों, लिंग (जेंडर) संवेदीकरण कार्यक्रमों, आदि के माध्यम से सभी साझेदारों को ज्ञान और जानकारी सुलभ कराने के अपने क्रियाकलापों को जारी रखा। आयोग ने महिला कल्याण से संबंधित कार्य को और आगे बढ़ाने और नई विचार शैली विकसित करने के उद्देश्य से संबंधित विषयों पर कई अनुसंधान अध्ययन भी प्रायोजित किए। आयोग ने विधि प्रर्वतन अभिकरणों के लिए, महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए और ऐसे विषयों पर सावधानीपूर्वक कार्य करने और उन्हें संवेदनग्राही बनाने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए। आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण की स्थिति पर भी एक अध्ययन कराया जो अब पूरा हो गया है और अब सभी संबंधित अभिकरणों के साथ इसकी सिफारिशों का अनुशीलन किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई हो और अपेक्षित परिणाम को पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा सके। आयोग ने पंचायत स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक मॉडयूल विकसित किया है और राजस्थान में इससे संबंधित मार्गदर्शी परियोजना पूरी हो गई है। तत्पश्चात, प्रारंभिक परियोजना भी झारखंड के तीन जिलों में शुरू कर दी गई है। आयोग की पहुंच को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों/विधि विभागों/महाविद्यालयों और राष्ट्रीय, राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का सहयोग भी लिया गया।

आयोग को व्यथित महिलाओं से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों का संबंध ऐसी समस्याओं से होता है जिन्हें महिलाएं प्रतिदिन जीवन में अपने घर पर, कार्यस्थल पर और अन्य स्थानों पर झेलती हैं और इसके परिणामस्वरूप वे गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाती है। आयोग ने शिकायतों को दर्ज करने, उनकी प्रक्रिया और समाधान के लिए ऑनलाइन पद्धति विकसित की है जो पूर्ण रूप से क्रियाशील है। आयोग, राज्यों के सभी संबंधित प्राधिकारियों और लोक तथा पब्लिक सेक्टर में नियोजकों के साथ उन सभी मामलों में, जहां महिलाओं के अधिकारों का अतिलंधन हुआ हो, सक्रिय रूप से उचित कार्यवाही करने की कोशिश करता रहा है। यह एक हर्ष का विषय है कि सभी संबंधित प्राधिकारियों के सहयोग से आयोग इतनी बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतों का निवारण करने में समर्थ रहा है। आयोग द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार के विनिर्दिष्ट मामलों का अन्वेषण करने के लिए कई क्षेत्रों के दौरे किए गए और जांच की गई।

आयोग बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं जिनमें महिलाओं के अधिकारों का वंचन और उनके विरूद्ध जघन्य अपराध भी शामिल हैं, का संज्ञान स्वप्ररेणा से भी ले रहा है। आयोग ने सभी मामलों पर शीघ्रतापूर्वक अन्वेषण कराया जिसके परिणामस्वरूप अपराधियों के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किए और अभियोजन किया। आयोग अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित विषयों को हल करने में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। आयोग ने विदेश मंत्रालय, विदेश में हमारे मिशन, भारत में और अन्य देशों के दूतावास, राज्य पुलिस प्राधिकारियों आदि

के समन्वय से इस प्रकार के कई मामलों को हल किया और अन्य मामलों में अन्वेषण में तीव्रता लाई।

आयोग ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. और डी.), गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं भी आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं में महिलाओं से संबंधित अपराधों का अन्वेषण करने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। महिला अंतवासियों की दशा का परीक्षण करने के लिए, आयोग के सदस्यों ने विभिन्न अभिरक्षा संस्थाओं जैसे जेल, सुधारगृह, आश्रयगृह आदि का दौरा किया और जहां कहीं आवश्यक समझा गया, संबंधित प्राधिकारियों को उपचारात्मक उपायों को अपनाने की सिफारिश की। राज्य महिला आयोगों की कार्यपद्धति में सुधार किए जाने को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के प्रतिनिधियों के साथ कई संवाद बैठकें भी आयोजित की गई।

टाटा समाज विज्ञान संस्थान और दिल्ली पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसरण में ''हिंसा मुक्त घर–एक महिला का अधिकार'' परियोजना के विस्तार के लिए पुलिस थानों के भीतर महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ (सी.ए.डब्ल्यू. सेल) में सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह कार्य बिना किसी बाधा के चल रहा है। इन क्रियाकलापों को कई अन्य जिलों में भी प्रारंभिक परियोजना के तौर पर समुचित बदलाव के बाद दोहराया जा रहा है। समय के सम्यक् अनुक्रम में इन प्रक्रियाओं में सुधार करके और भी राज्यों में पुनरावृत्ति किए जाने का प्रस्ताव है।

मैं इस अवसर पर आयोग की ओर से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य महिला आयोगों, मेरे सहयोगियों, आयोग के कर्मचारीवृन्दों जिनके सामूहिक प्रयासों और प्रतिबद्धता के बिना हम अपने लक्ष्य और सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते थे, के द्वारा दिए गए समर्थन के लिए, विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस अवसर पर अपने सभी भागीदारों को गांधीजी के इस विचार को स्मरण कराना चाहती हूँ कि महिलाएं नैतिक शक्ति के आधार पर पुरूषों से बहुत अधिक उत्कृष्ट हैं, उनके पास बहुत अधिक अंर्तदृष्टि हैं, वे बहुत अधिक त्याग करने वाली, अत्यधिक धैर्यवान और साहसी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में सम्पूर्ण मानवता के फायदे के लिए महिलाओं की पूर्ण सक्षमताओं को और अधिक उन्मुक्त करने के संबंध में कार्य करने की आवश्यकता है।

**(रेखा शर्मा)**
**सदस्य और अध्यक्ष (प्रभारी)**

अध्याय-1

# प्रस्तावना

1.1 सभी मनुष्यों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों को भारत के संविधान के विभिन्न भागों में विस्तारपूर्वक परिभाषित और स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है। संविधान की उद्देशिका से शुरु करके तत्वज्ञान के रूप में – सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने की घोषणा स्पष्ट रूप से की गई है। मूल अधिकारों की गारंटी और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का मार्गदर्शन इसे और मजबूत बनाता है। संविधान के विभिन्न उपबंध मिलकर देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भरपूर क्षमता की अनुभूति के लिए सशक्त बनाते हैं। इसमें ऐसा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक वातावरण तैयार करने का भी उपबंध किया गया है, जो उनकी क्षमता की ऐसी अनुभूति में सहायक हो।

1.2 लैंगिक समानता और समान अवसर की उपलब्धता संविधान की अभिन्न और प्रमुख मूलभूत विशेषताएं हैं, जो भेदभाव, जिसके अंतर्गत लिंग के कारण भेदभाव भी शामिल है, को नकारती है। संविधान में दी गई गारंटी के होते हुए भी, अन्य देशों की तरह भारत में भी महिलाओं के साथ असमान व्यवहार होता रहा है। किसी भी देश की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की होती है। देश के विकास के लिए सभी आर्थिक क्रियाकलापों में पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। स्वामी विवेकानन्द ने इसे बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है, "जैसे कोई पक्षी केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार कोई भी राष्ट्र महिलाओं को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएगा।"

1.3 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और महिलाओं से संबंधित उत्तरवर्ती समितियों और आयोगों, जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1974 में स्थापित महिलाओं की स्थिति से संबंधित समिति भी है, की सिफारिशों के आधार पर, संसद् द्वारा "राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20)" अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम 31 जनवरी, 1992 को प्रवृत्त हुआ। संक्षेप में, आयोग निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी है:–

(i) महिलाओं के लिए उपबंधित सांविधानिक और विधिक रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन और अनुवीक्षण करना;

(ii) विद्यमान विधानों की समीक्षा करना और जहां आवश्यक हो, संशोधनों का सुझाव देना;

(iii) महिला अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों के बारे में शिकायतों की जांच पड़ताल और स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिससे निःसहाय महिलाओं को कानूनी अथवा अन्य सहायता प्रदान की जा सके;

(iv) महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियमित सभी विधानों के समुचित कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना, जिससे महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता और राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके; और

(v) संवर्धन और शैक्षिक अनुसंधान कराना और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना/सलाह देना।

1.4 आयोग के कृत्यों का विस्तृत विवरण राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 में दिया गया है। इस धारा में आयोग के 14 भिन्न–भिन्न कृत्यों की सूची दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य–सचिव शामिल है। आयोग की संरचना उपाबंध–I पर दी गई है। अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम कार्यावधि तीन वर्ष तक हो सकती है। वर्तमान में, आयोग की सहायता के लिए एक छोटा सचिवालय और निम्नलिखित प्रकोष्ठ है:

(i) शिकायत और अन्वेषण (सी एंड आई) प्रकोष्ठ;

(ii) अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) प्रकोष्ठ;

(iii) नीति, कार्यक्रम, मानिटरिंग, अनुसंधान और समन्वय (पी.पी.एम.आर.सी.) प्रकोष्ठ;

(iv) पूर्वोत्तर (एन.ई.) प्रकोष्ठ;

(v) विधिक प्रकोष्ठ;

(vi) सूचना का अधिकार(आर.टी.आई.) प्रकोष्ठ;

(vii) स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ; और

(viii) लोक संपर्क(पी.आर.) प्रकोष्ठ;

1.5 प्रत्येक प्रकोष्ठ में युवा वृत्तिक रखे गए हैं, जिनमें से अधिकांश संविदागत आधार पर नियोजित हैं। आयोग का संगठनात्मक चार्ट उपाबंध–II में दिया गया है। आयोग की बैठकों और उसमें लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण उपाबंध–III में दिया गया है।

1.6 आयोग, अपने आप और अन्य निकायों की सहभागिता से महिलाओं के लिए सुसंगत मुद्दों के संबंध में अध्ययन कराता है, जिसमें अनुसंधान भी शामिल है। आयोग महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए योजनागत प्रक्रिया में सहभागिता करता है और सलाह देता है और इन क्षेत्रों में की गई प्रगति का मूल्यांकन करता है। वह,

कारागारों, रिमांड गृहों/आश्रय गृहों आदि स्थानों का निरीक्षण भी करता है और ऐसे निरीक्षणों और दौरों के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मामलों को उठाता है।

1.7 आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उनके सशक्तीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। आयोग के सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और प्रायोगिक आधार पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता–निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रांची और हैदराबाद में 22 और 24 सितम्बर, 2016 को बैठकें आयोजित कीं। यह कार्यक्रम महिला प्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं में सशक्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में उनकी भागीदारी सुकर बनाने की दृष्टि से आरंभ किया गया। आयोग के सदस्यों और अधिकारियों ने आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न सेमीनारों, कार्यशालाओं और कानूनी जागरुकता कार्यक्रमों आदि में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इनमें से अनेक क्रियाकलापों का आयोजन राज्य महिला आयोगों, सरकारी विभागों और अन्य संगठनों के सहयोग से किया गया।

1.8 विभिन्न राज्यों में महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित मामलों का अन्वेषण करने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्षमता–निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. और डी.) के सहयोग से आयोग ने वित्तीय वर्ष के दौरान भिन्न–भिन्न स्थानों पर महिला पुलिस अधिकारियों के लिए अनेक तीन–दिवसीय क्षमता–निर्माण और प्रशिक्षण कार्यशालाओं का संचालन किया। इन कार्यशालाओं में महिलाओं से संबंधित अपराधों का अन्वेषण करने के लिए उत्तरदायी अनेक पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया।

1.9 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे की देखरेख का उत्तरदायित्व माता और पिता दोनों को मिलकर उठाने की आवश्यकता है, आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बाल देखरेख छुट्टी मंजूर करने के लिए लिंग–निरपेक्ष दृष्टिकोण के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए ऐसी छुट्टी के विषय के पुनर्विलोकन के संबंध में 3 मार्च, 2017 को एक परामर्श बैठक का आयोजन किया। विभिन्न मंत्रालयों, जिनमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, वित्त मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल और दूरसंचार भी सम्मलित हैं, के प्रतिनिधियों, विधि विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने इस परामर्श में भाग लिया।

1.10 आयोग ने, अपने अधिदेश के अनुसार, देश के विभिन्न भागों से प्राप्त महिलाओं की बहुत सारी शिकायतों से संबंधित मामलों का अन्वेषण किया है और देश भर में संबंधित प्राधिकारियों से उन शिकायतों पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए संपर्क करके अनेक मामलों में शिकायतों का निपटारा कराने में सहायता की है। आयोग ने अनेक मामलों में, विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतों और विधियों के अकार्यान्वयन के आधार पर और पीड़ितों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्वप्रेरणा से संज्ञान भी लिया। आयोग संबंधित प्राधिकारियों से ऐसे मामलों का अनुसरण करता है और उनसे की गई कार्रवाई की रिपोर्टें मंगाता है। गंभीर मामलों में, आयोग ने आयोग के सदस्यों की अध्यक्षता में जांच समितियों का गठन भी किया है। आयोग ने, आयोग में प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निपटान के लिए देश के विभिन्न भागों में एक प्रायोगिक "महिला जनसुनवाई" कार्यक्रम आरंभ किया है।

1.11 ऐसी जनसुनवाइयों के दौरान, पुलिस और जनता की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक थी। पुलिस जनसुनवाइयों में, सुने गए 80 प्रतिशत मामले तय कर दिए गए या बन्द कर दिए गए या उनका अनुपालन किया गया। प्रथम जनसुनवाई का आयोजन वाराणसी में किया गया था जहां 111 मामले लिए गए थे और 91 मामलों का निपटारा कर दिया गया। महिला जनसुनवाई में, सभी 28 पक्षकारों के मामले तय/बन्द कर दिए गए थे/उनका अनुपालन किया गया। इन दौरों से देश के विभिन्न भागों में महिलाओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं के बारे में प्रथमदृष्टया जानकारी एकत्र करने में भी सहायता मिली। इससे संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से उपचारात्मक उपायों को अंतिम रूप देने में भी सहायता प्राप्त हुई।

1.12 राष्ट्रीय महिला आयोग ने, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में आयोग के प्रशासन और अन्य विषयों में स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत प्रबंध किए हैं। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक जानकारी को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना और सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदनों और अपीलों पर कार्यवाही करने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना करना भी है।

******

अध्याय-2

# शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ

2.1 महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने और उनके अधिकारों के रक्षोपाय के लिए अधिनियमित कानूनों के अक्रियान्वयन से संबंधित परिवेदना और शिकायतों का निवारण करना आयोग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से एक है। आयोग के अन्य अधिदेशों की तुलना में, जिनका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और हकदारियों का, उनकी क्षमताओं को पूर्ण रूप से चरितार्थ कराने के लिए एक वातावरण सृजित करना है, यह क्रियाकलाप महिला अधिकार वंचना सम्बन्धी व्यक्तिगत समस्याओं व सरोकारो पर कार्रवाई करता है। कानून, अधिकार, हकदारी, योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं आदि तभी अच्छी है, जब इनका क्रियान्वयन बेहतर हो। इसलिए संबंधित व्यक्ति की चिन्ता को दूर करना वास्तव में संवैधानिक और जमीनी स्तर पर महिलाओं के विधिक अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करता है।

2.2 इस उपबंध का अनुपालन करने के लिए आयोग ने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने/कानूनों का अक्रियान्वयन आदि से संबंधित पूरे देश से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए पूर्णांग शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ स्थापित किया है। ये शिकायतें मौखिक रूप से, लिखित में या इसकी वेबसाइट अर्थात् www.ncw.nic.in के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त आयोग महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कारित किए जाने से संबंधित शिकायतों का स्व–प्रेरणा से संज्ञान भी लेता है। आयोग इस प्रकोष्ठ में नियुक्त वृत्तिकों की सेवाओं का उपयोग करता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों जैसे, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सक, विधिक परामर्शियों आदि की सेवाओं को पारिश्रमिक पर लेता है।

2.3 यह प्रकोष्ठ, शिकायतों पर कार्यवाही/प्रक्रिया करते समय राज्य पुलिस प्राधिकारियों, राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि से सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे तालमेल बनाए रखता है। जहां आवश्यकता होती है वहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आदि के साथ क्रियाकलापों का समन्वय भी करता है।

2.4 आयोग के अनुभव के आधार पर व्यापक रूप से शिकायतें निम्नलिखित वर्गों के अधीन की जाती है:

(i) पुलिस की उदासीनता/निष्क्रियता की शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को मामले का समय पर और उचित अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित किया जाता

है। उनसे शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) मंगायी जाती है और उसकी जांच पड़ताल की जाती है। आयोग वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ मामले के संबंध में फोन पर या लिखित में संपर्क बनाए रखता है और व्यक्तिगत शिकायतों की प्रगति को तब तक मानीटर करता है, जब तक उनका तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकलता है;

(ii) पारिवारिक/वैवाहिक विवादों को, जहां तक संभव हो, परामर्श के माध्यम से हल किया जाता है। कुछ मामलों में आयोग पक्षकारों के काउन्सेल के माध्यम से कलह का हल करने का प्रयास करता है। बाहर के दम्पतियों/परिवारों की दशा में स्थानीय प्राधिकारियों/राज्य महिला आयोगों/एसएलएसए/डीएलएसए/संरक्षण अधिकारियों से सहायता ली जाती है। कई मामलों में जन सुनवाई के दौरान विचार किया जाता है।

(iii) गंभीर अपराधों की दशा में आयोग जांच समिति गठित करता है जो घटनास्थल पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्षियों की परीक्षा करती है, साक्ष्य संगृहीत करती है और आयोग को सिफारिशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसे अन्वेषण से हिंसा और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को तुरन्त राहत और न्याय प्रदान करने में सहायता मिलती है। आयोग जांच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करता है और आरोपपत्र फाइल होने तक राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के साथ अनुकरण करता रहता है।

(iv) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की बाबत, संबंधित संगठन/विभाग/प्राधिकरण को ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार आन्तरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करने की सलाह दी जाती है। ऐसे सभी संगठनों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे आईसीसी की रिपोर्ट की प्रति आयोग को उसके परिशीलन के लिए प्रस्तुत करें। आयोग मीडिया के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय कदम भी उठाता है।

(v) ऐसी शिकायतें जिनका प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंध नहीं हैं उन्हें क्रमशः राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग तथा तत्संबंधी राज्य आयोगों को और उनके राज्य के प्रतिस्थानी को समुचित कार्रवाई आरम्भ करने के लिए प्रेषित की जाती हैं।

## ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली

2.5 जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का संबंध है अभी तक आयोग इस क्षेत्र में पथ प्रदर्शक रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ncw.nic.in के माध्यम से शिकायतों के शीघ्र और सरल पंजीकरण के लिए वर्ष 2005 में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया। इस सॉफ्टवेयर को निरन्तर रूप से अपग्रेड किया जा रहा है जिससे कि वह परिवर्तित हो रही आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उपयोक्ता अनुकुल हो। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप शिकायतों के पंजीकरण और पावती जारी करने में तेजी आई है। कोई भी भारत/विश्व के किसी भी भूभाग से उक्त साइट पर लॉग इन करके अपनी शिकायत का पंजीकरण करा सकता/सकती है। उक्त शिकायत को पंजीकरण संख्या दी जाती है। तत्पश्चात् उस शिकायत का निपटान भी डाक द्वारा/दस्ती प्राप्त होने वाली शिकायतों आदि की तरह ही किया जाता है। यह प्रणाली शिकायतकर्ता को मामले की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर शिकायत के पंजीकरण के समय उन्हें दी गई विशिष्ट प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके मात्र लॉग इन करके सक्षम बनाती है।

2.6 विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से और अन्तर्ग्रस्त गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रोटोकाल की योजना बनाई गई है। इसके भागरूप, इसने शिकायतों को ''गैर–अधिदेश'' और ''अधिदेश'' वर्गों में वर्गीकृत किया है।

2.7 सामान्यतः निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों/मामलों को ग्रहण नहीं किया जाता है, तथापि, ऐसे मामलों में जिनमें आयोग अधिकारों का अतिलंघन पाता है, उन मामलों को विधि और प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है।

(क) अपठनीय या अस्पष्ट, अनाम या छदम नाम वाली शिकायतें;

(ख) जब उठाया गया मुद्दा पक्षकारों के बीच संविदात्मक अधिकारों, बाध्यताओं आदि जैसे सिविल विवादों से संबंधित हो;

(ग) जब उठाए गए विवाद्यक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर सेवा संबंधी मामलों से जुड़े हों;

(घ) जब उठाया गया मुद्दा महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर श्रम संबंधी/औद्योगिक मुद्दे से जुड़ा हो;

(ङ) जब मामला न्यायाधीन हो;

(च) आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो;

(छ) जब आयोग ने मामले में विनिश्चय पहले ही कर दिया हो;

(ज) जब मामला किसी अन्य आधार पर आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हो;

(झ) जब उठाया गया विवाद्यक संपत्ति विवाद से संबंधित हो।

2.8 इस समय आयोग में प्राप्त और पंजीकृत होने वाली अधिदेश शिकायतों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में पंजीकृत किया जाता है:–

1. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा:–
   (i) बलात्संग का प्रयास;
   (ii) बलात्संग;
   (iii) लैंगिक हमला; और
   (iv) तेजाब हमला;
2. लिंग चयनित गर्भपात मादा भ्रूण हत्या/गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच;
3. यौन उत्पीड़न जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भी शामिल है;
4. महिला अधिकारों के प्रति अपमानजनक परंपरागत प्रथाए अर्थात् सती प्रथा, देवदासी प्रथा, चुड़ैल हत्या;
5. स्त्री अशिष्ट रूपण;
6. दहेज उत्पीड़न/दहेज हत्या;
7. महिलाओं का दुर्व्यापार/वेश्यावृत्ति;
8. महिलाओं की लज्जा भंग करना;
9. पीछा करना/रतिदर्शन;
10. महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध;
11. द्विविवाह/बहुविवाह;
12. विवाह में विकल्प देने का अधिकार;
13. सम्मान के साथ जीना जिसमें,
    (i) घरेलू हिंसा;

(ii) क्रूरता;

(iii) उत्पीड़न, भी शामिल है;

14. विवाह–विच्छेद की दशा में बच्चों की अभिरक्षा का महिलाओं का अधिकार;

15. शिक्षा एवं कार्य का समान अधिकार सहित लिंग (जेंडर) भेदभाव;

16. महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता;

17. महिलाओं की निजता और इससे संबंधित अधिकार;

18. महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता;

19. महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार;

2.9 वर्ष 2016–17 के दौरान अधिदेश के अन्तर्गत लगभग 17,290 शिकायतों/मामलों को शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ द्वारा पंजीकृत किया गया था। अप्रैल 2016–मार्च 2017 के दौरान आयोग द्वारा जिन शिकायतों को पंजीकृत किया गया था उनका प्रकृति–वार और राज्य–वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

प्रकृति–वार शिकायतों के अभिलेखों का विश्लेषण करने पर यह पता चला है कि अधिकतर शिकायतों का संबंध गरिमा के साथ जीवनयापन के अधिकार और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता है।

शिकायतों का वर्ग–वार वर्गीकरण जिसमें ऐसी शिकायतें नहीं हैं जो अधिदेश/पृष्ठांकन/किसी अनाम व्यक्ति द्वारा की गई हो।

**वर्ष 2016–2017 के दौरान प्राप्त शिकायतों की वर्ग–वार सूची**

| क्रम सं. | प्रकृति | कुल |
|---|---|---|
| 1. | द्विविवाह/बहुविवाह | 163 |
| 2. | महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध | 325 |
| 3. | दहेज उत्पीड़न/दहेज हत्या | 2255 |
| 4. | महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता | 185 |
| 5. | शिक्षा एवं कार्य का समान अधिकार सहित लिंग (जेंडर) भेदभाव | 60 |
| 6. | स्त्री अशिष्ट रूपण | 120 |
| 7. | महिलाओं की लज्जा भंग करना | 1125 |
| 8. | महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता | 4710 |
| 9. | महिलाओं की निजता और इससे संबंधित अधिकार | 148 |
| 10. | महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार | 91 |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | विवाह में विकल्प देने का अधिकार | 434 |
| 12. | गरिमा के साथ जीवनयापन का अधिकार | 5504 |
| 13. | लिंग चयनित गर्भपात/मादा भ्रूण हत्या/गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच | 38 |
| 14. | लैंगिक उत्पीड़न जिसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न भी शामिल है | 522 |
| 15. | पीछा करना/रतिदर्शन | 130 |
| 16. | महिला अधिकारों के प्रति अपमानजनक परंपरागत प्रथाए अर्थात् सती प्रथा, देवदासी प्रथा, चुड़ैल हत्या | 13 |
| 17. | महिलाओं का दुर्व्यापार/वेश्यावृत्ति | 124 |
| 18. | महिलाओं के विरूद्ध हिंसा | 1293 |
| 19. | विवाह–विच्छेद की दशा में बच्चों की अभिरक्षा का महिलाओं का अधिकार | 50 |
| | कुल | 17290 |

**वर्ग-वार शिकायतों का आरेखी प्रस्तुतीकरण**

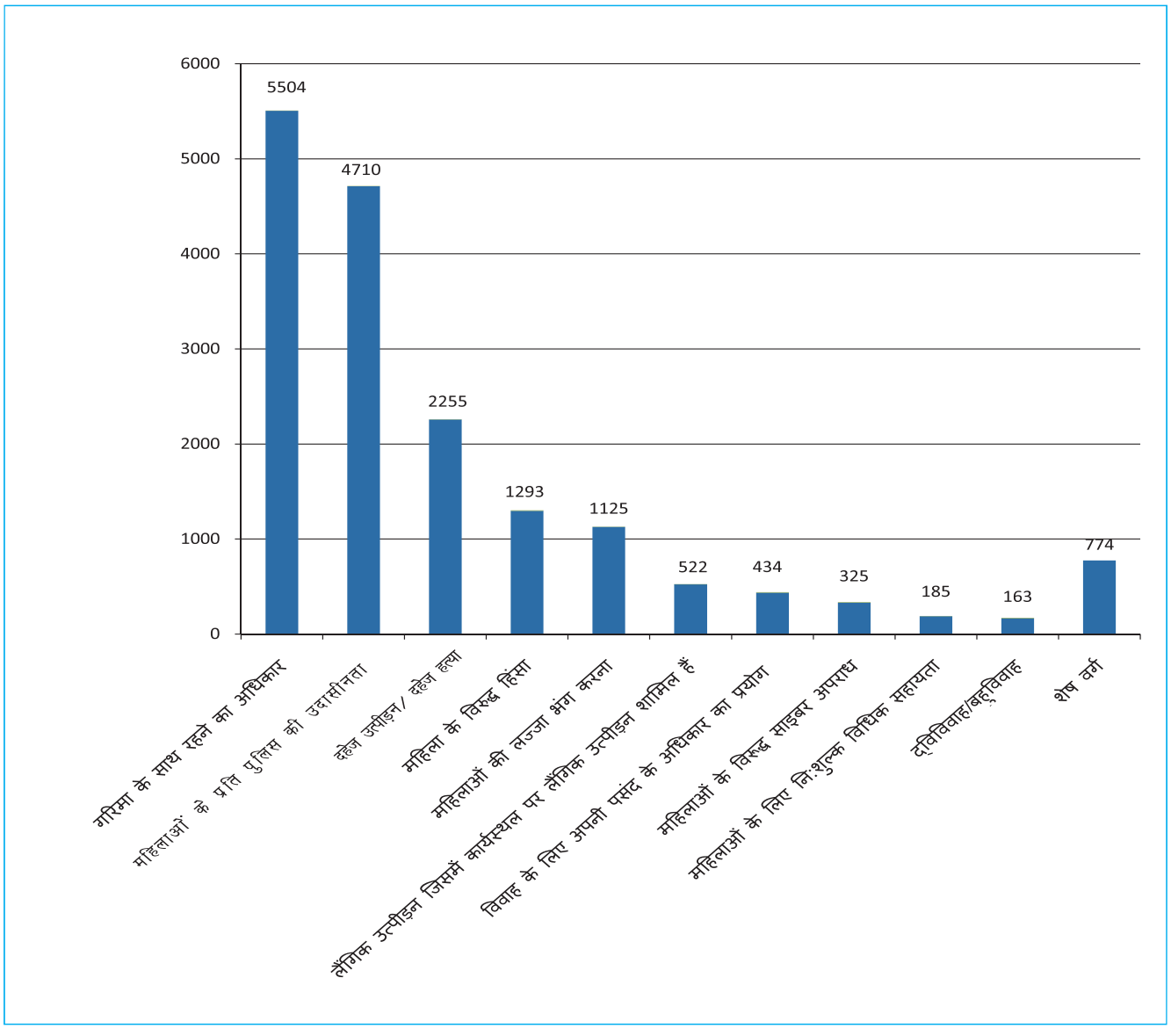

**टिप्पणः इस सारणी में प्रकीर्ण/गैर-अधिदेश वर्गों की शिकायतें शामिल नहीं हैं।**

2.10 प्राप्त हुई शिकायतों के डाटा से यह पता चला है कि उत्तरी राज्यों से सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिदेश वर्ग के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों की राज्य–वार सूची निम्नलिखित सारणी और खड़ी लकीरों की आरेखी में निम्नलिखित हैः

**वर्ष 2016-2017 के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार सूची**

| क्रम सं. | राज्य | कुल |
|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप | 2 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 107 |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | 1 |
| 4. | असम | 41 |
| 5. | बिहार | 572 |
| 6. | चंडीगढ़ | 42 |
| 7. | छत्तीसगढ़, | 74 |
| 8. | दादरा और नागर हवेली | 4 |
| 9. | दमन और दीव | 1 |
| 10. | दिल्ली | 1830 |
| 11. | गोवा | 5 |
| 12. | गुजरात | 108 |
| 13. | हरियाणा | 994 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 31 |
| 15. | जम्मू–कश्मीर | 35 |
| 16. | झारखंड | 186 |
| 17. | कर्नाटक | 256 |
| 18. | केरल | 110 |
| 19. | लक्षद्वीप | 1 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 498 |
| 21. | महाराष्ट्र | 569 |
| 22. | मणिपुर | 1 |
| 23. | मिजोरम | 1 |
| 24. | नागालैंड | 1 |
| 25. | ओडिशा | 107 |
| 26. | पुडुचेरी | 18 |
| 27. | पंजाब | 283 |
| 28. | राजस्थान | 696 |

| | | |
|---|---|---|
| 29. | सिक्किम | 3 |
| 30. | तमिलनाडु | 334 |
| 31. | तेलंगाना | 127 |
| 32. | त्रिपुरा | 1 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 9756 |
| 34. | उत्तराखंड | 237 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 258 |
| | कुल | 17290 |

**शिकायतों का राज्य-वार आरेखी प्रस्तुतीकरण**

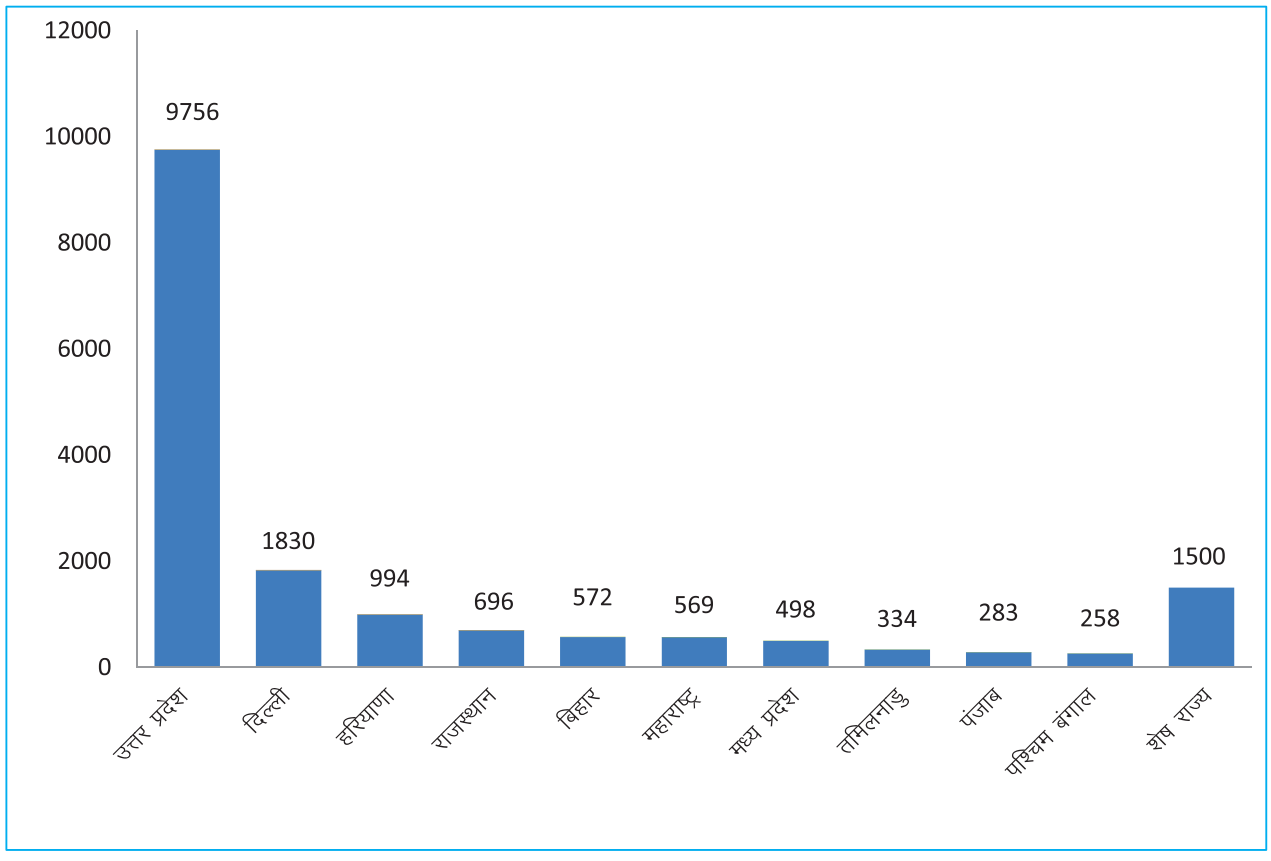


2.11 आयोग विभिन्न राज्यों में तेजाब हमले से संबंधित मामलों का भी अनुकरण कर रहा है और तुरन्त राहत प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुरन्त ऐसे मामलों का अन्वेषण किया जाए तथा ऐसी कार्रवाई की जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उचित आरोपों के लिए अभियुक्त का अभियोजन किया गया है, और इस बाबत संबंधित प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए।

## आयोग द्वारा कुछ सफल हस्तक्षेप

2.12 तारीख 18 जनवरी, 2017 को हुई जघन्य घटना की बाबत की गई, शिकायत में

जिसमें नई दिल्ली में रहने वाली लड़की पर निर्दयतापूर्वक 12 बार चाकू से वार किए गए जिसके परिणामस्वरूप उसका गुर्दा और अन्य अंग क्षतिग्रस्त हुए थे। तारीख 30 जनवरी, 2017 को कारित की गई क्षतियों की वजह से लड़की की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात् दिल्ली के पुलिस आयुक्त के समक्ष इस मामले को उठाया गया और आयुक्त के हस्तक्षेप करने पर एक उपयुक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की गई और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

2.13 पश्चिम बंगाल राज्य में अभिकथित सामूहिक बलात्संग की शिकायत की जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच समिति का गठन किया। जांच समिति ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित महिला और संबंधित पुलिस कर्मचारियों से पूछताछ की। जांच दल ने यह पाया कि नकाबपोश 200 बदमाशों का एक समूह ने पिस्तोल और तलवारों से लैस होकर एक धार्मिक जुलुस का विरोध करने पर स्थानीय सभी मकानों पर हमला किया। बदमाशों ने महिलाओं को उनके मकानों से बाहर घसीटा और यह अभिकथन किया गया है कि इस क्षेत्र की अधिकतर महिलाओं पर लैंगिक रूप से हमला किया गया था और एक शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि चार बदमाशों ने उसके साथ बलात्संग किया था। जांच समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ साझा किया गया और राज्य सरकार के समक्ष मामले को उठाया गया।

2.14 एक शिकायत में यह अभिकथन किया गया कि शिकायतकर्ता का भाई उसे मानसिक रूप अयोग्य घोषित करके पारिवारिक कारबार में हिस्से से वंचित करना चाहता है। आयोग ने इस मामले को पुलिस और अन्य प्राधिकारियों के सामने उठाया और उसकी चिकित्सीय परीक्षा कराई। शिकायतकर्ता का प्रथम और द्वितीय परीक्षण करने के पश्चात् चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट में यह उपदर्शित किया गया कि शिकायतकर्ता मानसिक उन्माद मनोविकार से पीड़ित है किन्तु वह दिन प्रतिदिन के कार्य कर सकती है। आयोग, राज्य स्वास्थ्य विभाग और जिला मजिस्ट्रेट के प्रयासों के कारण इस महिला को संपत्ति में उसके अधिकार पुनःस्थापित हुए और उसका उचित उपचार भी हुआ।

2.15 आयोग ने कार्यस्थल पर लैंगिक हमले से संबंधित शिकायतों को भी ग्रहण किया और गर्भवती होने के आधार पर सेवा समाप्त की गई। पश्चात्वर्ती मामले में आयोग के हस्तक्षेप करने के पश्चात् शिकायतकर्ता को पुनःबहाल किया गया और उसे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अनुसार छुट्टियां और फायदे भी दिए गए।

2.16 आयोग ने बढ़ती हुई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, अगस्त 2016 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य/जिला पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से ''महिला जन सुनवाई'' प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग ने सफलतापूर्वक देश के विभिन्न जिलों में 23 महिला जन सुनवाई आयोजित की। आयोग

के अध्यक्ष और सदस्यों ने मामलों का घटनास्थल पर जन सुनवाई आयोजित करके बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया।

**महिला जन सुनवाइयों में निपटाए गए मामले**

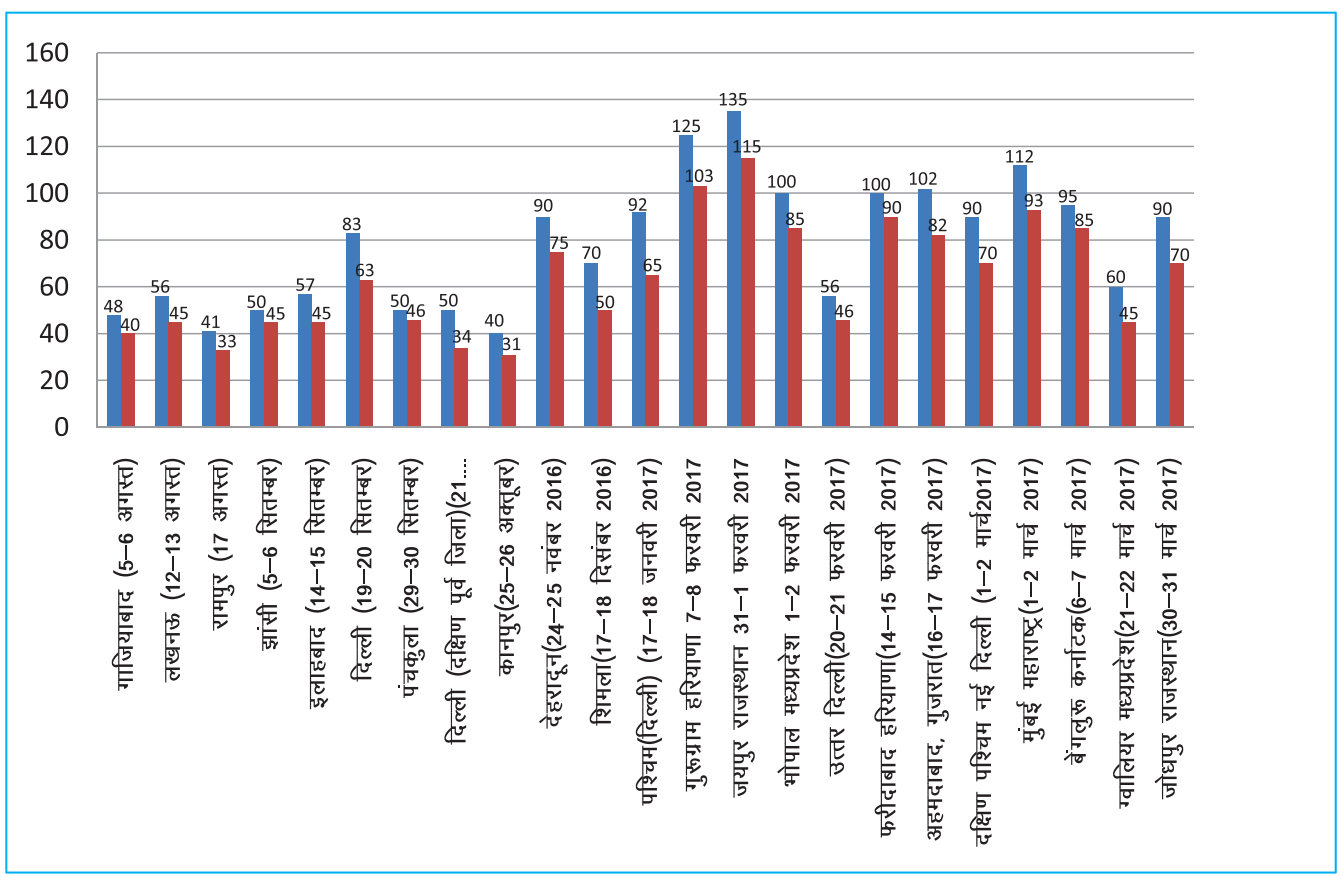


**********

अध्याय-3

# नीति कार्यक्रम, निगरानी, अनुसंधान एवं समन्वय प्रकोष्ठ

3.1 गरीबी और अभाव को कम करने, चिरस्थायी विकास का संवर्धन करने, सुशासन के ऐसे ढांचे का निर्माण करने, जो इष्टतम समाधान प्रदान करने में समर्थ हो, और समस्त मनुष्यों की गरिमा सुनिश्चित करने संबंधी चुनौतियों में समाज के सभी वर्गों, महिलाओं और पुरुषों को अधिक मात्रा में नियोजित करना आवश्यक होता है। अतः, मनुष्य जाति के पूर्ण सामर्थ्य की अनुभूति केवल तभी संभव है यदि सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापों में महिलाओं के इष्टतम नियोजन के लिए सहायक स्थितियां सुनिश्चित की जा सकती हैं। नीति कार्यक्रम, निगरानी अनुसंधान एवं समन्वय प्रकोष्ठ इन क्रियाकलापों के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है।

3.2 उपर्युक्त उद्देश्य के अनुसरण में, राष्ट्रीय महिला आयोग को, अन्य बातों के साथ–साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सम्यक् प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के तरीके विकसित करने और उन कारकों की पहचान करने के लिए, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में उनकी अभिवृद्धि और प्रभावी भागीदारी में अड़चन डालते हैं, संवर्धनात्मक और शैक्षिक अनुसंधान करने का अधिदेश दिया गया है। तदनुसार, आयोग महिलाओं के कठिन श्रम और उपजीविका–जन्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण करने और लैंगिक समानता और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करने हेतु अनेक क्रियाकलापों का, जिसमें संगोष्ठी, कार्यशाला और अनुसंधान अध्ययन भी हैं, आयोजन कर रहा है। आयोग विशेष मुद्दों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए समय–समय पर विशेषज्ञ समितियों का गठन भी करता है। ये क्रियाकलाप विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों की सहभागिता से किए जाते हैं।

3.3 राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली पुलिस (एस.पी.यू.डब्ल्यू.ए.सी.), नई दिल्ली और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस(टी.आई.एस.एस.), मुम्बई के सहयोग से वर्ष 2008–09 से 'हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार' (महिला विशेष प्रकोष्ठ) परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। 'हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार' परियोजना का विस्तार किया गया है, जिससे उसके अंतर्गत दिल्ली के सभी जिले आ जाएं। यह परियोजना काफी सफल रही है और वर्ष 2016–17 के दौरान जारी रही है।

3.4 राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंचायती राज के महिला प्रतिनिधियों को सशक्त करने के लिए माड्यूल तैयार किए थे। ये माड्यूल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण

देने के लिए तैयार किए गए थे, जिससे कि उन्हें जानकारी और ज्ञान से सशक्त किया जा सके तथा उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जा सके। इन माड्यूल के अंतर्गत विभिन्न मुद्दे आते हैं, जैसे कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विधिक उपबंध, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के ढांचे और कार्यकरण का बोध, भारत में विकास योजनाएं और कार्यक्रम, नेतृत्व और निर्णय करने की शक्ति, आदि। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर आरंभ कर दिए गए हैं इन्हें देश के और जिलों और राज्यों में आरंभ करने की योजना है।

3.5 वर्ष 2016–17 के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों/संचालित सेमीनारों/कार्यशालाओं का संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत उनकी प्रमुख सिफारिशें भी हैं, पश्चात्वर्ती पैराओं में दिया गया है ।

## अनुसंधान अध्ययनों की सिफारिशें

3.6 दिल्ली में विमुक्त और घुमन्तु (खानाबदोश) समुदायों की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के संबंध में सार्थक, नई दिल्ली द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययन से उद्भूत प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) अधिकांश घुमन्तु समुदाय शहरों और नगरों से बाहर छोटी–छोटी बस्तियों में रहते हैं और इसलिए उन्हें स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों को घुमन्तु समुदायों की गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव–पूर्व और प्रसव–पश्चात् देखरेख उपलब्ध कराने के लिए चलत (मोबाइल) स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं आरंभ करनी चाहिएं;

(ii) इन जनजातियों की महिलाओं के अधिकांश प्रसव घरों में होते हैं और वे भी अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा, जिसके परिणामस्वरूप अनेक मातृ–मृत्यु होती हैं। इससे सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराने की आवश्यकता को बल मिलता है;

(iii) इन समुदायों की अनेक लड़कियों को बहुत शीघ्र विद्यालय से निकाल लिया जाता है क्योंकि उनके परिवार बार–बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं। इन समुदायों की लड़कियों को निःशुल्क और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिएं;

(iv) इन समुदायों को, परंपरा के नाम पर अपनी महिलाओं और लड़कियों के लैंगिक दुरुपयोग, शोषण और दुर्व्यापार से संरक्षा करने के लिए शिक्षित करने संबंधी जागरुकता अभियान चलाए जाने चाहिएं;

(v) उन लड़कियों को, जिन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है, शिक्षा के दायरे में वापस लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अधीन समुदाय पर आधारित विशेष पहल आरंभ की जानी चाहिए;

(vi) चूंकि विमुक्त जनजातियों की महिलाएं हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार होती हैं इसलिए पुलिस और व्यापक रूप से समाज उनके प्रति पूर्वाग्रह रखता है। उन्हें समाज के इस वर्ग के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए;

(vii) सरकार और प्राइवेट सेक्टर, दोनों को विमुक्त और घुमन्तु समुदायों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने चाहिएं;

(viii) इन समुदायों की जीविका की प्रकृति/स्वरूप के कारण, इनके अनेक लोगों को कल्याणकारी स्कीमों का फायदा उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनमें से अनेकों के पास जाति प्रमाणपत्र नहीं हैं। स्थानीय प्राधिकारी उन्हें जाति प्रमाणपत्र देने से इनकार करते हैं क्योंकि वे विभिन्न राज्यों में विभिन्न जातियों के रूप में जाने जाते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय अपेक्षित है;

(ix) विमुक्त और घुमन्तु समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और परिरक्षण के लिए एक नई स्कीम आरंभ की जा सकती है;

(x) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन समुदायों की महिलाओं के लिए विशेष आय उत्पादन स्कीमें आरंभ कर सकते हैं;

(xi) उनके घरों के निर्माण के लिए कम ब्याज पर सब्सिडी सहित लंबी अवधि के उधार देने के लिए विशेष स्कीमें आरंभ की जानी चाहिएं;

(xii) इन समुदायों की महिलाओं के पारंपरिक कौशल और हस्तकला के विकास के लिए उनकी प्राकृतिक प्रतिभा का उपयोग करने के लिए विशेष योजनाएं आरंभ की जा सकती हैं;

(xiii) सरकारी अभिकरणों, जैसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग को घुमन्तु जनजातियों की महिलाओं से अधिक उत्पादों का क्रय करना चाहिए;

(xiv) इन समुदायों के कठपुतली चलाने वालों, कलाबाजों और नुक्कड़ जादूगरों को नुक्कड़ प्रदर्शन करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रचार करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए;

(xv) विमुक्त और घुमन्तु समुदायों की कला और संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए विशेष स्कीम लाने से उस समृद्ध कला और संस्कृति को, जो शताब्दियों से विकसित हुई है, जीवित रखने में सहायता मिलेगी;

(xvi) भारत के खानाबदोशों की समृद्ध संस्कृति को दर्शाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समारोह आयोजित किए जा सकते हैं, जो कि पर्यटकों को आकर्षित

करने और इन समुदायों को चिरस्थायी जीविका का स्रोत प्रदान करने में सहायक होंगे;

(xvii) महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा का स्तर, प्राकृतवास, जीविका की पद्धति, मूलभूत सेवाओं तक पहुंच और अन्य लिंग संबंधी मुद्दों के बारे में जानकारी एकत्र की जानी चाहिए;

3.7 सामाजिक कार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) द्वारा "पूर्वी उत्तर प्रदेश की जेलों में महिला बंदी और उनके बालक" विषय पर कराए गए अनुसंधान अध्ययन से उद्भूत प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) अधिकांश जेलों के भवन काफी पुराने हैं और उनमें बंदियों की संख्या काफी अधिक है। नए भवनों का सन्निर्माण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और उन्हें अधिक संसाधन और निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिएं;

(ii) जेल में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला और उसके शिशु को स्वास्थ्य, मनोरंजन, आवास–सुविधा और पोषण संबंधी मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। बच्चों के लिए भोजन के स्थान पर युक्तियुक्त मात्रा में दूध, फल, मिठाइयां, शिशु खाद्य और अन्य पोषणीय संघटक उपलब्ध कराए जाने चाहिएं;

(iii) कुछ निधियां विनिर्दिष्ट रूप से महिला बन्दियों और महिला बन्दियों के बाल–बच्चों के कल्याण के लिए निर्धारित की जानी चाहिएं;

(iv) कैदियों का चिकित्सीय, आपराधिक और सामाजिक निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है। यह कैदियों के विशेषीकृत और पृथक्–पृथक् मामले के संबंध में व्यवहार करने, नियोजन, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास के लिए आधार के रूप में काम आएगा;

(v) कैदियों को नियमित चिकित्सीय, नैदानिक और देखरेख संबंधी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए;

(vi) कारागार में परामर्शदाता, अर्हताप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता या मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाले अर्हताप्राप्त वृत्तिक अवश्य होने चाहिएं;

(vii) महिला बंदियों के साथ आने वाले पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को कारागार के मुख्य भवन के बाहर विशेष रूप से सुव्यवस्थित शिशु–गृहों में रखने की अनुज्ञा दी जा सकती है;

(viii) कारागार में रहने के हालात को मानवीय और स्वच्छ बनाया जाना चाहिए;

(ix) उच्चतर शिक्षा के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए;

(x) खानपान की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। विचारणाधीन महिला बंदियों को उचित वस्त्र दिए जाने चाहिएं। समुचित चिकित्सीय सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए और एक महिला डाक्टर को जेल में जाना चाहिए। बंदियों को त्वचा रोगों के फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में साबुन दिया जाना चाहिए;

(xi) बैरेकों में अधिक बंदी नहीं होने चाहिएं और महिला बंदियों के बालकों के पास ठहरने और घूमने–फिरने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए;

(xii) जेल स्टाफ को परिवर्तनों से निपटने के लिए प्रशिक्षण और निर्देशन दिया जाना चाहिए;

(xiii) जेल प्रशासन को महिला बंदियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रचार–प्रसार और नियोजन अवसरों का संवर्धन करने के लिए स्थानीय और ख्यातिप्राप्त गैर–सरकारी संगठनों को अंतर्वलित करना चाहिए;

(xiv) गैर–सरकारी संगठनों को न्यायालय के मामलों के लिए वकील नियुक्त करने में महिला अपराधियों की सहायता करनी चाहिए;

(xv) गैर–सरकारी संगठन महिला बंदियों और उनके बालक/बालिका के लिए मनोरंजन कार्यक्रमों की भी व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे पिकनिक, फिल्म–प्रदर्शन, खेलकूद, क्रियाकलाप, चित्रकला, गीत और नृत्य प्रतियोगिता आदि।

3.8 कार्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, पुणे द्वारा "उस भूमिका की परीक्षा करना, जो पी.आर.आई. के निर्वाचित महिला प्रतिनिधि लिंग–आधारित हिंसा को रोकने में निभाते हैं: पश्चिमी महाराष्ट्र का अनुभव" विषय पर संचालित अध्ययन की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) कार्यक्रम के संघटकों, क्षमता–निर्माण रणनीतियों और किए गए कार्यक्रमों और अनुसंधान में लिंग–आधारित हिंसा को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उचित संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से हिंसा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए निधियां आबंटित की जानी चाहिएं;

(ii) न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों और दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 को सभी सरकारी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का भाग गठित करना चाहिए;

(iii) उस भूमिका को स्वीकार करने की आवश्यकता है जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि लिंग–आधारित हिंसा के निवारण और हस्तक्षेप में निभा सकते हैं;

(iv) निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे पर विचार करने की इच्छा के माध्यम से स्वयं को उस मुद्दे से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से लैस पाती हैं । उनकी क्षमता–निर्माण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाए;

(v) राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध–घुमन्तु जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण और उन्हें आवश्यक कौशल से सज्जित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है;

(vi) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 राजनैतिक दलों और ग्राम पंचायतों को लागू किया जाना चाहिए;

(vii) वर्तमान में, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता–निर्माण कार्यक्रमों में, लिंग आधारित हिंसा का मुद्दा संबंधित विधियों को पुरःस्थापित करने तक सीमित है । ऐसी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए, जो यह भूमिका निभाने के लिए स्वयं को लैस करने की इच्छुक हैं, विशेष अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं;

(viii) ई.डब्ल्यू.आर. द्वारा 'महिलाओं के प्रति हिंसा और भेदभाव के निवारण के लिए प्रदर्शनीय अच्छे कार्य' को मान्यता देने के लिए एक कार्यपद्धति तैयार की जानी चाहिए;

(ix) क्षमता–निर्माण के पाठ्यक्रम में अपेक्षित सक्षमताओं और कौशल के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है । महिला अध्ययन केन्द्रों और सामाजिक कार्य वाले विद्यालय की भागीदारी का पता लगाया जा सकता है;

(x) क्षेत्रीय स्तर पर, भिन्न–भिन्न विभागों या पृष्ठभूमि वाले भिन्न–भिन्न हिताधिकारी एक साथ काम करते हैं । पुलिस पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया, न्यायिककल्प निकायों के सदस्यों, राज्य महिला आयोगों द्वारा नियुक्त कौटुम्बिक परामर्शदाताओं, संरक्षण अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों और चिकित्सा पदाधिकारियों आदि की एक संयुक्त कार्यशाला लिंग आधारित हिंसा के संबंध में एक सामान्य कार्यसूची और परिप्रेक्ष्य तैयार करने में सहायक हो सकती है;

(xi) नागरिक चार्टर की तरह एक लिंग समानता चार्टर तैयार और सार्वजनिक किया जा सकता है;

(xii) लड़कियों की शिक्षा की सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत निधि स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि अनेक लड़कियों को विद्यालय–शिक्षा के पश्चात् शिक्षा रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वे महाविद्यालय शिक्षा/उच्चतर अध्ययनों का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। लड़कियों को महाविद्यालय शिक्षा के लिए ब्याज रहित उधार की प्रस्थापना की जा सकती है;

(xiii) ग्राम स्तर के कृत्यकारियों को महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण तैयार करने और लिंग आधारित भेदभाव तथा लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है;

(xiv) महिला सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्यों को यात्रा आदि के व्यय की पूर्ति के लिए मानदेय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए;

(xv) जिला परिषद/सरकार को लिंग आधारित हिंसा रोकने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सकारात्मक हस्तक्षेप को मानना और सुकर बनाना चाहिए;

(xvi) सरपंच और ई.डब्ल्यू.आर. को कोई पहचान कार्ड दिया जाना चाहिए। ये विशेष रूप से तब उपयोगी होंगे जब उसे सिविल अस्पताल, पुलिस या किसी अन्य सरकारी स्थान पर जाना हो;

(xvii) यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपराधकर्ता है तो उसका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए;

(xviii) नए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को शासन की सब बातों के बारे में व्यवस्थित रूप से निर्देशित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए;

(xix) स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और महिलाओं की एकजुटता बनाने में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए महिला ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जा सकती हैं;

(xx) जिला परिषद् द्वारा विधिक और परामर्शी विशेषज्ञों के पैनल को मान्यता दी जा सकती है। वे ई.डब्ल्यू.आर. को सहायता प्रदान कर सकते हैं;

(xxi) ग्राम पंचायत के कार्यालय और ग्रामों में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के अधिकारों और प्रमुख विधियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए।

3.9 भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (ए.एस.सी.आई.), बेला विस्ता, राज भवन रोड, खैराताबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश द्वारा संचालित "ओडिशा राज्य में महिलाओं और लड़कियों का स्थितिजन्य विश्लेषण" विषय पर अनुसंधान अध्ययन की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के संबंध में जागरुकता अभियान, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की जानी चाहिएं;

(ii) सभी योजनाओं में अंतर्निहित मानीटरिंग और मूल्यांकन संघटक होना चाहिए;

(iii) जनसंख्या के अपात्र वर्गों को स्वास्थ्य संबंधी देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए एक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग करने

पर विचार करना चाहिए;

(iv) सफल स्वास्थ्य सेवा परिदान माडल, जैसे मा ग्रुहा को नियमित मानीटरिंग द्वारा मजबूत संघटक सहित आगे बढ़ाया जाना चाहिए;

(v) बेटी बचाओ पहल की प्रतिकृति – पेराम्बलूर, तमिलनाडु कन्या भ्रूण–हत्या रोकने के लिए है। कन्या–भ्रूण हत्या रोकने के लिए राजस्थान माडल, नियमित मानीटरिंग और प्रोत्साहन को भी अंगीकार किया जा सकता है;

(vi) संस्थागत परिदान को जागरुकता पैदा करके बढ़ाया जाना चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन और भेद्य वर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं सुगम बनाने के लिए दुपहिया एंबुलेंस का प्रयोग किया जा सकता है;

(vii) दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में लघु स्तर पर "स्वास्थ्य मेलों" का आयोजन किया जा सकता है;

(viii) स्वास्थ्य परिदान प्रणाली में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) को एकीकृत किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में आयुष डाक्टरों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए;

(ix) आई.सी.डी.एस., स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल एवं स्वच्छता और पंचायती राज संस्थाओं के बीच समयबद्ध, उचित और उच्च क्वालिटी की सेवाओं के लिए विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिला योजना और मानीटरिंग यूनिटों को समुचित समन्वय और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए;

(x) अकेली महिला के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, उनके लिए आय सुनिश्चित करने और महिलाओं को परिवार की देखभाल सुकर बनाने के लिए व्यावसायिक और विनिर्दिष्ट व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए;

(xi) विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाना चाहिए;

(xii) सभी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं, जैसे पेय जल और कार्यात्मक शौचालय उपलब्ध कराने की आवश्यकता है;

(xiii) अवसंरचनात्मक और अन्य अपेक्षाओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु प्रभावी तंत्र के रूप में पब्लिक–प्राइवेट भागीदारी का उपयोग किया जा सकता है;

(xiv) समान कार्य के लिए समान मजदूरी/वेतन सुनिश्चित करना होगा क्योंकि अधिकतर महिलाओं को कम मजदूरी और फायदे संदत्त किए जाते हैं;

(xv) महिलाओं के लिए संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार की सततता, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कार्यपद्धति का निर्माण

किया जाए;

(xvi) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी रक्षोपायों से संबंधित विनियमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए;

(xvii) महिलाओं से संबंधित मुद्दों के समयबद्ध निपटान के लिए नारी अदालतें स्थापित की जानी चाहिएं;

(xviii) महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए एक ही स्थान पर संस्थागत प्रतिक्रिया के रूप में 'एकल स्थल संकट केन्द्र' स्थापित किया जाए। एकल स्थल संकट केन्द्र को हिंसा की उत्तरजीवी सभी महिलाओं की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें एक ही स्थान पर चिकित्सीय, विधिक और मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाएं प्रदान करनी चाहिएं;

(xix) सुरक्षित शहर कार्यक्रम की बाबत, ओडिशा भी मध्य प्रदेश की उत्तम पद्धतियों को अपना सकता है और महिलाओं और लड़कियों की सार्वजनिक और प्राइवेट, दोनों स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्यक्षेपों पर विचार कर सकता है;

(xx) असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाए;

(xxi) महिलाओं के बीच नई श्रम विधियों के बारे में जागरुकता पैदा करना;

(xxii) पेंशन स्कीमों को व्यापक जीविका कार्यक्रमों द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत कृषि में विद्यमान आर्थिक क्रियाकलापों को सुदृढ़ करना, संसाधनों तक पहुंच और उनका उपयोग करना, वैतनिक और स्वनियोजन और प्रशिक्षण और शिक्षा के अवसर भी हैं। पेंशन स्कीमों को चिकित्सा बीमा स्कीमों और सकल मूल्य सूचकांक और न्यूनतम मजदूरी के साथ जोड़ना चाहिए;

(xxiii) महिलाओं के बीच जागरुकता को बढ़ाया जाए जिससे कि वे सभी संरक्षण योजनाओं का फायदा लेने में समर्थ हो सकें;

(xxiv) राज्य में पूर्ण शक्ति केन्द्रों को क्रियाशील बनाया जाए;

(xxv) फायदों के सही निर्धारण, योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए और बजट के प्रभावी आबंटन और प्राथमिकता के लिए सरकार की सभी स्कीमों और पहलों का लिंग लेखापरीक्षण किया जाए;

(xxvi) इसके कार्यान्वयन में अंतर्वलित प्रक्रियात्मक मुद्दों की रणनीति बनाने और उनके निपटान में सहायता करने के लिए हितधारकों की बैठकों की, जिसके अंतर्गत महिला एस.एच.जी., गैर–सरकारी संगठन, ग्राम पंचायत और सुसंगत सरकारी

विभाग भी हैं, व्यवस्था की जाए;

(xxvii) यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं कि लड़कियों और महिलाओं के लिए ओडिशा राज्य नीति, 2014 में कथित विचारों और रणनीतियों को वास्तविक रूप दिया जाए;

(xxviii) स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं को योजना बनाने, निर्णय लेने और कार्यान्वयन में अंतर्वलित करके सभी गृहस्थियों को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयासों को बढ़ाया जाना चाहिए;

(xxix) राज्य विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की जानी चाहिए;

(xxx) संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों, भूमि पर पहुंच और नियंत्रण पर भी विचार किया जाना चाहिए।

3.10 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली द्वारा संचालित "कार्यस्थलों पर मजबूरियां झेल रही महिलाएं: दिल्ली में सेवा क्षेत्र का एक विश्लेषण" विषय पर अनुसंधान अध्ययन की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाएं और आबंटित निधियां समयबद्ध रीति में वितरित की जाएं;

(ii) विद्यालय से ही उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक अध्ययन के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाओं के लिए उपबंध किए जाएं। महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों और स्कीमों को यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय रूप से मानीटर किया जाए जिससे कि वे लाभार्थियों के पास पहुंच सकें;

(iii) महिलाओं को उनकी बचत को बढ़ावा देने के लिए बेहतर ब्याज दरें दी जाएं। इस नीति में यह उपबंध भी शामिल किया जाना चाहिए कि महिलाओं की कमाई का उपयोग अनन्य रूप से उनके द्वारा ही किया जाएगा;

(iv) महिलाओं के लिए मजदूरी, प्रोन्नति और अवसरों में समान अधिकारों को प्रवर्तित किया जाना चाहिए और शास्ति के लिए उपबंध सहित उसके कार्यान्वयन को मानीटर किया जाना चाहिए;

(v) प्रत्येक कार्यस्थल पर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध लैंगिक संवेदीकरण समिति (जी.एस.सी.ए.एस.एच.) का गठन किया जाए। प्रत्येक बैठक की रिपोर्ट की एक प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजी जा सकती है;

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य और स्थानीय स्तरों पर नियुक्ति के लिए समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ मनोचिकित्सकों का चयन

किया जाए;

(vii) घरेलू हिंसा, महिलाओं के कार्य, कन्या–भ्रूण–हत्या और भ्रूण–हत्या के विरुद्ध जागरुकता कार्यक्रम चलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। महिला कल्याण कार्यक्रमों, स्कीमों और उपबंधों के संबंध में जानकारी का भी प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए;

(viii) एक ऐसा वैब पोर्टल विकसित किया जा सकता है जहां महिलाएं शिकायतों से संबंधित अपने विचार लिख और व्यक्त कर सकें। राज्य उस वैब पोर्टल के भाषायी प्ररूप के बारे में विनिश्चय कर सकते हैं;

(ix) प्रत्येक कार्यस्थल पर वैब कैमरे संस्थापित करने के लिए बजटीय आबंटन किए जा सकते हैं। इन्हें किसी विशेषज्ञ समूह द्वारा मानीटर किया जा सकता है;

(x) साधारणतया महिलाओं के लिए और विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए सांराशीकरण के मुद्दे पर विचार किए जाने की आवश्यकता है;

(xi) राज्य को सामाजिक सुरक्षा में विस्तार करके और अनुकूल वातावरण सृजित करके महिलाओं को रोजगार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिलाओं को हमारे देश के प्रत्येक राज्य में उनकी पूर्ण क्षमता की अनुभूति करने में समर्थ बनाने के लिए उनके पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक वातावरण सृजित करने की रणनीति तैयार की जानी चाहिए;

(xii) महिला स्वास्थ्य सेवा, सभी राज्यों में अच्छी शिक्षा, व्यवसाय और व्यावसायिक मार्गदर्शन, नियोजन, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कार्यालय, आदि तक समान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए;

(xiii) विधिक ढांचे को इस रीति में विकसित किया जाए जिससे कि वित्तीय विचारणाओं से लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके। जब महिलाओं को समरूप कार्य करते समय समान भुगतान न किया जाए तब राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए;

(xiv) राज्य को महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा प्रायोजित करनी चाहिए;

(xv) राज्य को आर्थिक नीतियों के लैंगिक विश्लेषण का प्रचार–प्रसार करना चाहिए, जिससे कि आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके और महिलाओं के लिए कार्य करने के अधिक स्थान सृजित किए जा सकें;

(xvi) अधिकांश मामलों में राज्य की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व असंतोषप्रद

है। सभी प्रवर्गों की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए;

(xvii) राज्य को लैंगिक उत्पीड़न की घटनाओं को सूक्ष्म रूप से मानीटर करना चाहिए। लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध एक प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता है। राज्य महिला आयोग को ऐसे प्रकोष्ठों की कार्यात्मक दक्षता का निर्धारण करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए;

(xviii) राज्य को असामान्य व्यवहार वाले सहकर्मियों से निपटने के लिए कार्यालयों में समुचित उपचार और परामर्श के लिए सद्भावी मनोचिकित्सक रखने चाहिएं;

(xix) महिलाओं को उनके कल्याण और सशक्तीकरण के लिए उपलब्ध विधिक उपबंधों का प्रचार–प्रसार करने के लिए सुसंगत सोशल मीडिया की पहचान करनी चाहिए;

(xx) महिला शौचालयों में संक्रमण से बचने के लिए समुचित स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था की जाए;

(xxi) राज्यों द्वारा संचालित किए जाने वाले भिन्न–भिन्न अनुकूलित संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता है;

(xxii) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थानीय स्तरों पर सांविधानिक उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए;

(xxiii) संबंधित पारिवारिक सदस्यों द्वारा पारिवारिक उत्तरदायित्वों को साझा किया जाना चाहिए और नियोजक द्वारा महिलाओं को स्थिति अनुरूप समय का विकल्प दिया जाना चाहिए;

(xxiv) निर्धन महिला कर्मकारों को स्थानीय स्तर पर व्यापक क्षमता–निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से कौशल–उन्मुखी क्षमता प्रदान की जानी चाहिए;

(xxv) परिवार के पुरुष सदस्यों और जाति समूह/समुदाय के नेताओं को भी कामकाजी महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए;

(xxvi) स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच स्थापित किया जाना चाहिए;

(xxvii) साधारणतया महिलाओं को और विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं जिससे कि उनका स्वास्थ्य बना रहे और तनाव की रोकथाम हो;

(xxviii) सभी पी.आर.आई. में लैंगिक जागरुकता कार्यक्रम का संचालन किया जाना चाहिए;

(xxix) स्थानीय सरकार को कामकाजी महिलाओं के लिए सतत आधार पर परिवहन

सुविधाओं का कोई माडल भी तैयार करना चाहिए।

3.11 एकेडमी ऑफ ग्रासरूट्स स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ इंडिया द्वारा "ग्रामीण आन्ध्र प्रदेश में शराब के उपयोग के कारण महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसाः चित्तूर जिले का मामला" विषय पर संचालित अनुसंधान अध्ययन की सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) महिलाओं और बच्चों के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं जिनमें अद्यतन तकनीकी सहायता हो, जैसे बलात्कार और यौन शोषण के पीड़ितों के कथनों की वीडियोग्राफी करना। घरेलू हिंसा के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए महिला मजिस्ट्रेटों की सेवाओं का उपयोग किया जाए;

(ii) विशेष रूप से महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और साधारण रूप से महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों की पहचान करने और उन पर अधिक प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रत्येक जिले में छह मास में एक बार विधि प्रवर्तन अधिकारियों, न्यायाधीशों, न्यायालय कार्मिकों और अभियोजकों के लिए विनियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं;

(iii) पुरुषों को अल्कोहल और अन्य संबद्ध पदार्थों का उपभोग करने के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रत्येक जिले में शराबियों के लिए परामर्श केन्द्र स्थापित किए जाएं;

(iv) शराब की दुकानों पर चरणबद्ध रीति में संपूर्ण प्रतिबंध अधिरोपित किया जाए और आन्ध्र प्रदेश को मद्य–निषिद्ध राज्य घोषित किया जाए;

(v) सड़क दुर्घटनाओं और महिलाओं के अपहरण की रोकथाम के लिए राजमार्गों के आसपास सार्वजनिक स्थानों और शराब की दुकानों के निकट शराब पीना प्रतिषिद्ध किया जाए;

(vi) युवाओं को सभी शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक मूल्यों, सामुदायिक विकास के प्रति प्रेरित करने के अलावा, आदर्श शिक्षा, नेतृत्व शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा भी दी जाए;

(vii) शिक्षित युवाओं को नशीले पदार्थों और अल्कोहल का उपभोग करने की बुराइयों के संबंध में संवेदनशील बनाया जाए। जब बालक अभी किशोर अवस्था में हो तब माता–पिता को इन बुराइयों पर नजर रखनी चाहिए;

(viii) ऐसे किसी स्थान पर कोई शराब की दुकान अनुज्ञात नहीं की जानी चाहिए जहां 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं अल्कोहल पर प्रतिबंध चाहती हैं;

(ix) अप्राधिकृत शराब की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए और अवैध आसवन और गुडुम्बा के निर्माण को प्रतिबंधित किया जाए और संदेहास्पद प्रेक्षण स्थलों पर

अवैध शराब माफिया के विरुद्ध कड़े पुलिस–प्रवर्तित विनियमों को लागू किया जाए;

(x) ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए जो अवैध शराब की दुकानें चलाने और अवैध अरक और गुडुम्बा का निर्माण करने का समर्थन करते हैं;

(xi) समुदाय में अल्कोहल के उपभोग को निर्बंधित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शराब और अल्कोहल के विक्रय की अनुमति न देने के लिए कदम उठाए जाए;

(xii) प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और स्वावलंबी समूह के सदस्यों के लिए उनके स्थानीय मुख्यालयों में नियमित रूप से प्रमुख सामाजिक मुद्दों के संबंध में क्षमता–निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए;

(xiii) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अनन्य रूप से अंतरराष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण दिवस समारोह का आयोजन किया जाए और उसे 'शुष्क दिवस' के रूप में मनाया जाए;

(xiv) गैर–कानूनी/अवैध अल्कोहल बनाने वालों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के लिए सफल महिला नेताओं को ग्राम पंचायत में उनके नेतृत्व कौशल के मानस्वरूप प्रोत्साहन दिया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए;

(xv) शराबी व्यक्तियों के विरुद्ध, जब वे महिलाओं के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, संबंधित ग्राम पंचायतों में जुर्माना अधिरोपित किया जाए।

3.12 शिव चरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा "राजस्थान में महिला कृषकों की भूमिका और उनकी स्थिति" विषय पर संचालित अनुसंधान अध्ययन की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) महिला कृषकों को, विशेषकर रेगिस्तानी जिलों में सीधे ही अंतर्वलित करके और उन्हें फायदा पहुंचाकर, लिंग विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से पशुपालन में महिलाओं की भागीदारी को बढाया जाए;

(ii) महिला कृषकों को अत्यधिक सहायताप्राप्त दरों पर उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर महिलाओं के कार्य को कम करने के लिए कठिन श्रम कम करने की तकनीक पर ध्यान केन्द्रित किया जाए;

(iii) कृषि और उससे सहबद्ध क्षेत्रों तथा अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों में उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण महिलाओं को सीधे ही तकनीक का अंतरण किया जाए और उसे चालू स्कीमों के साथ जोड़ा जाए;

(iv) महिला कृषकों को समुचित प्रौद्योगिकी में, जिसके अंतर्गत भू–संरक्षण और जल

संचयन पद्धतियां भी हैं, प्रशिक्षण दिया जाए;

(v) ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि पद्धतियों और तकनीक के संबंध में जानकारी सहित प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम आरंभ किए जाएं जिससे कि वे नई तकनीकों और उन्नत उत्पादन की पद्धतियों का फायदा उठाने में समर्थ हो सकें;

(vi) सहकारी ऋण और अन्य उत्पादन निवेशों पर महिलाओं की पहुंच को प्रोत्साहित किया जाए;

(vii) कृषि जलवायु दशाओं की विविधता और पारिणामिक कृषि प्रणाली के व्यापक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय विकास प्रयासों को समर्थन देने के लिए जाति/लिंग पृथक्करणीय जानकारी द्वारा लैंगिक योजना तैयार करने में राज्य स्तर के प्रयासों का समर्थन किया जाए;

(viii) स्थानीय पंचायत स्तर पर तैयार योजना को लिंग संवेदी बनाया जाए और उसमें स्थानीय विकास के प्रयासों का समर्थन करने के लिए जाति/लिंग पृथक्करणीय जानकारी होनी चाहिए;

(ix) महिलाओं और लिंग समानता पर लक्ष्यित विद्यमान नीतियों को महिलाओं सहित विकास कार्य में अंतर्वलित सभी व्यक्तियों को व्यापक रूप से संसूचित किया जाना चाहिए;

(x) भू–अधिकारों संबंधी नीतियों और कृषकों के अधिकारों संबंधी पहलों का पुनर्विलोकन किया जाए और उसमें महिला कृषकों की चिन्ताओं पर सुस्पष्टतया विचार किया जाए;

(xi) पंचायत के नेताओं को लिंग–एकीकृत भागीदारी पहुंच और स्थानीय योजना में प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम विकसित किए जाएं;

(xii) ग्रामों में महिलाओं के स्वसहायता समूहों के माध्यम से कृषि समुदाय पर आधारित विकासात्मक क्रियाकलापों के प्रबंधन के लिए नेतृत्व कौशल के निर्माण हेतु ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम विकसित किए जाएं;

(xiii) लिंग–संवेदनशील विस्तारण कार्य विकसित और प्रशिक्षित किया जाए। स्थानीय क्षेत्रों की शिक्षित लड़कियों/महिलाओं को प्रौद्योगिकी के अंतरण और महिला कृषकों से फीडबैक लेने के लिए विस्तारण अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है;

(xiv) बागबानी, पुष्प कृषि, फसल–कटाई के बाद प्रसंस्करण, डेयरी विकास, आदि में महिला प्रबंधित ग्रामीण उत्पाद और विपणन उद्यमों को समर्थन दिया जाए;

(xv) महिलाओं को उभरते उच्च मूल्य के कृषि कारबार क्षेत्र का, जिसके अंतर्गत

जैव–प्रौद्योगिकी और वन उत्पाद भी हैं, फायदा लेने के लिए प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और निवेश समर्थन प्रदान किया जाए;

(xvi) महिलाओं को पुरुष कृषकों की मात्र पत्नियां मानने की बजाय कृषक माना जाए;

(xvii) कृषि विस्तार प्रणालियों में सुधार किया जाए जिससे कि वे महिला और पुरुष, दोनों कृषकों तक पहुंचने की दृष्टि से साम्यापूर्ण बन जाएं;

(xviii) महिलाओं को स्थानीय विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करके, प्रसंस्करण और पैकेजिंग तकनीक में सुधार करके और इन क्षेत्रों में उनकी क्षमताओं में सुधार के लिए ऋण का उपबंध करके उनके विपणन क्रियाकलापों में समर्थन दिया जाए;

(xix) अनुरूप कार्यक्रमों के माध्यम से जैविक कृषि के संबंध में महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान का समर्थन किया जाए;

(xx) महिला कृषकों को उन्नत जल–बचत प्रणालियों द्वारा पारंपरिक जल संचयन तकनीकों के लिए संगठित किया जाए;

(xxi) फसल विविधता, बीज बचत, सामूहिक कृषि, खाद्य और चारा बैंक और फसल प्रबंधन में जानकारी दी जाए;

(xxii) ग्रामीण महिलाओं को आय उत्पादन में सहायता देने के लिए कृषि–कारबार में प्रशिक्षण दिया जाए।

3.13 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा "भारत में मनःचिकित्सा संस्थाओं में भर्ती महिलाओं की चिन्ताओं पर विचारः एक गहन विश्लेषण" विषय पर संचालित अनुसंधान अध्ययन से उद्भूत प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) आवासिक और सामुदायिक, दोनों ढांचों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आयोजना/सुधार करते समय विनिर्दिष्ट रूप से लिंग संबंधी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए;

(ii) मानसिक बीमारी से ग्रस्त महिलाओं के अधिकारों को संस्थागत समुदाय तथा पारिवारिक ढांचे में संरक्षित किया जाए;

(iii) मनःचिकित्सा संस्थाओं के भीतर, लिंग–संवेदी पहलुओं, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार लाने की सुविधाएं (प्रसाधन सामग्री और निजी सामान की व्यवस्था, अंतर्वस्त्रों की व्यवस्था, सेनेटरी नैपकिन की नियमित आपूर्ति और उनके व्ययन के संबंध में अनुदेश), अधिक भीड़ को कम करना, गरिमा पर ध्यान केन्द्रित करना (नहाने, वस्त्र बदलने, शौचालय का उपयोग करने के दौरान निजता सुनिश्चित करना; अनिवार्य मुंडन और वर्दी को वर्जित करना), सुख–साधनों में

सुधार करना (आराम, सर्दी में गर्म कपड़ों और हीटर तथा गर्मियों में पंखों और कूलरों के लिए बेहतर प्रबंध) भी हैं;

(iv) महिलाओं के अधिकारों और व्यक्तित्व पर ध्यान केन्द्रित किया जाए – उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरुक किया जाए, उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने में अंतर्वलित करना, उन्हें बीमारी और योजनाबद्ध उपचार के बारे में शिक्षित करना, उपचार से पूर्व और उनके हित में किए गए किसी अन्य हस्तक्षेप या व्यवस्था के लिए संसूचित सहमति;

(v) मनोरंजन, फुर्सत की गतिविधियों और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं;

(vi) मानव संसाधनों की कमी का समाधान किया जाए; सभी स्तरों पर स्टाफ का पर्याप्त लिंगानुपात सुनिश्चित किया जाए;

(vii) वर्ष में एक बार सुविधाओं और उपचार सहित संतोषप्रदता संबंधी नियमित लेखापरीक्षा अवश्य कराई जाए;

(viii) कौटुम्बिक और खुले वार्डों में वृद्धि करके और स्वैच्छिक प्रवेश, मानसिक बीमारी के संबंध में परिवारों की जागरुकता में सुधार करके और न्यायपालिका को संवेदनशील बनाकर लंबी अवधि तक भर्ती को हतोत्साहित किया जाना चाहिए;

(ix) अनिच्छा से भर्ती किए गए रोगियों के लिए भी, अस्पतालों को भर्ती के समय परिवारों से संपर्क स्थापित करना चाहिए और उनकी पहचान को दस्तावेजीकृत करना चाहिए;

(x) राज्य से बाहर की बेघर महिलाओं के लिए मानक प्रक्रियाएं विकसित की जाएं ताकि उन्हें उनके मूल निवास–स्थान के निकट सुविधाओं में अंतरित किया जा सके;

(xi) लंबी अवधि की भर्ती के मुद्दों में सतत देखरेख की आवश्यकता होती है (बेघर और परित्यक्त – भर्ती को कम से कम करना, पहचान स्थापित करना, कुशल बनाना/पुनः कुशल बनाना, श्रेणीबद्ध नियोजन);

(xii) ऐसी महिलाओं के लिए, जो ठीक हो गई हैं किन्तु जिन्हें ठहरने के लिए और स्वयं अपना जीवन आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु स्थान की आवश्यकता है, मिडवे गृह;

(xiii) राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य महिला आयोगों को अस्पतालों की मानीटरिंग समितियों का भाग बनाया जाए जिससे कि महिलाओं के मुद्दों का विनिर्दिष्ट रूप से समाधान किया जा सके;

(xiv) अनिच्छा से भर्ती की गई या भर्ती किए जाने के तीन मास के भीतर डिस्चार्ज न की गई, प्रत्येक महिला के लिए विधिक सहायता की आवश्यकता का निर्धारण अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसी सुविधा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित की जा सकती है और आपातकालीन मुद्दों पर अस्पताल समितियों तथा अन्य मानीटरिंग समितियों से विचार–विमर्श किया जा सकता है;

(xv) राज्य महिला आयोग प्रत्येक अस्पताल में उपचार संबंधी ढांचे और समुदाय, दोनों में महिलाओं के मुद्दों का समग्र रूप से समाधान करने और बाल देखरेख के फायदों, सहायता आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महिला सहायता सेवाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। इसमें महिलाओं की संतुष्टि और सुविधाओं में सुधार के लिए सुझावों की वार्षिक लेखापरीक्षा की संवीक्षा अंतर्वलित होनी चाहिए और इसके अंतर्गत अस्पताल स्टाफ, सामाजिक सेवा अभिकरणों और गैर–सरकारी संगठनों से नियमित आधार पर अनुबंध अंतर्वलित होगा;

(xvi) दीर्घकालिक मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों की देखरेख करने वाले परिवारों को इन उपायों के माध्यम से सशक्त और समर्थित किया जाना चाहिए, जैसेः

(क) सुगम्य और निःशुल्क/सहायताप्राप्त उपचार;

(ख) प्रोत्साहनों, जैसे विकलांगता फायदा, यात्रा फायदा, आदि तक पहुंच;

(ग) इन फायदों और इन तक पहुंच के बारे में जागरुकता;

(घ) मनोवैज्ञानिक पीड़ा और सहायता के लिए शीघ्र सहायता की ईप्सा करने के महत्व के बारे में महिला–केन्द्रित जानकारी;

(ङ) महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य हैल्पलाइन;

(च) ऐसे मामलों में, जहां उपेक्षा और शोषण का स्रोत परिवार है वहां राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य महिला आयोगों की बचाव और पुनर्वास के लिए सक्रिय भूमिका;

(छ) मानसिक बीमारी से ग्रस्त महिलाओं के मामले में मानवाधिकारों के अतिक्रमण को मानीटर करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का सृजन करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचित निधि विकसित करना।

(xvii) सिकुड़ते परिवारों के कारण उत्पन्न चुनौतियों तथा ऐसे परिवारों के कारण, जिनके पास देखरेख करने की क्षमता नहीं है, सामुदायिक स्तर की सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में, निम्नलिखित चीजें स्थापित करने की तुरंत आवश्यकता हैः–

(क) महिलाओं के लिए आराम/समझौता गृह सुविधाएं/पुनर्वास, जिसके अंतर्गत व्यसन संबंधी समस्याओं के लिए उपचार भी है;

(ख) ऐसी महिलाओं के लिए, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आश्यकताएं हैं, आश्रय;

(ग) दिवस देखभाल सुविधाएं;

(घ) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाली महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक केन्द्रों से जुड़ाव;

(ङ) स्वसहायता समूहों, नियोजन स्कीमों, अन्य सामाजिक फायदा स्कीमों के साथ जुड़ाव।

(xviii) ऐसे स्थानों में जहां मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त महिलाएं अवस्थित हैं वहां अतिक्रमण होना ज्ञात है। मानसिक स्वास्थ्य विकार की सीमा, ऐसी समस्याओं का पता लगाने और महिलाओं को सहायता देने में स्टाफ की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए और निम्नलिखित स्थापनों में उपचार और पुनर्वास के लिए नेटवर्क का विकास करने के लिए कदम उठाए जाएंः–

(i) सामाजिक सेवा सुविधाएं;

(ii) भिक्षुकालय;

(iii) युवा लड़कियों के लिए किशोर गृह;

(iv) कारागार;

(v) मन्दबुद्धि बालकों के लिए गृह;

(vi) महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम;

(vii) गैर–सरकारी संगठन और प्राइवेट आवासीय सुविधाएं; और

(viii) महिलाओं के लिए संस्थागत देखरेख का अन्य कोई स्थान।

(xix) संपर्क और नेटवर्किंग, विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में आवश्यक हैः–

(क) मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित महिलाओं की देखरेख और पुनर्वास में अंतर्वलित व्यक्तियों का स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण, महिला और बाल कल्याण, पुनर्वास, आवासन, न्यायपालिका, विधि, पुलिस, गृह, शिक्षा, श्रम, विधि और अन्यों से प्रभावी अंतर–क्षेत्रीय संपर्क स्थापित किया जाए;

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से देखरेख के मानक स्थापित करने हेतु अन्य आयोगों (जैसे एन.एच.आर.सी., निःशक्तता आयोग, बाल आयोग), अन्य सरकारी अभिकरणों अन्य गैर–सरकारी संगठनों से तालमेल;

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी समितियों और नीति बनाने वाले निकायों में एक प्रतिनिधि होना चाहिए; और

(घ) समस्त मानसिक अस्पतालों और अभिरक्षणीय देखरेख स्थापनों में लैंगिक उत्पीड़न समिति का गठन किया जाना है।

(xx) किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए देखरेख संबंधी पर्याप्त मानक सुनिश्चित करने के लिए विधिक उपबंध अत्यंत आवश्यक हैं। उनके अंतर्गत निम्नलिखित हो सकते हैं:–

(क) देश की सभी मनोरोग संस्थाएं, जिसके अंतर्गत निजी रूप से प्रबंधित संस्थाएं भी हैं, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाएं;

(ख) देश की प्रत्येक मनोरोग संस्था की वार्षिक सामाजिक/लैंगिक लेखापरीक्षा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त और पैनलित किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा कराई जा सकती है;

(ग) ऐसी किसी महिला को, जो स्वस्थ घोषित किए जाने के पश्चात् मानसिक स्वास्थ्य संस्था को छोड़ती है, समाज में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपना पुन:एकीकरण सुकर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है;

(घ) मानसिक बीमारी से ग्रस्त ऐसी महिलाओं के लिए, जिसके 18 वर्ष की आयु तक के बालक जीवित हैं, बाल देखरेख, दिवस देखरेख सुविधाओं की व्यवस्था अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। छह वर्ष तक की आयु के बालक के लिए किसी नातेदार या संरक्षण के साथ संस्था में ठहरने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञात की जा सकती है कि बालक और माता को अलग न किया जाए;

(ङ) मनोरोग संस्थाओं से डिस्चार्ज हो चुके रोगियों के लिए मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा देखभाल के बाद मुआइने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए;

(च) अभिकथित रूप से मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की भर्ती के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ दो चिकित्सा व्यावसायियों से चिकित्सा प्रमाणपत्र लगे होने चाहिएं जिनकी, आदेश के जारी किए जाने से 15 दिन के भीतर सरकारी मनोचिकित्सक द्वारा पुष्टि की गई हो;

(छ) मानसिक बीमारी से ग्रस्त किसी महिला को जन्मे किसी बालक को माता की सहमति और देखरेख प्रदान करने संबंधी उसकी मानसिक स्थिति और क्षमता के समुचित निर्धारण के बिना दत्तक–ग्रहण के लिए मुक्त घोषित नहीं किया जाना चाहिए;

(ज) हिस्टेरेक्टामी, बलात्कार की घटनाओं से गर्भपात या बालक के जन्म आदि के संबंध में विधिक हैसियत के अभाव में मानसिक बीमारी से ग्रस्त अपमानित/

प्रताड़ित महिला और उसके अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिएं; और

(झ) मनोरोग संस्थाओं के बाह्य पर्यवेक्षण के लिए, विशेष रूप से महिला रोगियों के लिए मुलाकात व्यवस्था के लिए उपबंध किया जाए।

3.14 ई.आर.यू. कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "महिला और बाल परामर्श यूनिट विशेष पुलिस यूनिट(एस.पी.यू.डब्ल्यू.ए.सी.), दिल्ली पुलिस का मूल्यांकन" विषय पर संचालित अनुसंधान अध्ययन की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

1. एस.पी.यू.डब्ल्यू.ए.सी. निम्नलिखित कदमों पर विचार कर सकता है –

- टी.आई.एस.एस. और राष्ट्रीय महिला आयोग के परामर्श से विशेष प्रकोष्ठों की पद्धतियों और रणनीतियों का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करने के लिए डी.सी.पी.–सी.ए.डब्ल्यू. के अधीन विभाग के भीतर एक कोर समूह के गठन को सुकर बनाना।
- कतिपय प्रकार के मामलों के संबंध में कार्यवाही करते समय आने वाली परेशानियों और विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए जा रहे और उपयोग में लाए गए संसाधन समर्थन के विश्लेषण के लिए संयुक्त त्रैमासिक पुनर्विलोकन बैठकों की एक व्यवस्था विकसित करना, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, जांच अधिकारी और मध्यस्थ शामिल हों।
- सामाजिक कार्यकर्ताओं को मामलों/डाटा आदि का प्रवृत्तियों की कल्पना करने और ऐसे मामलों से निपटने के लिए नई रणनीतियां विकसित करने के लिए जांच अधिकारियों के साथ विश्लेषण करने में सहायता करना । बुजुर्ग/वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, परामर्श प्रकोष्ठों, डाटा विश्लेषण और मामलों के प्रबंधन और संप्रेषणों को सुदृढ़ करने के लिए नए कार्यकर्ताओं की योजना/प्रशिक्षण में दल के सदस्यों के रूप शामिल किया जा सकता है।
- स्थानीय क्षेत्र में कौशल विकास पाठ्यक्रमों को सुगम बनाने हेतु उत्तरजीवियों के लिए अन्य सरकारी विभागों के साथ संप्रेषण नेटवर्क आयोजित करने के लिए कदम उठाना । इसके लिए संप्रेषण सेवाओं के लिए डाटाबेस और संपर्क विकसित करने में सहायता हेतु एक संप्रेषण समूह का गठन किया जा सकता है।
- संप्रेषण समूह, उत्तरजीवियों के आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण संसाधनों का संयोजन सुगम बना सकता है/उसका पता लगा सकता है। ऐसे अपराधियों के लिए, जो अल्कोहलिक हैं/नशीले पदार्थों का दुरुपयोग करते हैं, संप्रेषण सेवाएं अनिवार्य हैं।
- ई. ओ. और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रति वर्ष दो से तीन रिफ्रैशर कार्यशालाओं का आयोजन। इससे उत्तम पद्धतियों और उन मुद्दों का जो उद्भूत

होते हैं, पुनर्विलोकन और मानीटरिंग करने में सहायता मिलेगी।

- एस.पी.यू.डब्ल्यू.ए.सी. यूनिटों के बारे में जानकारी का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है। इन यूनिटों के लिए महिलाओं के अधिकारों, विधियों, नियोजन के अवसरों, शिक्षा, प्रशिक्षण के संबंध में अन्य सरकारी विभागों/गैर–सरकारी संगठनों और अभिकरणों के दस्तावेजों और सामग्री को उत्तरजीवियों से साझा करने के लिए उन तक पहुंच रखने की आवश्यकता होती है।
- कुछ अनुकल्पी व्यवस्था भी तैयार की जा सकती है जिससे कि ग्राहक अपनी सुविधा के आधार पर सप्ताहांत और कार्यालय घंटों के पश्चात् आ सकें।
- ऐसे पति/पत्नी/भागीदारों के साथ, जो कठोर और अड़ियल हैं और उत्तरजीवियों को उत्पीड़ित करते रहते हैं, काम करने के लिए कुछ पुरुष परामर्शियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।
- ई.ओ., सामाजिक कार्यकर्ताओं और निरीक्षकों के साथ मुद्दों के पुनर्विलोकन, निगरानी और समाधान के लिए संयुक्त बैठकें आयोजित की जाएं।
- उत्तरजीवी की उसके वैवाहिक गृह में स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए गंभीर मामलों में गृह भेंटों को पुनरुज्जीवित किया जाए।
- राष्ट्रीय महिला आयोग, विशेष प्रकोष्ठ – दिल्ली के लिए संयुक्त पुनर्विलोकन/मानीटरिंग समिति तथा संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समूह स्थापित करने पर विचार कर सकता है।
- संसाधक संगठनों/सरकारी विभागों की ऐसी निर्देशिका विकसित की जाए जो उत्तरजीवियों के लिए सुगम हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का संगठनों/अभिकरणों से परिचय कराया जा सकता है और वे पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से नियमित रूप से संपर्क कर सकते हैं। इससे उत्तरजीवी, नियोजन की ईप्सा करने के लिए प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से संबंधित परामर्शों, किसी प्रकार के नियोजन की ईप्सा करने या गृह आधारित कार्य आरंभ करने जैसी सेवाओं तक पहुंच रखने में सशक्त होंगे।
- राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं के प्रति हिंसा के संबंध में जानकारी, महिलाओं और बालकों के विधिक अधिकारों, विशेष प्रकोष्ठों के बारे में जानकारी, पोस्टरों और स्टीकरों का जनता की जानकारी के लिए प्रचार–प्रसार कर सकता है जिससे कि वे विशेष प्रकोष्ठों की सेवाओं का लाभ लेने में समर्थ हो सकें। जनता/समुदाय, विशेषकर पुरुषों को इस संबंध में जागरुक करने की आवश्यकता है कि महिलाओं के प्रति किसी प्रकार की हिंसा को बर्दाशत नहीं किया जाएगा।
- राष्ट्रीय महिला आयोग और टी.आई.एस.एस. महिलाओं के जीवन को सकारात्मक

रूप से प्रभावित करने और यदि उनके जीवन में हिंसा अपरक्राम्य है तो उन्हें अपने जीवन का मार्ग बदलने के लिए सशक्त करने, दोनों के लिए विशेष प्रकोष्ठों को सुदृढ़ करने की योजना और रणनीति तैयार कर सकते हैं।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली में विशेष प्रकोष्ठों को चिरस्थायी बनाने की दृष्टि से प्रतिबद्ध समय–सीमा के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुगम बनाने चाहिए। ये संसाधन न केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आबंटित किए जाने चाहिएं बल्कि क्षमता–निर्माण, पुनर्विलोकन और मानीटरिंग, संयोजनों/नेटवर्किंग, जानकारी को साझा और प्रचार–प्रसार करने तथा वकालत के लिए भी आबंटित किए जाने चाहिएं।
- राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रमुख संस्थागत खिलाड़ी के रूप में, विभिन्न राज्यों में विशेष प्रकोष्ठों के भिन्न–भिन्न माडलों के अनुभवों को साझा करने के लिए कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित कर सकता है। इससे दिल्ली पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दलों के लिए अन्य माडलों को देखना सुलभ होगा।
- राष्ट्रीय महिला आयोग, यह सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजनाएं तैयार कर सकता है कि विशेष प्रकोष्ठ, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए अधिक सुगम्य बनकर अपने उद्देश्यों को पूरा करें क्योंकि ये दिल्ली के प्रत्येक जिले में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ–साथ, इसका हिंसा से प्रभावित महिलाओं तक पहुंचना भी आवश्यक है जिससे कि वे हिंसा के चक्र से बाहर आने में समर्थ हो सकें।
- महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए समय–समय पर पुनश्चर्या जानकारी प्रदान करके और कम से कम अर्ध–वार्षिक रूप से कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करने में सहायता के लिए एक स्थानीय संसाधक सहायता समूह का सृजन किया जाए जिसमें लिंग विशेषज्ञ, प्रशिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ताओं और जांच अधिकारियों के क्षमता–निर्माण के लिए शिक्षाविद् शामिल हों।
- संभवतः, टी.आई.एस.एस., महिलाओं द्वारा झेली जा रही हिंसा की किस्मों की प्रवृत्तियों और उस प्रभाव की परीक्षा करने के लिए, जो ऐसे प्रकोष्ठ अपनी पहुंच के माध्यम से उनके जीवन पर डाल रहे हैं, पुलिस दल के साथ डाटा विश्लेषण का वृहत्तर मुद्दा पैदा कर सकता है। इससे यह प्रतिबिंबित करने में सहायता मिलेगी कि क्या आवश्यक है और महिलाओं की आवश्यकताओं और प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए रणनीतियां कैसे तैयार की जाएं।
- टी.आई.एस.एस. राष्ट्रीय महिला आयोग की भागीदारी से ऐसे पड़ोसी राज्यों के बीच, जिनमें विशेष प्रकोष्ठ हैं, आर–पार शिक्षा प्रक्रिया को समृद्ध करने के लिए शिक्षण–साझा कार्यशालाएं आयोजित कर सकता है।

3.15 आर्थिक विकास न्यास द्वारा "बिहार के सुपॉल जिले के ग्रामों में महिला साक्षरता का प्रभाव" विषय पर संचालित अनुसंधान अध्ययन की मुख्य सिफारिशें संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:–

(i) **शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीविका कार्यक्रम की दशा में:**

- जीविका का ताना–बाना, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अपनाकर और चलत–बस पुस्तकालय–एवं–शिक्षण सुविधा के माध्यम से आधारभूत स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने से जोड़ा जाना चाहिए; और
- जीविका कार्यक्रम में उन्हें पढ़ाने और 'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान(एन. आई.ओ.एस.)' के माध्यम से परीक्षा देने के लिए सक्षम बनाने हेतु सेवानिवृत्त जिला स्तर के पदाधिकारियों और अध्यापकों और सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों से सहायता ली जानी चाहिए और उनका पैनल बनाया जाना चाहिए।

(ii) **कृषि उत्पादों का कीमत-नियतन:**

- ठेका कृषि तथा निर्यातकर्ताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, खाद्य सुपर बाजारों और कृषि उपज के अन्य व्यापारियों द्वारा प्रत्यक्ष क्रय के अभाव में, यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाए जाए कि लघु और सीमांत कृषक ग्राम में फसलों की उचित कीमत प्राप्त करें;
- बिहार में कुल कृषि क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक कृषक लघु और सीमांत कृषक हैं और वे उचित कीमत प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। वे ठेका कृषि और प्रत्यक्ष क्रय कीमतों की ईप्सा करने के लिए न्यूनतम मानदंड का भी काम करते हैं;
- फसल के लिए उचित कीमत की व्यवस्था की जाए। वर्तमान में, कृषक तुरंत नकदी प्राप्त करने के लिए ग्राम के आड़तिया (ग्राम के बाजार में फसल का थोक विक्रेता) को विक्रय करने के लिए बाध्य हैं;
- अनेक खंडों में सड़क निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पहुंच मार्ग चिन्ता के क्षेत्र हैं। अस्पताल सेवा, सड़कों, स्कूलों, आंगनवाड़ी में नवीकरण अपेक्षित है। सुपाल में अधिकांश स्थानों पर, हैंड–पंप ही पीने के प्रयोजन के लिए पानी प्राप्त करने का एकमात्र नियमित तरीका है। ग्रामों में प्रत्येक जगह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता है। डोगमारा में गांव के लोग अधिकतर श्रमिक के रूप में नियोजित हैं और उन्हें सुधार के लिए वैकल्पिक रोजगार विकल्पों की आवश्यकता है;
- महिलाओं को उच्चतर शिक्षा, नियोजन, बचत, गतिशीलता और पूंजी उत्पादन आदि क्षेत्रों में सशक्त करने की आवश्यकता है;

- शिक्षित महिला उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्यम आरंभ करने के लिए सुविधाओं से अवगत कराने की आवश्यकता है; और
- स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी स्कीमों से अधिकतम फायदा प्राप्त किया जाए।

3.16 कुन्दन वेलफेयर सोसायटी, गुड़गाव द्वारा "राजस्थान में दलित महिलाओं के प्रति हिंसा" विषय पर संचालित अनुसंधान अध्ययन की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) लिंग और जाति के आधारों पर सभी दांडिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक डाटा को अलग–अलग किया जाए;

(ii) दलित महिलाओं के लिए दंडमुक्ति पर विचार करने और दांडिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार और कार्यान्वित की जाए;

(iii) सुसंगत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को, विधिक रूप से बाध्यकारी सिफारिशें करने और दलित महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और हिंसा से छुटकारा पाने के लिए एक स्वतंत्र शिकायत और मानीटरिंग प्रणाली स्थापित करने में समर्थ बनाने के लिए शक्तियां अनुदत्त की जाएं;

(iv) ऐसी घरेलू हिंसा (निवारण और संरक्षण) विधियां अधिनियमित की जाएं जिसमें दलित महिलाओं की विलक्षण भेद्यता को स्वीकार किया जाए, पर्याप्त संसाधन आबंटित किए जाएं और इन विधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक मानीटरिंग सुनिश्चित की जाए;

(v) दलित महिलाओं को अपने ही समुदाय में सामाजिक, घरेलू और विकास संबंधी मुद्दों पर निर्बाध रूप से चर्चा करने के लिए और स्थानीय शासन ढांचों के भीतर नेतृत्व को मजबूत करने में समर्थ बनाने के लिए औपचारिक संगठन स्थापित करने में समर्थन प्रदान किया जाए;

(vi) संसद्, राज्य विधानमंडलों और स्थानीय शासन तंत्रों, आदि में सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए दलित महिलाओं के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाया जाए;

(vii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों के प्रभावी प्रवर्तन की मशीनरी को बुनियादी स्तर पर, अर्थात् पुलिस थानों में ऐसे पृथक् प्रकोष्ठ बनाकर जिनमें ऐसे मामलों पर कार्यवाही करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी हों, अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता है;

(viii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 में, जिसका संबंध 'कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड' से है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के लोक सेवकों को शामिल करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है;

(ix) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 के अधीन रजिस्ट्रीकृत 10 प्रतिशत से अधिक मामलों की परिणति निचले न्यायालयों में दोषसिद्धि में नहीं होती, जिसके कारण अन्वेषकों की ओर से और विचारण और न्यायिक स्तरों पर निष्पक्षता बरते जाने के बारे में प्रश्न उद्भूत होते हैं । राज्यों को ऐसे सभी मामलों का पुनर्विलोकन करने और इस बात का पता लगाने के लिए निर्देश जारी किए जाएं कि निचले न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतर न्यायालयों में अपील क्यों नहीं फाइल की जा सकी;

(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रवर्तन पर पुलिस थाने से लेकर न्यायालय के स्तर तक उपगत होने वाला शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाए;

(xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामले लड़ने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की शर्त का भी पूर्णतः पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है क्योंकि यह उपबंध औपचारिकता मात्र रह गया है। परिणामस्वरूप, अनेक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विचारणाधीन व्यक्ति विधिक सहायता से वंचित हो गए हैं और वे अभियोजित या दंडित किए बिना लंबी अवधियों से जेल में बन्द पड़े हैं। उन्हें जमानत पर छुड़ाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता जबकि वे केवल छोटे–मोटे अपराधों के अभियुक्त हैं;

(xii) दलित महिलाओं के लिए समर्थकारी वातावरण सुनिश्चित किया जाए जिससे कि उन्हें उन व्यवधानों की पहचान करके और उन्हें हटाकर, जिन्हें इन महिलाओं को न्याय तक पहुंचने के समय झेलना पड़ता है, औपचारिक न्याय सुगम बनाया जा सके;

(xiii) यह सुनिश्चित किया जाए कि विधि प्रवर्तन अभिकरणों और अन्य राज्य तंत्रों, कल्याण विभागों, चिकित्सा और पराचिकित्सा अभिकरणों, स्थानीय निकायों, आदि को दलित महिलाओं और उनके समुदाय की शिकायतों का प्रभावी रूप से निपटारा करने के लिए संवेदनशील बनाया जाए;

(xiv) दलित महिलाओं और शेष जनसंख्या के बीच विकासात्मक अंतर को नियत समय–सीमा के भीतर कम करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से प्रयासों में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय भावी योजना तैयार की जाए;

(xv) पुलिस, न्यायपालिका, विधिक व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में दलित महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्यात्मक नीतियां पुरःस्थापित की जाएं;

(xvi) दलित महिलाओं की स्थिति, विशेषकर सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में डाटा को अलग–अलग किया जाए और उसका प्रचार–प्रसार किया जाए;

(xvii) सरकार को, विधियों का प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन सुनिश्चित करते समय, उस दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह पर भी विचार करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप हिंसा होती है और दंडमुक्ति की संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें समता को बढ़ावा देने के लिए जन अभियान चलाने चाहिएं और जाति पर आधारित भेदभाव को चुनौती देनी चाहिए;

(xviii) गैर–दलित समुदायों और पुरुषों के बीच संवाद के संचालन और उनके संवेदीकरण को प्रोत्साहित करके जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव को चुनौती देने के लिए प्रक्रियाएं आरंभ की जाएं;

(xix) स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में हिंसा और भेदभाव के नए रूपों पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए, उनका निपटारा किया जाना चाहिए तथा उन्हें एस.सी.(पी.ओ.ए.) के अंतर्गत लाना जाना चाहिए;

(xx) दंड न्याय प्रणाली को अधिक जवाबदेह और प्रतिक्रियाशील बनाया जाना चाहिए। वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी इसमें सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं;

((xxi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के बारे में सही और समय पर जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए और दलित महिलाओं को तुरंत विधिक सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिएं तथा चिकित्सा स्थापनों को मानीटर किया जाना चाहिए;

(xxii) पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने और महिलाओं, विशेषकर दलित महिला सरपंचों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है;

(xxiii) दलित महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा के लिए विधियों का सख्त और पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए और 'अस्पृश्यता' की प्रथा का उत्सादन सुनिश्चित करने के उपायों को कार्यान्वित किया जाए; और

(xxiv) उस दलित महिला को, जो हिंसा की रिपोर्ट करती है, अभियुक्तों द्वारा बदला लिए जाने से संरक्षा प्रदान की जाए और उसके विरुद्ध नए सिरे से हिंसा कारित किए जाने को निवारित किया जाए।

3.17 ओडिशा में "रीचिंग द अनरीच्डः कारागार भुगत रही माताओं के बालकों की स्थिति" विषय पर अनुसंधान अध्ययन की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) आश्रय–गृह में रह रहे बालकों को राज्य सरकार के सभी फायदों और स्कीमों में शामिल करना;

(ii) महिला बन्दी के प्रत्येक बालक के लिए नियत मासिक भत्ता अनुज्ञात करना;

(iii) मानसिक स्वास्थ्य और ट्रामा देखरेख के संबंध में परामर्श सेवा की व्यवस्था;

(iv) आश्रय–गृहों में रहने वाले बालकों की प्रत्येक छमाही में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच;

(v) आश्रय–गृहों में रुकने वाले युवाओं की शिक्षा, व्यक्तिगत सफाई और स्वच्छता;

(vi) आश्रय–गृहों में युवा लड़कियों को नियमित आधार पर सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं;

(vii) शिक्षा संस्थाओं को बन्दियों के बालकों को किसी भी समय स्वीकृत स्थानों से परे अतिरिक्त स्थान सृजित करके प्रवेश देना चाहिए। उन्हें ट्यूशन फीस, परीक्षा फीस से छूटप्राप्त होनी चाहिए और उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए;

(viii) ऐसी माताओं के, जिनकी बच्चे 0–12 वर्ष के आयु–प्रवर्ग में आते हैं, मामलों को फास्ट ट्रैक के आधार पर चलाया जाए;

(ix) महिला बन्दियों के साथ आने वाले 0–5 वर्ष के आयु समूह वाले बच्चों को उनके साथ विशेष रूप से व्यवस्थित शिशु–गृहों में रखा जा सकता है;

(x) आश्रय–गृहों को वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें बालकों की पर्याप्त देखरेख करने में समर्थ बनाया जा सके;

(xi) महिला बन्दियों में, उन विधिक उपबंधों के बारे में, जो उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में है, जागरुकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जाए;

(xii) सभी जिला मुख्यालयों में आश्रय–गृह स्थापित किए जाने चाहिएं जिससे कि उन्हें सुरक्षित और उचित देखरेख और ध्यान सुनिश्चित किया जा सके;

(xiii) राष्ट्रीय सर्वोत्कृष्ट स्कीमों, जैसे कि बालकों के लिए एस.एस.ए., आई.सी.डी.एस. में बन्दियों के बालकों को भी शामिल किया जाना चाहिए;

(xiv) अपनी माताओं से दूर रहने वाले बालकों के ट्रामा और पीड़ा को कम करने के लिए व्यक्तिगत परामर्शी सत्र आयोजित किए जाने चाहिएं।

3.18 राष्ट्रीय शिशु–गृह और दिवस देखरेख सुविधा कार्यक्रम के संबंध में विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की हैं:–

(i) 8 घंटे की अवधि का एक शिशु–गृह कार्यक्रम, जिसमें माता–पिता की आवश्यकताओं

के अनुरूप समय–सारणी, पर्याप्त स्थान और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और वैतनिक कार्मिक हों, आरंभ किया जाए;

(ii) मातृभाषा या देशी भाषा में आयु और विकास की दृष्टि से समुचित बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रेरित करना और शीघ्र शिक्षण क्रियाकलाप भी हैं, आरंभ किया जाए;

(iii) दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त पोषण सुनिश्चित किया जाए;

(iv) अद्यतन स्वास्थ्य कार्ड सहित नियमित स्वास्थ्य जांच और विकास मानीटरिंग कराई जाए;

(v) विकास की दृष्टि से उपयुक्त खिलौने और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए;

(vi) बच्चों के अनुकूल पर्याप्त और पृथक् शौचालय और हाथ धोने की सुविधाएं प्रदान की जाए;

(vii) भवन संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित होना चाहिए और उसमें आसानी से पहुंचा जा सके तथा पहुंच के संबंध में आई.सी.डी.एस. मानकों का अनुसरण किया जाए । इसके चारों और स्वच्छ हरा–भरा क्षेत्र होना चाहिए;

(viii) पर्याप्त और सुरक्षित पेय जल, अधिमानतः बहता जल, सफाई के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जाए;

(ix) बच्चों के अनुकूल पर्याप्त और पृथक् शौचालय, जिसमें मलमूत्र के व्ययन के लिए समुचित सीवरेज/सोक पिट हो, व्यवस्था की जाए;

(x) पौष्टिक भोजन पकाने के लिए पृथक् स्थान और बर्तन उपलब्ध कराए जाएं;

(xi) 3–6 वर्ष के लिए 1:15 और तीन वर्ष से कम आयु के लिए 1:8 वयस्क, बाल–देखरेख दाता अनुपात की व्यवस्था की जानी चाहिए;

(xii) कोई भी शिशु–गृह एक ही कार्यकर्ता की सहायता से नहीं चलाया जाएगा; और

(xiii) बच्चों को किसी भी समय अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

## सेमीनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों की सिफारिशें

3.19 स्मार्ट शहरों को लिंग समावेशी और लिंग संवेदी बनाने के लिए उपबंधों का सुझाव देने के लिए भारतीय स्त्री शक्ति, मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रत्यायोजित 'समावेशी लिंग सशक्तीकरण पर संकेन्द्रित स्मार्ट शहर' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। मुख्य सिफारिशों में वेश्यापूर्ण क्षेत्र (रैड लाइट एरिया) में अच्छी अवसंरचना का उपबंध करना और पुनर्वास के लिए समग्र

प्रयास करना और महिलाओं के सभी वर्गों के लिए, विशेषकर प्रवासियों और समाज के अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए नगरपालिकाओं और महिला सहकारी समितियों द्वारा कौशल विकास के लिए परामर्शी और प्रशिक्षण सुविधाओं सहित रोजगार का सृजन करना शामिल है। उद्यमियों के लिए अनुज्ञप्ति, ब्रांडिंग, बार कोडिंग, पैकेजिंग, बाजार श्रृंखला, ई–कामर्स आदि के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एकल स्थल केन्द्र स्थापित करना। नगरपालिका परिषदों की स्थायी समिति में महिला पार्षदों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए जिससे कि वे नीति तैयार करने में समान रूप से भाग ले सके। कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल, महिलाओं के लिए अल्पावास और राहगीर महिलाओं के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए। ऐसे क्रियाकलापों का प्रधान मंत्री आवास योजना के साथ सम्मिलन सुनिश्चित किया जाए जिससे कि महिलाओं के लिए आवासन और महिला भवन–निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण–स्थलों पर वास सुविधा सुकर बनाई जा सके। ऐसे भवन–निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया जाए, जो बुजुर्गों के लिए विशेष स्कीमों की पेशकश करते हैं। प्रत्येक पुलिस थाने में सक्रिय महिला डेस्क, पुलिस कार्मिकों का व्यवहार कुशल प्रशिक्षण, आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नियंत्रण–कक्ष और सुरक्षित परिवहन सुविधाओं सहित पर्याप्त खेलकूद और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

3.20 मुस्लिम महिलाओं के संबंध में "मुसलमान औरतों की आवाजः सड़क से संसद् तक" विषय पर एक राष्ट्रीय कन्वेशन का आयोजन आवाज–ए–निस्वान, मुम्बई, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 27–29 फरवरी, 2016 को किया गया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए प्राण, गरिमा, समता के मूल अधिकार और धर्म और अभिव्यक्ति की भेदभाव–रहित स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इसमें यह सिफारिश की कि मुस्लिम लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम और खंड स्तरों पर मुस्लिम महिला छात्रों को निःशुल्क होस्टल सुविधा और अल्पावास गृह उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। इसमें यह सिफारिश की गई कि मदरसा स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा और भाषा पाठ्यक्रमों को आरंभ किया जाए और मदरसों को आधुनिक बनाया जाए। सरकारी योजनाओं और हकदारियों का, जिनके अंतर्गत पहचान कार्ड बनाना, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, जीविका, राशन, पेंशन आदि हैं, लाभ उठाने के लिए एकल खिड़की स्वीकृति और उपयोक्ता–अनुकूल प्रक्रियाएं चालू की जाएं। मुस्लिम युवाओं, विशेषकर मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं के कौशल विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। समान अवसर आयोग का गठन करने पर विचार किया जाए, जो कि सभी व्यक्तियों के लिए गैर–भेदभाव और समान नागरिकता के मूल अधिकारों को सुनिश्चित कर सकता है। मुस्लिम आबादियों में आई.सी.डी.एस. की पहुंच को बढ़ाया जाए। इन्दिरा आवास योजना में कतिपय प्रतिशत मकान मुसलमानों के लिए निर्धारित किए जाएं। साधारण रूप से महिलाओं और विशेष

रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए उच्चतर शिक्षा लेने या लाभप्रद नियोजन के लिए अपने जन्म संबंधी/वैवाहिक गृह से बाहर रहने संबंधी सहायता प्रदान की जाए। अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक ब्यौरे सहित सूचनात्मक नीति गठन और प्रभावी विकास हस्तक्षेप के लिए अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक और नियोजन स्थिति के दस्तावेजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डाटा बैंक सृजित करने और बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के समस्त मंत्रालयों और विभागों में मुस्लिम जनसंख्या के लिए निधियां और संसाधन आरक्षित रखने के लिए जनजाति उप–योजना और अनुसूचित जाति उप–योजना के समरूप अल्पसंख्यक विशेष घटक योजना बनाने पर विचार किया जाए। सरकारी स्कीमों के बारे में अल्पसंख्यक समुदाय को जानकारी का बेहतर प्रचार–प्रसार भी आवश्यक है।

3.21 हैदराबाद के चुने गए खंडों में आजीविका क्रियाकलापों के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक समावेश विषय पर सफा सोसाइटी, हैदराबाद द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित थी। इसमें यह सिफारिश की गई कि राज्य अभिकरणों को सक्रिय रूप से ऐसी नीतियां विकसित और क्रियान्वित करनी चाहिएं जो मुस्लिम महिलाओं और साधारण रूप से मुस्लिम समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए तैयार की गई है जिससे कि भारतीय नागरिकों के रूप में सार्वजनिक जीवन में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके। प्रशासन को मुस्लिम महिलाओं के लिए आशयित कार्यक्रमों तथा चालू राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मुस्लिम महिलाओं के लिए प्राथमिक और गौण शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर्गत नए और अपारंपरिक क्षेत्र शामिल किए जाने चाहिएं, जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, प्रशीतन आदि। विभिन्न सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों के संबंध में मुस्लिम महिला समुदाय के बीच जागरुकता को बढ़ाया जाना है। मनरेगा को मुस्लिम महिला शिल्पकारों के पारंपरिक व्यवसाय से जोड़ने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए बैंक का ऋण एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि निर्धन मुस्लिम महिलाओं को आसानी से उधार मिल सके। स्वास्थ्य की ईप्सा करने के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता करने के लिए मुस्लिम संस्कृति के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं की उपलभ्यता और सुगमता सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा मुस्लिम महिला समुदाय के लिए विशेष अभियान आरंभ किए जाने चाहिएं क्योंकि विभिन्न अन्य नागरिकता संबंधी अधिकारों का उपभोग करने के लिए मताधिकार आवश्यक है।

3.22 "शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अकेली महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले आवास–सुविधा की उपलभ्यता से संबंधित मुद्दे" विषय पर जय मां भवानी प्रतिष्ठान, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित संगोष्ठी की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) अपने घरों से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं या नियोजन, आदि के लिए प्रशिक्षित की जाने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती होस्टल वास–सुविधा की व्यवस्था की जाए;

(ii) वास–सुविधा की उपलभ्यता के संबंध में विधियों और नियमों के बारे में समुचित शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम और संगोष्ठियां आरंभ की जाएं;

(iii) अकेली महिला के लिए आवास के संबंध में भारत में प्रचलित विधियों और नियमों के संबंध में जागरुकता शिविर आयोजित किए जाएं; और

(iv) दहेज विधियों, लैंगिक विधियों और महिलाओं से संबंधित अन्य विधियों के बारे में संगोष्ठी/शिविर आयोजित करने के लिए विधियों और अधिनियमों के बारे में समुचित दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

3.23 "सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षाः योजना और डिजाइन प्रणाली" विषय पर अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) स्कूल पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता सन्निहित करना, राष्ट्रीय और नगर स्तर पर लिंग–वार अलग–अलग किए गए सही आकड़े का संग्रहण, विश्लेषण और प्रचार–प्रसार;

(ii) समाज में लिंग संवेदीकरण के माध्यम से लैंगिक जागरुकता और क्षमता–निर्माण और सभी स्तरों पर लैंगिक बजट तैयार करना तथा महिलाओं के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आरंभ करना;

(iii) महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा का मुकाबला करने के उद्देश्य वाली नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और परिणामों के लिए महिला संगमों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना;

(iv) महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए अर्थपूर्ण नगरपालिक बृहत योजनाएं और पहल विकसित करना, लड़कियों और महिलाओं में विश्वास और आत्म–सम्मान पैदा करने की दृष्टि से उनके लिए सुरक्षित स्थानों हेतु संसाधन आबंटित करना;

(v) महिलाओं और लड़कियों के लिए विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराना जिससे कि वे स्कूल, घर, काम पर और सरकारी कार्यालयों में हर समय आसानी से आ–जा सकें;

(vi) संपूर्ण शहर में, विशेष रूप से कोने–कोने, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए;

(vii) महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, विशेष रूप से ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में जागरुकता कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए; और

(viii) महिलाओं और हिंसा से पीडितों के लिए सार्वजनिक सेवाओं या सिविल सोसाइटी और गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से पर्याप्त आपातकालीन सेवाओं का उपलब्ध सुनिश्चित किया जाए।

3.24 महिला सशक्तीकरण और सामाजिक विकास विषय पर जी. एच. जी. खालसा कालेज, लुधियाना, पंजाब द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की मुख्य सिफारिश, लैंगिक संवेदीकरण और महिला सशक्तीकरण के लिए मीडिया, फिल्मों और विज्ञापन अभिकरणों को प्रभावित करने वाली महिलाओं से संबंधित भिन्न–भिन्न मुद्दों पर जानकारी का बेहतर प्रचार–प्रसार करना और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की अधिक से अधिक लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास करना है जिससे कि वे स्वतंत्र बन सकें।

3.25 "महिला–प्रधान परिवारों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते समय मुद्दे और परेशानियां" विषय पर अमृत विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, जैसे तनाव, भावनात्मक अशांति और आत्महत्या के प्रयासों पर वृत्तिक रूप से विचार किया जाना चाहिए, मानसिक–सामाजिक देखरेख ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी देखरेख का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए; और महिलाओं और परिवार के सदस्यों को निर्बाध संचलन में समर्थ बनाने के लिए उनकी शारीरिक विकलांगता का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए;

(ii) अकेली महिलाओं के बच्चों को छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और बाल विवाह की बुराइयों के बारे में जागरुकता पैदा करने के काम को तेज किया जाए;

(iii) महिलाओं को आय उत्पादन के क्रियाकलापों में आलिप्त होने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं और महिलाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाने चाहिएं;

(iv) महिलाओं को स्वरोजगार आरंभ करने के लिए सांपार्श्विक प्रतिभूति के बिना बैंक उधार दिए जाने चाहिएं;

(v) विपरीतलिंगियों (ट्रांसजेंडर्स) को महिला–प्रधान परिवार की सभी सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए;

(vi) महिला–प्रधान परिवारों वाले क्षेत्रों में विशेष अनुसंधान कराया जा सकता है;

(vii) महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियों का रजिस्ट्रीकरण पति और पत्नी दोनों के नाम में किया जाना चाहिए;

(viii) पति के परिवार से पत्नी और बच्चों के लिए मिलने वाले भरण–पोषण के संबंध में विधिक उपबंधों के बारे में और घरेलू हिंसा से संबंधित विधियों के बारे में जागरुकता पैदा की जाए;

(ix) ऐसी महिलाओं को, जिन्हें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है, परामर्शी सेवाएं अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिएं और गैर–सरकारी संगठन जमीनी स्तर पर पुनर्वास कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं;

(x) वर्दीधारी सेवाओं में की महिलाओं को अपने बालकों की शिक्षा का ध्यान रखने के लिए सेवा के 20 वर्ष पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया जाना चाहिए; और

(xi) प्रवासी अकेली महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।

3.26 'महिलाओं के प्रति हिंसा – सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण केन्द्रों पर छेड़छाड़" विषय पर हील इंडिया, पटना, बिहार द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित राज्य स्तरीय परामर्श एवं संगोष्ठी की मुख्य सिफारिशों का संबंध भेद्यता कम करने के लिए महिलाओं का सशक्तीकरण करने और महिलाओं के प्रति हिंसा से संबद्ध मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने के लिए महिला समूहों का सृजन करने और विभिन्न विधियों के संबंध में कानूनी जागरुकता कार्यशालाएं आयोजित करने और सभी हितधारकों के लिए लिंग संवेदीकरण से है।

3.27 "कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण; लिंग के संबंध में सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का समालोचनात्मक विश्लेषण" विषय पर विशाला महिला मंडली, आनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित संगोष्ठी की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) व्यावसायिक प्रशिक्षण को नियोजन की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नम्य और प्रतिक्रियाशील बनाया जाए;

(ii) यह भी महत्वपूर्ण है कि परंपरावादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बजाय उन्हें बदला जाना चाहिए और लड़कियों को नए कैरियर विकल्पों के लिए प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना चाहिए;

(iii) युवाओं की उद्यमशीलता की पहलों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए नियोजन और नियोजन के पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही के लिए एक प्रणाली लागू की जाए;

(iv) महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राज्य–व्यापी नीति तैयार की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं में समुचित अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाए;

(v) महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के मामलों में ट्रैक न्यायालय विचारण;

(vi) अपराधों की शिकार महिलाओं को धनीय अनुतोष और अर्थपूर्ण जाविका के माध्यम से पुनर्वास के रूप में अनुतोष प्रदान किया जाए;

(vii) ग्राम सभा स्तर पर महिलाओं की भागीदारी के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता संवेदी कार्यक्रम और ग्राम के मुखिया से बातचीत का आयोजन किया जाए;

(viii) विधियों के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान की जाए;

(ix) विद्यालयों में लिंग–संवेदी पाठ्यक्रम आरंभ किया जाए और शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, गैर–सरकारी संगठनों और समुदाय, आदि की भागीदारी और सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए;

(x) महिलाओं और बालकों से संबंधित सामाजिक विधानों और कल्याण के संबंध में कार्यवाही करने वाले सभी सरकारी विभागों में तालमेल स्थापित करना, विकल्प सृजित करने के लिए संस्थाओं की बजाय अभ्यर्थियों का वित्तपोषण करने पर ध्यान केन्द्रित करना;

(xi) भवन और अन्य आस्तियों की बजाय क्रियाकलापों के लिए अधिक निधियां लगाना;

(xii) अभ्यर्थियों को रोजगार, प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण की ओर मोड़ने के लिए रोजगार कार्यालयों को व्यवसाय मार्गदर्शन केन्द्रों के रूप में पुनर्गठित किया जाए;

(xiii) कौशल असंतुलन को श्रम बाजार के रूप में मांग की पूर्ति करके कम किया जाए;

(xiv) क्षमताओं की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य मानदंडों के अनुरूप मान्यता और प्रमाणन;

(xv) विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को क्रियान्वित किया जाए, विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा के दौरान कौशल, जीवन कौशल और उद्योग विनिर्दिष्ट कौशल दोनों में शिक्षा प्रदान की जाए।

3.28 कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण के बारे में जागरुकता पैदा करने के संबंध में अक्का महादेवी महिला मंडल, बीदर, कर्नाटक द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) समस्त कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना और सी.सी.टी. वी. कैमरे लगाना;

(ii) महिलाओं के कार्यस्थल पर सुझाव पेटी रखना;

(iii) अपनी सरकारी वैबसाइट पर आंतरिक शिकायत समितियों के विवरण प्रदर्शित करना;

(iv) ऐसे अपराधियों के लिए, जो महिलाओं को तंग करते हैं, कठोर शास्तिक विधि बनाना, जिसके अंतर्गत कारावास और भारी शास्ति भी है; और

(v) खंड, ग्राम, पंचायत और तालुक तथा जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर सृजित करना और उसे क्रियाशील बनाना।

3.29 "शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न" विषय पर हेमचन्द्राचार्य उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, पतन, गुजरात द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित संगोष्ठी की सिफारिशों के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:–

(i) शैक्षिक संस्थानों, जिसके अंतर्गत विद्यालय भी हैं, महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के बारे में सार्वजनिक राय और जागरुकता पैदा करना;

(ii) प्रशासन की ओर से आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य बनाना और आंतरिक शिकायत समितियों को सुदृढ़ करना;

(iii) आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण;

(iv) लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों से संबंधित कार्यक्रमों में पुरुषों और महिलाओं, दोनों की समान भागीदारी; और

(v) छात्रों को उस सुविधा के बारे में स्पष्ट करने के लिए, जो सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सृजित की है, पुलिस के महिला प्रकोष्ठ को संस्थानों में बुलाया जाना चाहिए।

3.30 "निःशक्त महिलाओं द्वारा अपनी सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच रखने में सहन की जाने वाली बाधाएं" विषय पर यूनीक विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशें निम्न प्रकार हैं;–

(i) निःशक्त महिलाओं के संबंध में मामला अध्ययन और प्रेरणा–स्रोत कहानियां तैयार की जाए और उनका व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाए;

(ii) एक ऐसा राष्ट्रीय आंकड़ा–कोष विकसित किया जाए, जिसमें निःशक्त महिलाओं के बारे में जिला–वार/राज्य–वार आकड़ा अंतर्विष्ट हो;

(iii) ऐसे मुकदमों पर कार्यवाही करने के लिए, जिनमें निःशक्त महिलाएं अंतर्वलित हों, विधिक प्राधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाए;

(iv) प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सेमीनारों के संचालन के लिए नई संकेत भाषा संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिएं;

(v) सार्वजनिक स्थानों, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा हाल और बाजार में आने–जाने की सुगमता के संबंध में लेखापरीक्षणों का संचालन किया जाए;

(vi) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित सभी सरकारी स्कीमों का डिजिटलीकरण किया जाए और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। डिजिटल इंडिया अभियान सुगम्य इंडिया अभियान के सहयोग से चलाया जाना चाहिए;

(vii) जिला ओर राज्य स्तर पर, निःशक्त महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करने, उनका समाधान ढूंढने और उनकी सफलता की कहानियां दिखाने के लिए अनेक संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की जाएं;

(viii) निजी और पब्लिक सेक्टर को निःशक्त महिलाओं को नियोजित करने और निगमित क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के बीच संवाद के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार करने की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बनाया जाए।

3.31 "उपेक्षित महिलाओं, अविवाहित माताओं और कठिन परिस्थितियों वाली महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकार और विद्यमान स्थिति" विषय पर धरती फाउंडेशन, कालाहंडिया, ओडिशा द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय स्तर के परामर्श की सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(i) शोषणात्मक लैंगिक संबंधों से छुटकारा पाने के लिए कानूनी समर्थन और अधिकार संबंधी शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए;

(ii) सामाजिक सहायता समूह (एस.एस.जी.) के माध्यम से मनोवैज्ञानिक समर्थन बढ़ाने के लिए आवश्यक मध्यक्षेप आरंभ किए जाएं जो कि अविवाहित माताओं के सामाजिक जीवन की बेहतर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और उनके प्रभावी सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं;

(iii) जनजाति समुदायों तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए सार्वजनिक अभियान आरंभ किए जाएं और संचार मीडिया का उपयोग किया जाए;

(iv) मनोवैज्ञानिक–सामाजिक देखरेख और व्यष्टि विनिर्दिष्ट नैदानिक सामाजिक कार्य मध्यक्षेपों के माध्यम से, जैसे संकट हस्तक्षेप, व्यक्तिगत और पारिवारिक परामर्श और गृह मुलाकातों की व्यवस्था की जाए;

(v) उन्हें अपनी स्थानीय भाषा में जानकारी का सुगम अंतरण सुकर बनाने में सहायता करने के लिए शिक्षित जनजाति स्वयंसेवकों के माध्यम से अनुकूलित शैक्षिक और साक्षरता सेवाओं का विस्तार करना; और

(vi) लाभप्रद नियोजन के अवसर सृजित करना और सामाजिक स्वीकृति में सुधार लाने की दिशा में काम करना और अविवाहित माताओं को सामुदायिक और सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में एकीकृत करना।

3.32 राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के सहयोग से राष्ट्रीय महिला प्रारूप नीति, 2016 के संबंध में जानकारी की ईप्सा करने के लिए पांच भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में पांच क्षेत्रीय परामर्शों का संचालन कियाः पश्चिमी क्षेत्रः मुम्बई, महाराष्ट्रः दक्षिणी क्षेत्रः हैदराबाद, तेलंगाना; उत्तरी क्षेत्रः नई दिल्ली; पूर्वी क्षेत्रः भुवनेश्वर, ओडिशा; और पूर्वोत्तर क्षेत्रः गुवाहाटी और अपनी सिफारिशें/जानकारी महिला और बाल विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराई।

**********

अध्याय-4

# अनिवासी भारतीय (एनआरआई) प्रकोष्ठ

4.1 काफी समय से, अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न करने की बाबत बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही है। उत्पीड़न की प्रकृति अलग–अलग हो सकती हैं और इसी प्रकार मामलों की जटिलाएं भी अलग–अलग हो सकती हैं। तत्कालीन प्रवासी भारतीय (कार्य) मंत्रालय के तारीख 28 अप्रैल, 2009 के पत्र सं. ओआई–19021/3/2006–एसएस द्वारा अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित विवाद्यकों पर कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल/समन्वय अभिकरण के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग को नामनिर्दिष्ट किया गया है। तारीख 24 दिसंबर, 2009 से अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। इस प्रकोष्ठ को, महिलाओं के अधिकारों के किसी वंचन या ऐसे विवाह में महिलाओं के साथ हुए घोर अन्याय के किसी विवाद्यक में भारत और विदेश से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने को अधिदिष्ट किया गया है। यह प्रक्रिया अनिवासी भारतीय विवाहों के समस्यामूलक विवाद्यकों के साथ तालमेल बनाने में सफल रही है और व्यथित महिलाओं को उनकी गरिमा के अनुसार उचित हल अभिप्राप्त कराने में समर्थ रहीं है।

4.2 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को जो मुख्य कृत्य और उत्तरदायित्व सुपुर्द किए गए हैं वे निम्नलिखित है:

(i) अनिवासी भारतीय/प्रवासी पतियों द्वारा छोड़ी गई अथवा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने और कार्यवाही करने का समन्वय अभिकरण है;

(ii) शिकायतकर्ता को हर संभव सहायता देने जिसमें पक्षकारों के बीच सुलह कराना, मध्यस्थता करना भी है और संबंधित विवाद्यकों पर शिकायतकर्ता को सलाह देना भी है;

(iii) भारत और विदेश में गैर–सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों और राज्य महिला आयोगों के साथ भागीदारी में कार्य करना तथा अनिवासी भारतीय विवाहों को सहायता सेवा प्रदान करना;

(iv) विभिन्न सरकारी अभिकरणों/संगठनों जैसे राज्य सरकारों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारतीय राजदूतावासों और विदेशी मिशन तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों आदि के साथ समन्वय स्थापित करना;

(v) विधिक मामलों में व्यथित महिलाओं को सहायता प्रदान करना;

(vi) आंकड़ा कोष/दर्ज मामलों का अभिलेख बनाए रखना और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए उनका विश्लेषण करना;

(vii) फाइल की गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करना;

(viii) अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित किन्ही नीतिगत मुद्दों पर सरकार को सलाह देना और सिफारिश करना;

(ix) विभिन्न अभिकरणों जैसे कि न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन आदि के साथ मिलकर प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना और संवेदनग्राही कार्यक्रम आयोजित करना;

(x) सुसंगत मुद्दों पर जनता के लिए जागरुकता अभियान चलाना;

(xi) दोहरी नागरिकता, नए विधान का अधिनियमन, अन्तरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर, अन्य देशों की वैवाहिक विधियों से सम्बद्ध विवाद्यकों के क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन में सहायता प्रदान करना; और

(xii) वर्ष 2016–17 के दौरान अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में 496 मामले दर्ज किए गए है। दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा राज्य–वार नीचे दिया गया है:

**2016–17 के दौरान अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में दर्ज शिकायत**

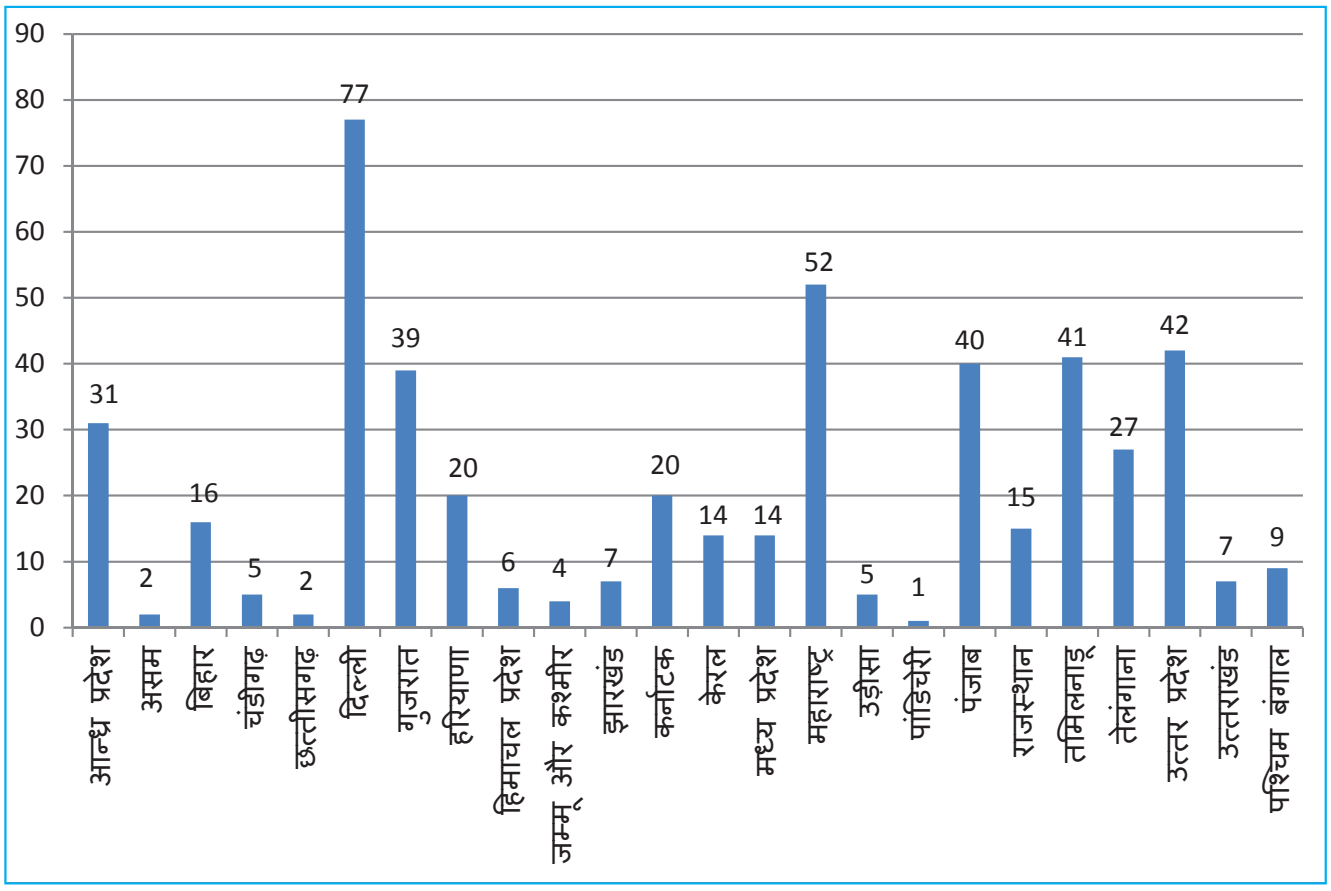

4.4 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों का मुख्य रूप से संबंध निम्नलिखित से है:

(i) पति/ससुराल के व्यक्तियों द्वारा पासपोर्ट जब्त करना;

(ii) बालक अभिरक्षा मुद्दे;

(iii) प्रत्यर्थियों के देश छोड़ने की आशंका से संबंधित शिकायतें;

(iv) अभित्यजन;

(v) दहेज की मांग;

(vi) प्रवासी भारतीय (कार्य) मंत्रालय की योजना के अधीन वित्तीय सहायता;

(vii) पत्नी को पति के देश/निवास स्थान पर न ले जाना;

(viii) पत्नी/बालकों का भरण–पोषण करने में असफल रहना;

(ix) विदेश में दस्तावेजों की तामीली;

(x) शिकायतकर्ता को पति के बारे में अता–पता न होना;

(xi) भारत में ससुराल वालों द्वारा सेवक के रूप में पत्नी का उपयोग; और

(xii) प्रकीर्ण ।

4.5 राष्ट्रीय महिला आयोग देश और विदेश के भीतर संबंधित प्राधिकारियों से सहायता प्राप्त करने के विषय पर विचार करते समय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ अधिकतर समन्वय करता है। शिकायतों की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, इनके संबंध में निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जाती है:

(i) शिकायत का संज्ञान लेने के पश्चात् विरोधी पक्षकार को शिकायत का उत्तर देने के लिए सूचना जारी की जाती है। यदि आवश्यक हो तो किसी विनिर्दिष्ट दिवस पर उपस्थित होने को सुनिश्चित करने के लिए समन भी जारी किए जा सकते हैं।

(ii) ऐसे मामलों में जहां किसी मामले का अन्वेषण लंबित है या शिकायत की बाबत समुचित कार्रवाई करने में संबंधित प्राधिकारियों के भागरूप कोई चूक होती है तब उस मामले के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा जाता है। यदि आवश्यकता हो तो शिकायतों को भारतीय राजदूतावासों/विदेश में भारतीय मिशनों को भी प्रेषित किया जाता है।

(iii) विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय से, जहां ऐसा आवश्यक हो जिसमें समनों की तामीली, जारी किए वारंट या समुचित न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश भी हैं, सहायता प्राप्त की जाती है।

(iv) लागू होने वाली योजना के अनुसार पीड़ित की सहायता के लिए विधिक और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय या विदेश में भारतीय मिशनों से भी संपर्क किया जा सकता है।

(v) पासपोर्ट से संबंधित किसी मामले में पासपोर्ट प्राधिकरण से सहायता ली जाती है।

(vi) शिकायतों को, जहां समीचीन समझा जाए, प्रतिवादी पति के नियोजको को भी प्रेषित किया जाता है;

4.6 राष्ट्रीय महिला आयोग अन्य साझेदारों के सहयोग से विचार–परामर्श/चर्चा करने के विषय पर नीति से संबंधित मामलों की परीक्षा करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग ने तेलंगाना राज्य महिला आयोग के साथ मिलकर नवम्बर, 2016 में हैदराबाद में अनिवासी भारतीय विवाहों पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की थी।

4.7 आयोग ने तारीख 30 अगस्त, 2016 को इन्टरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में ''अन्तरराष्ट्रीय बालक अपसारण और प्रतिधारण विधेयक, 2016'' पर चर्चा और प्रस्तावित प्रारूप विधान का पुनर्विलोकन करने के लिए एक परामर्श बैठक भी आयोजित की थी।

**********

अध्याय-5

# पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

5.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने, पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित क्रियाकलापों के समन्वय के लिए आयोग में पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह प्रकोष्ठ महिला सशक्तीकरण से संबंधित विषयों में, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विनिर्दिष्ट स्थानीय विधियों, रूढ़ियों, सभी संहिताओं/प्रथाओं की समीक्षा करना भी है, आयोग के भीतर और अन्य सभी हितधारकों, दोनों से समन्वय करता है और सरकार को सिफारिशें करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण आगामी पैराओं में दिया गया है।

5.2 आयोग देश भर में कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, इसलिए समाज में न्याय को अग्रसर करने के लिए साक्षरता को आवश्यक समझा जाता है। आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं से संबंधित कानूनों और अधिकारों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए विशेष पहल की हैं। आयोग ने, पूर्वोत्तर राज्यों की ऐसी महिलाओं/विद्यार्थियों को, जो दिल्ली में निवास कर रही हैं, उनके अधिकारों के बारे में और इस संबंध में कि यदि उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है तो कानून का आश्रय कैसे लेना है और किसके पास जाना है, संवदेनशील बनाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग प्रेक्षागृह, नई दिल्ली में 7 और 8 अप्रैल, 2016 को दो द्विसीय कानूनी जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विभिन्न सत्रों में विभाजित किया गया था ।

5.3 श्री किरण रिजिजु, माननीय राज्यमंत्री (गृह मंत्रालय) और डा. टी. मैन्या, माननीय संसद सदस्य ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। माननीय मंत्री ने कहा कि देश भर में महिलाएं भेद्य हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग को इनके मुद्दों को हाथ में लेने की आवश्यकता है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं को शहरों में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे यह कहा कि सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को समता का अधिकार पहले से प्राप्त है तथापि वास्तव में महिलाओं के साथ सभी प्रकार का भेदभाव बरता जाता है। उन्होंने आगे यह कहा कि इस तथ्य से ही कि हमें महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता है, यह उपदर्शित होता है कि सामाजिक व्यवस्था में कमी है और इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया और यह कहा कि ऐसे सुधारों के साथ–साथ विचारधारा में सुधार होना चाहिए क्योंकि कानून अपने आप में कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि भारत सरकार लैंगिक न्याय को वास्तविक रूप देने के लिए पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे यह कहा कि लैंगिक दृष्टि से न्यायपूर्ण विधियां केवल समर्थकारी है और वे अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती ।

5.4 इस कार्यक्रम में निम्नलिखित सत्र शामिल थेः

- साइबर अपराध और महिलाएं, जिसका प्रारंभ श्री गुरूचरण सिहं, संकाय सदस्य, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, चंडीगढ़ ने किया;
- दंड विधियां और महिलाएं, जिसका संचालन प्रोफेसर वेद कुमारी, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नोत्तरी के रूप में किया गया;
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, जिसका आयोजन श्रीमती सुधा चौधरी, विधि अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया; और
- 'शिकायत एवं अन्वेषण प्रकोष्ठ', राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रणाली को सुश्री कंचन खट्टर, समन्वयक, शिकायत एवं अन्वेषण प्रकोष्ठ द्वारा स्पष्ट किया गया।

इस कार्यक्रम में काफी लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने अनेक प्रश्न पूछे।

5.5 पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण से संबंधित विशेषज्ञ समिति की दो–द्विसीय बैठक का आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन हॉल में 20 और 21 जुलाई, 2016 को किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं को सभी क्षेत्रों में मुख्य धारा में लाने और विनिर्दिष्ट रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उनके सशक्तीकरण के तरीके और माध्यम विकसित करने से संबंधित सभी मुद्दों पर

विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी। इस विचार–विमर्श से अनेक व्यावहारिक सुझाव सामने आए।

5.6 आयोग ने इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की ऐसी महिलाओं/विद्यार्थियों को, जो दिल्ली में निवास करती हैं, उनके कानूनी अधिकारों और उन्हें इस शहर में उपलब्ध सहायता के बारे में संवदेनशील बनाने के लिए महाविद्यालय के परिसर में 17 अगस्त, 2016 को एक–दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान विधिक और अन्य मुद्दों के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर दिए गए ।

5.7 राष्ट्रीय महिला आयोग के एक दल ने मणिपुरी महिलाओं की समस्याओं और संवेदीकरण और जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता के निर्धारण करने के लिए 26 से 28 जुलाई, 2016 तक मणिपुर का दौरा किया। इस दल ने सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ कई बैठके कीं। इस दल ने 'इमा कैथेल' का भी दौरा किया और अस्थायी बाजार का निर्धारण किया क्योंकि मूल बाजार जनवरी, 2016 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बाजार के व्यापारियों ने यह शिकायत की कि अस्थायी बाजार हवादार नहीं है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि प्रस्तुत रूप में जो बाजार है उससे उनके कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस दल ने सिविल सोसाइटी और राज्य महिला आयोग के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। इस संवाद बैठक में गैर–सरकारी संगठन के 25 प्रतिनिधियों और 'मीरा पायबी' सामाजिक आंदोलन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

5.8 यह दल, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और समाज कल्याण मंत्री से भी मिला। दल ने उन्हें गैर–सरकारी संगठन की चिन्ताओं से अवगत कराया। इस दल ने, पुलिस महानिदेशक के साथ महिलाओं से संबंधित मुद्दों के संबंध में पुलिस के संवेदीकरण की आवश्यकता पर भी चर्चा की ।

5.9 राष्ट्रीय महिला आयोग ने, पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्य महिला आयोगों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। अध्ययन के पूरा होने पर संकलित की गई रिपोर्ट में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास के लिए व्यापक सिफारिशें की गई हैं। इस रिपोर्ट

की प्रतियां केन्द्रीय सरकार के नोडल विभागों और राज्यों के साथ भी आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए साझा की गई हैं।

5.10 इस रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ–साथ इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस क्षेत्र में महिला कृषकों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है:–

- मणिपुर, मिजोरम और नागलैंड में अधिकतर महिला कृषक उस भूमि की मालिक नहीं हैं जिसमें वे खेती करती हैं। संभवतः यह समस्या इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि मेघालय के सिवाय, रूढिजन्य विधियों के अधीन महिलाओं को विरासत के अधिकार प्राप्त नहीं है;
- सड़कों की खराब स्थिति, विशेषकर ग्रामों की दशा में, खराब सड़क–संयोजन की समस्या को और बढ़ा देती है;
- सिंचाई की सुविधाओं में कमी से खेती की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- वित्त की कमी ऋण पर विद्यमान ब्याज की ऊंची दर और अपर्याप्त परिक्रमी निधियों के कारण भी महिला कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- ग्राम/ग्रामों के समूह में कोई शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज बर्बाद होती है। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि उनकी कृषि उपज के परिरक्षण के लिए शीतागार सुविधा उपलब्ध हो जाने से उन्हें उनकी उत्पाद की अच्छी कीमत मिलने में सहायता मिलेगी;
- बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और इसलिए पैदावार कम है;
- अच्छी गुणवत्ता के अंथूरियम और आर्किड पैदा करने के लिए आयातित फूल बल्बों की आवश्यकता है;
- भूमि की उर्वरता कम हो गई है और कीटों की संख्या बढ़ गई है;
- कृषि उपज का विक्रय करने के लिए निर्मित विपणन शैडों की कमी है;
- सिंचाई/खेती के लिए बिजली की नियमित आपूर्ति आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं के लिए 24×7 के लिए स्वचलित/ग्रिड से अलग किफायती सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा के उत्पादन का पता लगाया जा सकता है;
- कृषि उपज के परिरक्षण के लिए और फसल की पैदावार बढ़ाने की तकनीकों के बारे में कौशल की आवश्यकता है।

5.11 इस रिपोर्ट में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट और कार्रवाई–योग्य सिफारिशें की गई हैं:

- ग्राम स्तर (लघु आकार) पर शीतागार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए; परिवहन में (प्रशीतित वैन), और/या बाजार स्थल के पास (लघु आकार–आवश्यकता के आधार पर निर्भर करता है) शीतागार की सुविधा।

- कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन किसानों के लिए विद्यमान शीतागार आर्थिक सहायता शीतागार की श्रृंखला के अनुरूप प्रस्ताव का पता लगाए जाने की आवश्यकता है।
- कृषि मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की आर्थिक सहायता योजना में– पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों के लिए (एचएमएनईएच) उद्यान मिशन के लिए बड़े आकार के शीतागार स्थापित करने के लिए 50% की पूंजीगत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, कृषि उत्पाद की मात्रा को ध्यान में रखते हुए ग्रामों के लिए बड़े आकार के शीतगार उपयुक्त नहीं है।
- योजना के अधीन छोटे आकार के ग्रामों के लिए शीतागार संयंत्र, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला किसानों के लिए उपयुक्त है उपलभ्य नहीं हैं। इसलिए, विद्यमान योजना में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
- यह भी सुझाव दिया गया है कि एनईएसएचजी की महिला किसानों के लिए ग्राम स्तर या ग्राम या ग्राम समूह पर छोटे आकार के शीतागार स्थापित करने के लिए पूंजी आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 100% किया जाए।
- यह सुझाव दिया गया कि एचएमएनईएच के अधीन इस समय हिमशीतित गाडियों (वैन) के लिए 50% आर्थिक सहायता दी जाती है, इसे एनईएसएचजी महिला किसानों के लिए 100% किया जाए।
- पूर्वोत्तर महिला किसानों के लिए प्रस्तावित शीतागार और प्रशीतित गाडियों की योजना को 10 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- आरंभ में इस परियोजना में प्रत्येक राज्य में महिला बाजारों में 5 शीतागार स्थापित किए जाए और उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाए ।

## सूक्ष्म/लघु सिंचाई

5.12 पूर्वोत्तर राज्यों में के कई क्षेत्रों में छत पर खेती करना व्यावहारिक है। इसमें ऊचांई पर के खेतों में जल ले जाने के लिए उत्थान सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैः

- त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम के अधीन शीघ्रगामी सिंचाई परियोजना द्वारा विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म और लघु सिंचाई जैसे जलमार्ग, उत्थान सिंचाई आदि के माध्यम से अधिक भूमि को सम्मिलित किया जाए जिसके लिए केन्द्रीय अनुदान 90% और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10% ऋण की व्यवस्था की गई है।
- स्थानीय पहाड़ी महिला किसानों के लिए लघु सिंचाई के लिए सोलर वाटर पपिंग उपयुक्त है।

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को पूर्वोत्तर की एसएचजी की महिला किसानों के लिए, जो अपनी भूमि पर लघु सिंचाई सोलर वाटर पपिंग स्थापित करना चाहती है, उन्हें 100% पूंजीगत आर्थिक सहायता देने की नई योजना बनानी चाहिए।
- मेघालय में उत्तम टपकना (ड्रिप) पद्धति जिसमें एक नदी से बांस के पाइपों का प्रयोग करके लगभग प्रति मिनट 18–20 लीटर पानी बांस के पाइपों में भरा जाता है और उन बांसों को कई किलोमीटर तक ले जाया जाता है जिससे प्रति मिनट 20 से 80 पानी की बूंद कम हो जाती है इसलिए इस पद्धति को पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य स्थानों पर भी इस देशी टपकना सिंचाई पद्धति को दोहराना चाहिए। इस योजना को प्रधानमंत्री जी कृषि सिंचाई योजना–'प्रति बूंद अधिक फसल' के अधीन आरंभ किया जा सकता है।

## महिला व्यापारी

5.13 पूर्वोत्तर में कई महिला किसान अपने उत्पाद की खुदरा व्यापारी भी है। महिला किसानों की सहायता करने के लिए यह वांछनीय है कि ग्राम समूह/ब्लाक स्तर पर महिला किसानों के बाजारों का निर्माण किया जाए, जिससे आसपास के ग्रामों को इसका लाभ मिल सके। ऐसे बाजारों में बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, जिसमें शौचालय और बालगृह भी शामिल है और वे खेत से बाजार तक खेती उत्पाद को ले जाने के लिए गाड़ियों (वैन) का उपयोग कर सके। बाजार में शीतागार होने चाहिए जिससे दिन के अन्त में बिना बिकी सब्जी और फलों को भंडारित किया जा सके।

5.14 इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष में माल का परिवहन और बेहतर सड़क–संयोजन की समस्याएं, ब्याज की ऊंची दरें और प्रतिभूति के बिना बैंकों द्वारा ऋण को मंजूर न किया जाना, विद्रोहियों द्वारा कर वसूली, महिलाओं के बाजारों में उचित शौचालओं अन्य सुविधाएं की कमी और अधिक नगर पालिका कर से संबंधित समस्याएं है। बहुत कम महिलाओं के पास अपनी पक्की दुकानें हैं। मणिपुर में इमा कैथेल है जो कि केवल महिलाओं का बाजार है और सभी दुकानों की मालिक महिलाएं है। मेघालय की तरह अन्य राज्य भी निर्मित भवन में इमा कैथेल 'मदर्स' बाजारों (सबसे पुराना और एशिया में अपने प्रकार का केवल एक ही बाजार है) की मांग कर रहे हैं।

5.15 इसलिए विशेषज्ञ समिति/अध्ययन में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:–

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के नगरों/शहरों, जहां 100% महिला व्यापारी हैं, उनकी सामूहिक मांग पर ब्लाक स्तर और ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकारों द्वारा पक्के बाजारों का निर्माण किया जाना चाहिए।

- केवल महिलाओं को नाममात्र किराए पर स्थल आबंटित किए जाने चाहिए।
- इन बाजारों में (i) भंडारण जिसमें छोटे शीतागार भी है; (ii) स्वच्छता/शौचालय/सेनेटरी नेपकिन वेंडिग मशीनें; (iii) नगर से बाहर के व्यापारियों के लिए रात्रि में रूकने के लिए आश्रय स्थल; ((iv) पावर बैकअप; (v) महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था जिसमें महिला पुलिस की उपलभ्यता शामिल है; (vi) बालगृह के लिए उचित सुविधाएं होनी चाहिए।

## पुष्पकृषि– पुष्प बाजार–विपणन

5.16 कई पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे सिक्किम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय का मौसम और भूमि आर्किड और एनथूरियम के लिए बहुत अच्छा है। इन राज्यों की महिलाओं के पास पुष्पकृषि के लिए देशी निपुणता है और 90% पुष्प कृषक महिलाएं है। इस क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए इसमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विद्यमान योजना में उपयुक्त रूप से परिवर्तन किया जा सकता है जिससे इन क्रियाकलापों को प्रोत्साहित किया जा सके।

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

5.17 इस क्षेत्र में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए कई विनिर्दिष्ट सिफारिशें की गई हैं जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में तत्काल उपयुक्त रूप से सुधार करने की आवश्यकता है।

5.18 आयोग ने अपनी भूमिका के अनुसरण में राज्य महिला आयोगों और अन्य हितबद्ध संगठनों के साथ भागीदारी में इस क्षेत्र में कई सेमिनार/कार्यशालाएं/अध्ययन और विधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में तारीख 1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरुकता कार्यक्रम के राज्य–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

| क्रम सं. | राज्यों का नाम | कार्यक्रमों की सं. |
|---|---|---|
| 1. | अरूणाचल प्रदेश | 10 |
| 2. | असम | 4 |
| 3. | मणिपुर | 9 |
| 4. | मेघालय | 5 |
| 5. | नागालैंड | 11 |
| 6. | सिक्किम | 1 |
| 7. | त्रिपुरा | 10 |
| | कुल | 50 |

5.19 वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन किए गए:

| क्रम सं. | संगठन | विषय/मुद्दा |
|---|---|---|
| 1. | मेघालय राज्य महिला आयोग | अकेली माताओं की सामाजिक–आर्थिक प्रास्थिति और समस्याएं |
| 2. | मिजोरम विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग | मिजो महिलाओं के सकारात्मक चित्रण के साथ ग्रामीण लोक साहित्य के साथ भेदभाव |

5.20 पूर्वोत्तर राज्यों में निम्नलिखित सेमिनार आयोजित किए गए:

| क्रम सं. | संगठन | विषय/मुद्दा |
|---|---|---|
| 1. | मानवीय वातावरण और संसाधन संगठन, मणिपुर | लैंगिक शोषण के लिए महिलाओं और बालकों का दुर्व्यापार |
| 2. | मानव संसाधन के लिए पूर्वोत्तर विकास परिषद्, नौगांव, असम | जिला–नौगांव में महिलाओं के दुर्व्यापार का असर और महाविपदा |
| 3. | मानव कल्याण और शिक्षण सोसाइटी, मणिपुर | मणिपुर में अकेली महिला द्वारा सामना की जा रही समस्याएं और कठिनाइयां |

**********

अध्याय-6

# विधिक प्रकोष्ठ

## प्रस्तावना

6.1 महिलाओं की क्षमता का पता लगाने के लिए एक ऐसा वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है जो उन्हें ऐसे कानूनों से परिचित कराए जिन्हें समाज में अधिकतर लोग जानते हैं, इन कानूनों के प्रवर्तन में लगी हुई मशीनरी को इन कानूनों को लागू करने के संबंध में समुचित रूप से इतना संवेदनग्राही होना चाहिए जिससे महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की जा सके और विद्यमान कानूनों में उपांतरण तथा परिवर्तित हो रही अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए कानूनों को अधिनियमित करना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का विधिक प्रकोष्ठ ऐसे सभी क्रियाकलापों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, आयोग के अधिदेश के अनुसार और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के निबन्धनों के अनुसार, संविधान और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान उपबंधों का पुनर्विलोकन करने और उनमें संशोधनों की सिफारिश करने, जिससे कि ऐसे कानूनों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर किया जा सके, का उत्तरदायित्व इस प्रकोष्ठ का है। वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग ने विभिन्न कानूनों का पुनर्विलोकन किया और ऐसे कई कानूनों में समुचित संशोधन करने की सिफारिशें की।

### (i) व्यक्तियों कों दुर्व्यापार

6.2. भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि.) सं. 56/2004, प्रांजावाला बनाम भारत संघ वाले मामले में पारित किए गए आदेश के अनुपालन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित मानव दुर्व्यापार पर व्यापक विधान पर आन्तर–मंत्रालय समिति की परामर्शी बैठकों में आयोग ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

### (ii) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

6.3 तारीख 28 नवम्बर, 2016 को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के सहयोग से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में मुम्बई में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई। आयोग इस विषय के संबंध में और आगे जांच कर रहा है।

## स्त्री अशिष्ट रूपण

6.4 आयोग ने स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 का पुनर्विलोकन करने के लिए तारीख 28 सितम्बर, 2016 को इंडिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक भी आयोजित की थी। इसकी सिफारिशों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया था।

**सुश्री एल. कुमारमंगलम, माननीय अध्यक्ष, सुश्री रेखा शर्मा (सदस्य), सुश्री सुषमा साहू (सदस्य), सुश्री वंदना गुप्ता, संयुक्त सचिव, ''स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986'' के पुनर्विलोकन पर तारीख 28 सितम्बर, 2016 को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक।**

**सुश्री एल. कुमारमंगलम, माननीय अध्यक्ष, सुश्री रेखा शर्मा (सदस्य), सुश्री सुषमा साहू (सदस्य), सुश्री वंदना गुप्ता, संयुक्त सचिव, ''स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986'' के पुनर्विलोकन पर तारीख 28 सितम्बर, 2016 को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक।**

## बाल देखरेख छुट्टी

6.5 बच्चे का विकास करने में माता–पिता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बात को मान्यता देते हुए कि बच्चे का पालन–पोषण करना केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, इस संबंध में भारतीय अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र में तारीख 3 मार्च, 2017 को एक परामर्श बैठक आयोजित की गई। विचार–परामर्श करने के पश्चात् अंतिम रूप से यह सिफारिश की गई ''बाल देखरेख छुट्टी'' मंजूर करने के लिए लिंग निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तदनुसार यह सिफारिश की गई कि माता–पिता दोनों में से कोई एक बच्चे की देखरेख करने की जिम्मेदारी साझा करना चाहता है तो उनमें से कोई भी एक बच्चों की देखरेख के लिए छुट्टी ले सकता है।

**सुश्री एल. कुमारमंगलम, माननीय अध्यक्ष, डा० सतबीर बेदी (सदस्य-सचिव) और सुश्री वन्दना गुप्ता, संयुक्त सचिव, तारीख 3 मार्च, 2017 को ''केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बाल देखरेख छुट्टी का पुनर्विलोकन'' पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक**

6.6 इस परामर्श बैठक में विभिन्न मंत्रालयों, जिसके अंर्तगत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, वित्त मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, दूर संचार विभाग, विधि विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस परामर्श बैठक से जो मुख्य सिफारिशें उभर कर सामने आईं थी वे निम्नलिखित हैं:–

(i) बाल देखरेख छुट्टियां समान रूप से पुरूष और महिला दोनों कर्मचारियों के लिए लागू की जाए;

(ii) दो वर्ष अर्थात् 730 दिन की छुट्टियों के विद्यमान ढ़ांचे को माता और पिता के बीच बांटा जा सकता है;

(iii) यह हक समान रूप से निजी और औपचारिक/अनौपचारिक/संगठित/असंगठित सैक्टर के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा।

(iv) कार्यस्थल पर बालगृह (क्रैच) की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए; और

(v) नियत समयावधि के लिए पुरूष कर्मचारियों के लिए छुट्टियां अनिवार्य की जानी चाहिए।

## हिन्दू विवाह

6.7 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9, जिसका संबंध दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से है, के संबंध में तारीख 25 मार्च, 2017 को इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, भगवानदास रोड़, नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

### विधिक जागरूकता कार्यक्रम

6.8 कानूनों की जानकारी न होने के आधार पर कोई आदमी बच नहीं सकता है, फिर भी मुख्य बातों में से एक बात यह है कि इससे नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों का प्रत्याख्यान होता है। इसलिए नागरिकों को अपने कानूनी अधिकारों और हक की जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं के सशक्तीकरण, जिसके अंर्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहीं महिला भी हैं, को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जागरुकता पैदा करना एक अति महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। आयोग राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयों/विधि विभागों/महाविद्यालयों के साथ सहयोग करके पूरे देश में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में विधिक जागरुकता कार्यक्रम चला रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित विधिक जागरुकता कार्यक्रमों के राज्य–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

## 2016–17 के दौरान आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम

| क्रम सं. | गैर सरकारी संगठन/ संगठनों/ संस्थान का नाम और पता | विधिक जागरूकता कार्यक्रम की सं./महत्व वाले क्षेत्र और किस स्थान पर आयोजित किए गए |
|---|---|---|
| 1. | जिला महिला और बाल विकास विशाखापट्नम, आ.प्र. | विशाखापट्नम में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 2. | छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़ | जिला–बिलासपुर, बालोद, राजनंदगांव, रायपुर, गरीयाबंद, दुर्ग, काबिरधाम, बेमतारा, रायगढ़, बस्तर में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर बारह विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 3. | छत्तीसगढ़ महिला राज्य आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़ | जिला–कंकर, उत्तर बस्तर, कोन्दागांव, दन्तेवाड़ा, दक्षिण बस्तर, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, धामतरी, जानीगीर–चम्पा, जशपुर में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर दस विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 4. | दिल्ली विश्वविद्यालय उत्तर दिल्ली | जिला–उत्तर दिल्ली में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में दो विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 5. | व्यक्तिगत विधि के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली | जिला–दक्षिण पश्चिम दिल्ली में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 6. | गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात | जिला–अहमदाबाद में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 7. | महिला अध्ययन विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, उत्तर गोवा | जिला–उत्तर गोवा में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 8. | कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा | जिला–कुरूक्षेत्र में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 9. | बीपीएस महिला विश्वविद्यालय सोनीपत, हरियाणा | जिला–सोनीपत में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | जमशेदपुर महिला महाविद्यालय जिला–पूर्व सिंहभूम, झारखंड | जिला–पूर्वी सिंहभूम में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 11. | बीवीवीएस एस.सी. नन्दीमठ विधि महाविद्यालय, बगलकोट, कर्नाटक | जिला–बगलकोट में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 12. | कर्नाटक विश्वविद्यालय, हेवेरी, कर्नाटक | जिला–हेवेरी में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 13. | सरकारी पी.जी. महाविद्यालय, रेहली, जिला–सागर, मध्य प्रदेश | ब्लाक–रेहली, जिला–सागर में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में पांच विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 14. | अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी वी.वी. भोपाल, म.प्र. | जिला–भोपाल में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 15. | मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग भोपाल, म.प्र. | जिला–दतिया, विदिशा, शिवपुरी, पन्ना, बेतुल, छिंदवाडा, शाजापुर में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में आठ विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 16. | पी.जी. विधि विभाग, बेरहामपुर विश्वविद्यालय, गंजम, ओडिशा | जिला–गंजम में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 17. | पंजाब राज्य महिला आयोग चंडीगढ़ | जिला–मोहाली, होशियारपुर, अमृतसर, पटियाला, जालंधर में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में पांच विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 18. | तेलंगाना राज्य महिला आयोग सिकन्दराबाद, तेलंगाना | जिला–तेलंगाना में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में दस विधिक जागरूकता कार्यक्रम। |
| 19. | पीएसजी कला और विज्ञान महाविद्यालय, जिला–कोयम्बटूर, तमिलनाडु | जिला–कोयम्बटूर में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 20. | पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम, तमिलनाडु | जिला–सलेम, कृष्णागीरी, धर्मापुरी, नमक्कल में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में पांच विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 21. | सरकारी विधि महाविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु | जिला–कोयम्बटूर में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |

| | | |
|---|---|---|
| 22. | अन्नामलाई विश्वविद्यालय कुड्डालोर, तमिलनाडु | जिला– कुड्डालोर में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 23. | तमिलनाडु राज्य महिला आयोग चेन्नई, तमिलनाडु | जिला–चेन्नई में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में चार विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 24. | मदूरै कामराज विश्वविद्यालय मदूरै, तमिलनाडु | जिला–मदूरै में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 25. | मनोनमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय तिरूनेलवेली, तमिलनाडु | जिला–तिरूनेलवेली में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 26. | लेडी डार्क महाविद्यालय, मदूरै, तमिलनाडु | जिला–मदूरै में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 27. | महिला अध्ययन केंद्र, अल्गप्पा विश्वविद्यालय, शिवगंगा, तमिलनाडु | जिला–शिवगंगा में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 28. | राष्ट्रीय पी.जी. महाविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र. | जिला–हरदोई, बाराबंकी में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में पांच विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 29. | पंडित दीन दयाल उपाध्याय सरकारी डिग्री महाविद्यालय, शाहजहांपुर, उ.प्र. | जिला–शाहजहांपुर, लखीमपुर खेड़ी में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में पांच विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |
| 30. | उत्तराखंड राज्य महिला आयोग देहरादून, उत्तराखंड | जिला–पौडी गढ़वाल परभूम में महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में एक विधिक जागरुकता कार्यक्रम। |

6.09 आयोजित किए गए विधिक जागरुकता कार्यक्रमों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दी गई सारणी में दर्शाए गए हैं:

1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित किए गए विधिक जागरुकता कार्यक्रम

| क्रम सं. | राज्यों के नाम | शिविरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 22 |
| 3. | दिल्ली | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | गुजरात | 1 |
| 5. | गोवा | 1 |
| 6. | हरियाणा | 2 |
| 7. | झारखण्ड | 1 |
| 8. | कर्नाटक | 2 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 14 |
| 10. | ओडिशा | 1 |
| 11. | पंजाब | 5 |
| 12. | तेलंगाना | 10 |
| 13. | तमिलनाडु | 16 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 10 |
| 15. | उत्तराखण्ड | 1 |
| | **कुल** | **90** |

## राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग

6.10 आयोग ने तारीख 18 मई, 2016 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के परिसर में राज्य महिला आयोगों के साथ एक संवाद बैठक आयोजित की। ऐसी संवाद बैठकों से राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के बीच तालमेल स्थापित करने में सहायता मिलती है और विधिक जागरुकता बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली योजना बनाने के लिए सामान्य सहमति बनाने में भी सहायता मिलती है।

केरल, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों के साथ सुश्री लालडिंगलियानी सैलो (सदस्य) राष्ट्रीय महिला आयोग और सुश्री रेखा शर्मा (सदस्य) राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के कर्मचारी।

**पुलिस कर्मचारियों का क्षमता निर्माण**

6.11 कानून तभी बेहतर है जब इसका क्रियान्वयन भी बेहतर हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएनडी), गृह मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित के लिए तीन दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया:

(i) सीडीटीएस रामअंथपुर, हैदराबाद, तेलंगाना में महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए महिला पुलिस अधिकारियों के लिए तारीख 14 नवम्बर, 2016 से 16 नवम्बर, 2016 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा राज्यों से 40 पुलिस अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

(ii) तारीख 17 से 19 दिसम्बर, 2016 तक केरल पुलिस अकादमी, थ्रीसूर, केरल में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में केरल से हेड कांस्टेबल/सहायक–उपनिरीक्षक से लेकर निरीक्षकों की रैंक की पुलिस महिला अधिकारियों ने भाग लिया।

(iii) झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग, रांची में तारीख 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, 2017 तक महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए महिला पुलिस अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। इस कार्यक्रम

में झारखंड से सहायक उपनिरीक्षक से निरीक्षकों तक की रैंक की 21 महिला पुलिस अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

(iv) महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक, महाराष्ट्र में तारीख 13 फरवरी से लेकर तारीख 15 फरवरी, 2017 तक महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए महिला पुलिस अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से सहायक उप–निरीक्षक से की रैंक लेकर निरीक्षक की रैंक तक की 21 महिला पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

(v) पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, अशोक नगर, चेन्नई, तमिलनाडु में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए महिला पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में तमिलनाडु राज्यों से निरीक्षक की पंक्ति की 28 महिला अधिकारियों ने भाग लिया।

(vi) सीडीटीएस, रामअंथपुर, हैदराबाद, तेलंगाना में तारीख 6 मार्च, 2017 से तारीख 10 मार्च, 2017 तक महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए महिला पुलिस अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेलंगाना राज्य की सहायक पुलिस अधीक्षक की रैंक से लेकर उप–पुलिस अधीक्षक की रैंक तक की 14 महिला पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

**जेल और आश्रय गृह का दौरा**

6.12 राष्ट्रीय महिला आयोग जेलों, सुधार गृहों, महिलाओं की संस्थाओं या अभिरक्षा का कोई अन्य स्थान जहां पर महिलाओं को कैदियों के रूप में रखा जाता है का दौरा करता है या करवाता है। आयोग संबंधित प्राधिकारियों के साथ सुधारात्मक कार्रवाई, जहां ऐसा अपेक्षित हो, के लिए विचार–विमर्श करता है, अभिरक्षा में महिलाओं की दशा का निर्धारण और विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग के सदस्यों ने निम्नलिखित जेलों का दौरा किया:

(i) तारीख 8 अप्रैल, 2016 को शक्तिधाम महिला पुर्नवास और विकास केन्द्र तथा आश्रय गृह, मैसूर, कर्नाटक।

(ii) तारीख 6 अप्रैल, 2016 को एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस. में महिला सहवासियों की दशा का निरीक्षण किया।

(iii) तारीख 28 अगस्त, 2016 से तारीख 31 अगस्त, 2016 तक डम डम जेल, कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल में महिला सहवासियों की दशा का निरीक्षण किया;

(iv) तारीख 3 जून, 2016 को नारी निकेतन, चंडीगढ़ का दौरा किया।

(v) तारीख 24 मई, 2016 को गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नौएडा में अवस्थित विश्व निर्मला प्रेम आश्रम का दौरा किया।

(vi) तारीख 7 जून, 2016 को जिला जेल हैदराबाद, तेलंगाना का दौरा किया और

(vii) तारीख 4 मई 2016 को निर्मल छाया (नारी निकेतन) और अल्प अवधि के लिए रूकने का गृह ''आशा किरण आश्रय गृह अवन्तिका, रोहिणी, दिल्ली का भी दौरा किया।

6.13 उपर्युक्त संस्थाओं की दौरों की रिपोर्ट और आगे की जाने वाली कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजा गया। दौरों और निरीक्षणों के आधार पर आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें कीः

(i) सरकार नियमित आधार पर सफाई सामग्री और उपस्कर के लिए निधि प्रदान करे;

(ii) स्नानागार और शौचालयों में नई फिटिंग और बुनियादी सफाई करने के उपस्कर के साथ, जैसे कि सफाई के लिए द्रव्य, कपड़ा आदि अपग्रेड किए जाएं;

(iii) मलप्रवाह पाइपों की जांच की जाए और जहां आवश्यकता हो उन्हें बदला जाए;

(iv) सेनेटरी नेपकिनों के निष्कासन के लिए उचित व्यवस्था की जाए;

(v) सभी को साबुन, शेम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश आदि प्रदान किए जाए;

(vi) महिला डाक्टरों का साप्ताहिक दौरा आयोजित किया जाए;

(vii) एक पूर्ण अस्पताल बनाया जाए;

(viii) मनोरंजन क्रियाकलापों, जैसे कि इन्डोर गेम्स और टेलीविजन, के लिए व्यवस्था की जाए;

(ix) एक सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जाए जिसके लिए कैदियों को मुफ्त टोकन दिए जाए;

(x) जेल के आसपास बालगृह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए;

(xi) राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों को पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक संवाद करते रहना चाहिए;

(xii) सिद्धदोष को अधिकार की दृष्टि से, सभी कागजपत्र जिसमें वह न्यायिक निर्णय भी है जिसके आधार पर उसे सिद्धदोष किया गया है, दिए जाने चाहिए;

(xiii) कैदी सहवासियों के लिए नियमित रूप से विधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे उनकी विधिक शिक्षा सुनिश्चित हो सके; और

(xiv) साफ चादरें, तकिए के गिलाफ प्रदान किए जाने चाहिए।

*******

अध्याय-7

# स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ

7.1 समाचार पत्र, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया महिलाओं के अधिकारों के वंचन और उनके अधिकारों के अधिलंघन के बारे में कई घटनाओं के बारे में रिपोर्ट करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के अधीन राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों का अतिक्रमण और महिलाओं के संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन करने से संबंधित ऐसी रिपोर्टों के आधार पर मामलों का संज्ञान स्वप्रेरणा से लेता है। ऐसे मामलों में जहां महिलाओं के अधिकारों का गंभीर अतिक्रमण किया जाता है, वहां आयोग द्वारा जांच समितियों का भी गठन किया जाता है और ये समितियां मामले का अन्वेषण करती है और विवाद्यक का हल करने के लिए आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

7.2 राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2016–17 के दौरान उन मीडिया रिपोर्टों का जनमें महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारित किए जाने का उल्लेख किया गया है, संज्ञान लिया है। ऐसे मामलों में से एक मामले में मीडिया रिपोर्टें यह थी कि ***''लड़की गर्भवती पाई गई, गृह कर्मचारी को निलंबित किया गया''***, यह सूचित किया गया था कि तीन अनाथ लड़कियों, की जिसमें दो मास से गर्भवती एक लड़की भी शामिल थी, राज्य द्वारा मोती बाग, लखनऊ में चलाए जा रहे आश्रयगृह से स्थानांतरित किया जा रहा है। इस मामले पर जांच करने के लिए आयोग ने एक जांच समिति का गठन किया। जांच समिति की राय और सिफारिशों को इस मामले में समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया था कि कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया गया है और लड़की को राजकीय महिला शरणालय में भेज दिया गया है। संबंधित प्राधिकारियों के साथ आयोग इस मामले का अनुसरण करता रहा।

7.3 एक और अन्य मामले में आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसका शीर्षक ***''केरल विधि विद्यार्थी का घर में बलात्संग किया गया और उसकी अतड़ियों को बाहर खींचा गया''*** था। इस रिपोर्ट में यह सूचित किया गया था कि केरल में 30 वर्ष की कानून की विद्यार्थी का बलात्संग किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है तथा उसके शव को एर्नाकुलम के उसके घर में लटकी हुई अतड़ियों के साथ बाहर लटका हुआ पाया गया। आयोग ने इस मामले का अन्वेषण करने के लिए तीन सदस्यों की जांच समिति का गठन किया और इस मामले में और आगे कार्रवाई करने के लिए संबंधित समुचित प्राधिकारियों को मामले की अंतरिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। इसके

पश्चात् राज्य पुलिस ने एक विशेष अन्वेषण दल का गठन किया था और अन्वेषण के आधार पर मुख्य जिला और सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया है।

7.4 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया है जिसका शीर्षक, ***''उत्तर प्रदेश के नेता के पुत्र द्वारा दलित महिला का अभिकथित बलात्संग किया और चौथी बार गिरफ्तार किए जाने के पश्चात् महिला की मृत्यु हो गई''*** था। इस रिपोर्ट में यह सूचित किया गया था कि 20 वर्ष की आयु की एक दलित महिला का उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ के पुत्र द्वारा वर्ष 2014 में अभिकथित अपहरण और बलात्संग किया गया है। महिला ने यह भी अभिकथित किया था कि उसे तीन बार जेल हुई थी और जब चौथी बार उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब उसे घातक क्षतियां पहुंची थी। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने इस मामले की जांच करने के लिए दो सदस्यों की जांच समिति गठित की। जांच समिति की सिफारिशों को इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

7.5 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया है जिसका शीर्षक ***''पंचायत में दुष्कर्म की सजा सिर्फ पांच जूते''*** है, इस मामले का संबंध ग्राम–नयाबाज, आगरा में महिला के पड़ोसी एक नौजवान लड़के ने 28 वर्ष की महिला के साथ बलात्संग किया। पंचायत ने अभिकथित अभियुक्त के सिर पर पांच बार जूते मारने की सजा देने के पश्चात् इस मामले में समझौता करा दिया। आयोग ने इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर सिफारिशों को संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेजा गया। तत्पश्चात् नोडल अधिकारी, महिला प्रकोष्ठ आगरा से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें ये सूचित किया गया था कि भारतीय दंड सहिता की धारा 376 और 511 के अधीन एक मामला पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

7.6 आयोग ने उस मीडिया की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जिसका शीर्षक, ***''बिहार में 21 वर्ष की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग, महिला के गुप्तांगों में वस्तुएं घुसेड़ी गई''*** है इस मामले का संज्ञान लिया। इस रिपोर्ट में यह सूचित किया गया था कि बंदूक की नोक पर बिहार के मोतीहारी में स्थानीय गुंडो द्वारा 21 वर्षीय महिला का पाश्विक रूप से सामूहिक बलात्संग किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ आदमियों द्वारा पीड़िता को उसके घर से बाहर घसींटा और बहुत पिटाई की गई और बलात्संग किया गया। पीड़िता के यौनांग क्षेत्र में पिस्तौल और लकड़ी की वस्तुएं घुसेड़कर अभियुक्तों ने नृशंसता की। इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति की राय और सिफारिशों को राज्य सरकार को इस मामले में समुचित कार्रवाई करने के लिए प्रेषित किया गया।

7.7 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसका शीर्षक ***''ससुराल वालों ने अभिकथित रूप से गालियों के साथ राजस्थान की एक महिला के शरीर पर टैटू बनाए''*** है। इस रिपोर्ट में यह सूचित किया गया कि राजस्थान में 28 वर्ष की महिला की पिटाई उसके ससुराल वालों ने की और जब वह बेहोश हो गई तब उसके शरीर के विभिन्न भागों में सात टैटू चिह्नित किए। उसके हाथ पर किए गए टैटू में ''मेरा पिता चोर है'' लिखा हुआ था। इस मामले में एक जांच समिति का गठन किया गया था और सरकार के साथ रिपोर्ट सांझा की गई।

7.8 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया है जिसका शीर्षक, ***''प्रधानमंत्री को लड़के ने लिखाः बलात्कारियों को सजा दो'',*** था। इस मामले में यह सूचित किया गया था कि राजस्थान में बालोत्रा से 16 वर्ष के एक लड़के ने परेशान होकर अपनी बारह वर्षीय बहन के साथ अभिकथित बलात्संग करने वाले आदमी को गिरफ्तार करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया था। आगे यह भी सूचित किया गया था कि जैसा कि लड़के का दावा है कि अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सिद्धदोष करने के बावजूद भी अभियुक्त जेल से बाहर है और स्थानीय पुलिस उसे बचाने का प्रयास कर रही है। आयोग के एक दल द्वारा जांच की गई और राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया।

7.9 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट पर भी कार्रवाई की जिसका शीर्षक, ***''डकैतों ने कार को चालाकी से रोका, महिला, उसकी पुत्री से सामूहिक बलात्संग किया'',*** था। इस रिपोर्ट में यह सूचित किया गया है कि नोएडा से 6 लोगों का परिवार जब कार से शाहजहांनपुर जा रहा था तब बुलंदशहर के पास एक दर्जन डकैतों ने शुक्रवार की रात को कार को चालकी से रोका और वे पास के खेत में यान को ले गए तथा 35 साल की महिला और 14 वर्ष की उसकी पुत्री के साथ सामूहिक बलात्संग किया। पीडितों को निरंतर रूप से 3 घंटे से अधिक इस अत्याचार से गुजरना पड़ा और उसके पश्चात् डकैत 11 हजार रुपये नकद और कुछ जेवरात लेकर परिवार को सुनसान क्षेत्र पर फंसा कर चले गए और कार कीचड़ में फंसा दी। यह घटना शनिवार की सुबह उस वक्त प्रकाश में आई जब ये परिवार किसी तरह पास के पुलिस थाने में पहुंचा और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई। एक जांच समिति का गठन किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है।

7.10 ***''हरियाणा के सरकारी अस्पताल में मानसिक रोग से ग्रस्त महिला से बलात्संग'',*** शीर्षक पर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आयोग द्वारा एक जांच समिति गठित की गई। यह अभिकथन किया गया है कि यमुनानगर जिले में हरियाणा के सरकारी अस्पताल के अंदर एक कर्मचारी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया था। राज्य सरकार

के समक्ष इस मामले को उठाया गया। हरियाणा पुलिस ने यह सूचित किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

7.11 इसी प्रकार, आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जिसका शीर्षक, ***''मानसिक रूप से ग्रस्त रोगियों की गरिमा का उल्लंघन करके उन्हें नग्न रहने के लिए कपड़े उतारे गए''*** था मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की। यह सूचित किया गया कि बेहरामपुर, पश्चिम बंगाल में के एक मनोचिकित्सालय के लगभग 50 सहवासियों को नंगा रहने के लिए मजबूर किया गया। इन सहवासियों में से 20 महिलाएं थी। सहवासियों ने यह बताया कि उनके कपड़ों में बहुत अधिक खटमल भरे हुए थे इसलिए उन्होंने नग्न रहना बेहतर समझा। जांच समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सिफारिश की:

(क) मानसिक रोगियों को बुनियादी आवश्यकताएं जैसे की खाना, कपड़ें, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा चिकित्सा सुविधाएं तुरंत मुहैया कराई जाए;

(ख) व्यष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित देखभाल और पुर्नवास योजना विकसित की जाए'

(ग) ऐसे रोगी जो ठीक हो गए हैं और वे कहीं जा नहीं सकते हैं उनके लिए मनोचिकित्सालय में ही रहने की व्यवस्था की जाए। इस मामले में समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को जांच समिति की राय और सिफारिशें प्रेषित की गई हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त हुई कार्रवाई की रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि आयोग की मुख्य सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है।

7.12 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट पर भी विचार किया जिसका शीर्षक, ***''सामूहिक बलात्संग की उत्तरजीवी से पुलिस ने पूछा था कि: तुम्हें ज्यादा किसने मज़ा दिया''*** था। इस रिपोर्ट में यह सूचित किया गया कि पुलिस ने बलात्संग पीडिता का उत्पीड़न उससे असंगत और असंवेदनशील प्रश्न पूछकर किया था। आयोग द्वारा जांच समिति गठित की गई और समिति ने मामले का अन्वेषण किया और अपनी रिपोर्ट दी। इसके पश्चात् राज्य सरकार के समक्ष यह मामला उठाया गया। आयोग के समक्ष डीजीपी और आईजीपी को हाजिर होने के लिए बुलाया गया और यह सूचित किया गया कि न्यायालय गंभीरता से इस मामले का अनुवीक्षण कर रहा है।

7.13 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया जिसका शीर्षक, ***''बेंगलुरू में नए वर्ष की पूर्वसंध्या पर पुलिस की मौजूदगी में बड़ी संख्या में महिलाओं को उत्पीड़ित किया गया''और ''सीसीटीवी से यह पता चला कि बेंगलुरू की सड़कों पर जो भीड़ घूम***

***रही थीं वे महिलाओं के स्तनों को दबोंच रहे थे''*** था। इस मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई इस मामले में समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष आयोग ने यह मामला उठाया था। राज्य सरकार ने सूचित किया की अभिकथित पीड़ितों से संपर्क किया जा रहा है और उनसे अन्वेषण में सहयोग करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। यह भी सूचित किया गया था कि पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

7.14 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसका शीर्षक, ***''लाश देख आक्रोशित हुए लोग–तोड़फोड़''*** था। इस मामले का अन्वेषण करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई। यह सूचित किया गया था कि दरभंगा, बिहार मे अपने घर के पास एक तालाब में तैरता हुआ महिला का शव मिला था। आगे और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के साथ सांझा किया गया।

7.15 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया जिसका शीर्षक, ***''मंगलवार की मध्यरात्रि में पंचकुला, हरियाणा में एक 21 वर्ष की लड़की का अभिकथित रूप से व्यपहरण किया गया और उसके पश्चात् बंदूक की नोक पर बलात्संग किया गया''***, था। यह रिपोर्ट मिली थी कि एक अज्ञात बदमाश ने 21 वर्ष की आयु की इंजीनियरिंग विद्यार्थी का व्यपहरण करके बलात्संग किया है। इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिशों का आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

7.16 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसका शीर्षक, ***''तिरूवंथपुरम में केरल विधि अकादमी में महिला विद्यार्थियों के विरूद्ध अत्याचार'',*** था। इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई। यह रिपोर्ट मिली थी कि अकादमी का प्रधानाचार्य महिला विद्यार्थियों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है और उसने महाविद्यालय के छात्रावास में कैमरे लगाये है जिनसे महिला विद्यार्थियों की निजता का अतिक्रमण होता है। विद्यार्थियों के साथ अश्लील और गाली–गलौच की भाषा का प्रयोग करता है और उन्हें उनकी जाति के नाम से बुलाता है। समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को जांच समिति की राय और सिफारिशें प्रेषित की गई थी। आयोग के समक्ष हाजिर होने के लिए डीजीपी, एडिशनल डीजीपी और आईजीपी को बुलाया गया था और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इस मामले में समुचित कार्रवाई की जाएगी और आयोग को इसकी प्रास्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

7.17 आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जिसका शीर्षक, ***''विवाह के नाम पर हिमाचल प्रदेश के सिरमोर जिले में महिलाओं और लड़कियों का दुर्व्यापार किया जा रहा है''*** था संज्ञान लिया और मामले का अन्वेषण करने के लिए एक जांच समिति गठित

की थी। यह रिपोर्ट मिली थी कि विवाह के नाम पर सिरमौर जिले में महिलाओं और लड़कियों का दुर्व्यापार किया जा रहा है। समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के साथ इस रिपोर्ट को साझा किया गया।

7.18 इस मीडिया रिपोर्ट, जिसका शीर्षक, ***"20 वर्ष की आयु की महिला द्वारा पेड़ों को काटने का विरोध करने पर जोधपुर गांव में उसे जीवित जला दिया"*** था, की जांच करने के लिए आयोग ने एक जांच समिति गठित की थी। यह रिपोर्ट मिली थी कि 20 वर्ष की एक महिला को राजस्थान के जोधपुर के पास उसके गांव में अभिकथित रूप से पेड़ों को काटने का विरोध करने के लिए जिन्दा जला दिया गया। आयोग के दल के निष्कर्षों को राज्य सरकार के साथ साझा किया गया।

7.19 राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 27 मार्च, 2017 को प्रकाशित इस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसका शीर्षक ***"बीकानेर सामूहिक बलात्संग मामलाः अप्राप्तवय लड़की को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी किन्तु राजस्थान के गृहमंत्री ने संदेह उत्थित किया"*** था और इस मामले की जांच करने के लिए एक दल का गठन किया।

7.20 आयोग ने कई मामलों में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर प्रभावी रूप से संकटग्रस्त महिलाओं के कई मामलों में तुरंत कुछ सहायता प्रदान की है और अन्वेषण को भी शीघ्रतापूर्वक किया है जिससे कई मामलों में अभियोजन भी आरंभ हुआ है।

********

अध्याय-8

# मीडिया और पहुंच कार्यक्रम

8.1 महिलाओं की प्रास्थिति में सुधार और उनके सशक्तीकरण के लिए अन्य बातों के साथ–साथ, महिलाओं से संबंधित कानूनों और योजनाओं की बाबत जनता में जागरुकता बढ़ाना आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2016–17 के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रानिक माध्यम से जागरुकता बढ़ाने के संबंध में कई पहल की हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ छेड़खानी और अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों पर जानकारी सृजित करने के लिए 60 सैकेंड के ऑडियो/विडियो (स्लॉट) कार्यक्रम किए हैं। ये स्लॉट निम्नलिखित मास में टेलीकास्ट/प्रसारित किए गए:

- अक्तूबर मास से नवम्बर 2016 में प्रचार अभियान में 30 दिन के प्रचार अभियान के अधीन प्राइवेट एफ.एम. चौनलों पर पेन इंडिया और प्रादेशिक भाषाओं के चैनलों पर प्रसारण हुआ।
- दिसम्बर/जनवरी मास, 2016–17 में 15 दिन के प्रचार अभियान में आल इंडिया रेडियो/एफ.एम. चैनलों, पेन इंडिया, और कई प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण हुआ।
- नवम्बर, 2016 मास में 15 दिन के प्रचार अभियान के अधीन राष्ट्रीय नेटवर्क अर्थात् डीडी–1, डीडी–न्यूज और पूर्वोत्तर चैनलों पर प्रसारण हुआ।
- दिसम्बर/जनवरी, 2016–17 मास में 21 दिन के प्रचार अभियान के अधीन प्राइवेट टी.वी. चैनलों, पेन इंडिया और कई प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण हुआ।

8.2 आयोग ने अगस्त, 2016 में देश के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में एक विज्ञापन निकाला, जिसमें आम जनता को आयोग के क्रियाकलापों, जिसमें आयोग के भीतर और अन्य संगठनों के माध्यम से सहायता प्रणाली भी शामिल है, सरोगेसी, महिला पुलिस अधिकारियो का क्षमता निर्माण, निःशक्त महिलाओं द्वारा किए जाने वाले मुद्दे और चुनौतियों से संबंधित विषयों पर समय–समय पर जानकारी प्रचारित करने के लिए भी प्रेस सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित किए गए। इसी प्रकार आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित कानूनों पर और ऐसे अन्य विषयों की बाबत जिनसे महिलाओं की गरिमा प्रभावित होती है, विज्ञापन जारी किए गए थे।

8.3 राष्ट्रीय महिला आयोग में दो मास तक दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता मेट्रो रेल में बाहरी प्रचार अभियान भी चलाया था। इस अभियान के अधीन, ''कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा'', ''घरेलू हिंसा'', ''अनिवासी भारतीय विवाहों'' और आयोग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं जैसे विषयों पर जागरुकता जागृत करने के लिए रेलगाड़ी के अन्दरूनी

पैनलों, मेट्रो स्टेशनों के प्रदर्शन बोर्डों आदि पर पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए।

8.4 ''राष्ट्र महिला'' आयोग का एक मासिक सूचनापत्र है जिसे अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है, इसमें आयोग के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के बारे में महिला कार्यकर्ताओं, विधिक बन्धुत्व, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और पूरे देश के विद्यार्थियों को भी जानकारी, प्रचारित की जाती है। इस सूचना पत्र में आयोग के क्रियाकलापों और आयोग के समक्ष दर्ज की गई शिकायतों की बाबत सफल वृतान्तों और महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायालय और सरकारी विनिश्चयों के बारे में भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। यह मासिक सूचना पत्र आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ncw.in पर भी उपलब्ध है।

8.5 आयोग इस तथ्य से अवगत है कि मीडिया सभी सरोकार रखने वालों को जानकारी प्रचारित करने के लिए प्रभावशील रूप से कार्य करता है। आयोग महिलाओं के सशक्तीकरण, महिलाओं के अधिकारों, हक और महिलाओं के कल्याण को सुनिश्चित करने तथा पूरी गरिमा के साथ जीवनयापन करने को आश्वस्त करने के संबंध में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका का सक्रिय रूप से उपयोग करता रहेगा।

**********

अध्याय-9

# सूचना का अधिकार

9.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रशासन और आयोग द्वारा किए जा रहे अन्य विषयों के संबंध में स्पष्टता, पारदर्शिता और जबावदेही की अभिवृद्धि करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है। इसमें पब्लिक डोमेन में अधिक से अधिक जानकारी रखना और सूचना के अधिकार के आवेदन और अपीलों के संबंध में कार्य करने के लिए एक समर्पित कोष्ठक को स्थापित करना भी सम्मिलित है।

9.2 वर्ष 2016–17 के दौरान सूचना के अधिकार से संबंधित प्राप्त आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

तिमाही–वार सूचना के अधिकार के आवेदनों की प्राप्ति और उनका निपटानः

| तिमाही | प्रारंभिक शेष | धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित रूप में प्राप्त आवेदनों की सं. | तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामले भी हैं) | धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं. | विनिश्चय जहां अनुरोधों/ अपीलों को नामंजूर कर दिया गया हैं | विनिश्चय जहां अनुरोधों/ अपीलों को मंजूर कर दिया गया हैं | अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तिमाही–1 (अप्रैल–जून, 2016) | 133 | 12 | 146 | 16 | 22 | 94 | 159 |
| तिमाही–2 (जुलाई–सितंबर, 2016) | 159 | 2 | 169 | 17 | 13 | 176 | 124 |
| तिमाही–3 (अक्तूबर–दिसंबर, 2016) | 124 | 4 | 134 | 15 | 9 | 82 | 156 |
| तिमाही–4 (जनवरी–मार्च, 2017) | 156 | 4 | 170 | 10 | 17 | 161 | 142 |

तिमाही–वार प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निपटानः

| तिमाही | प्रारंभिक शेष | धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित रूप में प्राप्त आवेदनों की सं. | तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामले भी हैं) | धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं. | विनिश्चय जहां अनुरोधो/ अपीलों को नामंजूर कर दिया गया हैं | विनिश्चय जहां अनुरोधों/ अपीलों को मंजूर कर दिया गया हैं | अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तिमाही–1 (अप्रैल–जून, 2016) | 5 | लागू नहीं होता | 23 | 0 | 11 | 16 | 1 |
| तिमाही–2 (जुलाई–सितंबर, 2016) | 1 | लागू नहीं होता | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| तिमाही–3 (अक्तूबर–दिसंबर, 2016) | 7 | लागू नहीं होता | 15 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| तिमाही–4 (जनवरी–मार्च, 2017) | 11 | लागू नहीं होता | 14 | 0 | 5 | 13 | 7 |

9.3 आयोग ने सभी संबंधित व्यक्तियों को जानकारी का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के लिए इस विषय पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जिससे कि वे प्रभावी रूप से अपने उत्तरदायित्व निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

**********

अध्याय-10

# सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग

10.1 राष्ट्रीय महिला आयोग, सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और वर्ष 1967 में यथा–संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों तथा राजभाषा विभाग द्वारा संघ की राजभाषा नीति का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर ठोस प्रयास करता रहा है।

10.2 आयोग ने विधियों/नियमों/अनुदेशों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के कार्य की सहायता के लिए कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक का पद स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं भी आवश्यकता हुई, कार्य की अत्यावश्यकता से निपटने के लिए संविदा/बाह्य स्रोत के आधार पर संसाधक व्यक्तियों को नियोजित किया गया है। आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों से प्राप्त सामग्री, जैसे साधारण आदेशों, नियमों, संहिताओं, स्वीकृतियों, मैनुअल, मानक प्ररूपों, अधिसूचनाओं और प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्ति रिपोर्टों, आदि का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

10.3 नियमित कार्य हिन्दी में पूरा किए जाने के अतिरिक्त, आयोग में 14.09.2016 से 29.09.2016 के बीच हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और जिन पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतियोगिता/कार्यक्रमों में भाग लिया था, उन्हें पुरस्कार वितरित किए गए थे।

**********

अध्याय–11

# सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग

11.1 सूचना संचार प्रौद्योगिकी, आज के संदर्भ में किसी देश की आर्थिक क्षमता को उन्मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग किसी संगठन की सफलता का प्रमुख निर्धारक बन गया है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी में, अन्य बातों के साथ–साथ, कठिन श्रम को कम करके मानव जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने की क्षमता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और निर्णय करने में भी गति लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में अग्रणी रहा है। आयोग ने सबसे पहले वर्ष 2005 में प्राप्त शिकायतों की इलैक्ट्रानिक प्राप्ति प्रक्रिया और निपटान कार्य आरंभ कर दिया था।

11.2 ई–आफिस, जो कि भारत सरकार के नैशनल ई–गवर्नेंस प्रोग्राम (एन.ई.जी.पी.) के अधीन एक मिशन मोड परियोजना है, कार्यालय प्रक्रियाओं को इलैक्ट्रानिक रूप से करने के लिए सरल, क्रियाशील, प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया सुकर बनाता है। आयोग ने ई–आफिस को दिसम्बर, 2016 से सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर दिया है। शिकायत को सीधे दर्ज करने, उसके प्रकरण और विवरण प्रदान करने की सुविधा पिछले दस वर्षों से अस्तित्व में है। अब पिछले कई वर्षों से इस प्रणाली में और सुधार किया गया है। इस प्रणाली में व्यष्टिक शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की प्रगति का सीधे पता लगााने की सुविधा प्रदान की गई है।

11.3 आयोग ने, वर्ष 2016–17 के दौरान 1,40,181 फाइलों, अर्थात् लगभग 20 लाख पृष्ठों का डिजीटलीकरण कर दिया है।

**********

अध्याय-12

# लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया

12.1 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की परीक्षा करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। आयोग की सदस्य श्रीमती सुषमा साहू इस समिति की अध्यक्ष है।

12.2 वर्ष 2016 के दौरान आयोग में प्राप्त कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के ब्यौरे और उन पर की गई कार्रवाई का सारांश नीचे दिया गया है:

लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें

| क्रम सं. | प्राप्त शिकायतों की सं. | निपटायी गई शिकायतों की सं. | नब्बे दिन से अधिक लंबित मामलों की सं. | कार्यशाला या किए गए जागरूकता कार्यक्रमों की सं. | नियोजक द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02 (दो) | 02 (दो) | शून्य | 02 (दो) | शिकायतकर्ता के साथ आईसीसी की रिपोर्टों/सिफारिशों की प्रतियों को साझा किया गया। चूंकि इसमें और आगे अपील प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए आयोग ने दो मामलों में से एक मामले में जिस अधिकारी के विरूद्ध शिकायत की गई थी और जहां आरोप भागतः साबित हुए थे वहां चेतावनी जारी की गई। |

12.3 महिलाओं के अधिकारों और गरिमा का कोई अतिक्रमण होता है, तो इस बाबत आयोग कठोर नीति का पालन करता है और समय समय पर इस विषय पर कार्यशालाएं आयोजित करता है।

**********

अध्याय-13

# वार्षिक लेखे 2016-17

## राष्ट्रीय महिला आयोग

## तुलनपत्र (अलाभकारी संगठन)
## 31 मार्च, 2017 को यथा-विदयमान

(रकम रुपयों में)

| पूंजीगत निधि और दायित्व | अनुसूची | चालू वर्ष | | | पूर्व वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| पूंजीगत निधि | 1 | 269,252,212.00 | 4,316,487.00 | 273,568,699.00 | 269,741,740.00 | 11,370,323.00 | 281,112,063.00 |
| आरक्षिति और अधिशेष | 2 | - | - | - | - | - | - |
| निर्धारित/अक्षय निधि | 3 | - | - | - | - | - | - |
| प्रतिभूत ऋण और उधार | 4 | - | - | - | - | - | - |
| अप्रतिभूत ऋण और उधार | 5 | - | - | - | - | - | - |
| आस्थगित उधार दायित्व | 6 | - | - | - | - | - | - |
| चालू दायित्व और प्रावधान | 7 | 74,470,261.00 | 2,693,878.00 | 77,164,139.00 | 54,066,979.00 | 2,349,141.00 | 56,416,120.00 |
| | | **343,722,473.00** | **7,010,365.00** | **350,732,838.00** | **323,808,719.00** | **13,719,464.00** | **337,528,183.00** |
| **आस्तिया** | | | | | | | |
| नियत आस्तियां | 8 | 206,858,586.00 | - | 206,858,586.00 | 236,329,785.00 | - | 236,329,785.00 |
| निवेश - निर्धारित/अक्षय निधियों से | 9 | | | | | | - |
| निवेश - अन्य | 10 | - | - | - | - | - | - |
| चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम | 11 | 141,955,075.00 | 1,919,177.00 | 143,874,252.00 | 92,836,156.00 | 8,362,242.00 | 101,198,398.00 |
| विविध व्यय | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | - |
| **कुल** | | **348,813,661.00** | **1,919,177.00** | **350,732,838.00** | **329,165,941.00** | **8,362,242.00** | **337,528,183.00** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 24 | | | | | | |
| आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पणियां | 25 | | | | | | |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी**

**सदस्य सचिव**

## राष्ट्रीय महिला आयोग

## आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
## 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष

(रकम रुपयों में)

| **आय** | अनुसूची | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **योजना** | **गैर-योजना** | **योजना** | **गैर-योजना** |
| विक्रय/सेवाओं से आय | 12 | - | - | | - |
| अनुदान/सहायिकी | 13 | 17,58,43,313.00 | 4,44,47,000.00 | 16,22,65,390.00 | 5,14,76,000.00 |
| फीस/अभिदान | 14 | - | 9,195.00 | - | 8,505.00 |
| निवेश से आय(निवेश पर आय, निधियों में अंतरित | 15 | - | - | - | |
| निर्धारित/अक्षय निधियों से आय | | - | - | - | - |
| रॉयल्टी/प्रकाशन से आय | 16 | - | - | - | - |
| उपार्जित ब्याज | 17 | 12,72,091.00 | 3,07,758.00 | 20,57,848.00 | 5,74,631.00 |
| अन्य आय | 18 | 44,80,944.00 | 10,91,507.00 | 27,95,311.00 | 67,958.00 |
| तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि(कमी) | | - | - | - | - |
| तैयार माल और प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि(कमी) | 19 | - | - | | |
| पूर्व वर्ष के समायोजन अन्य आय (भवन पर 2009-09 से 2011-12 तक प्रभारित अवक्षयण | | - | - | - | - |
| **कुल(क)** | | **18,15,96,348.00** | **4,58,55,460.00** | **16,71,18,549.00** | **5,21,27,094.00** |
| **व्यय** | | | | | |
| स्थापन व्यय, आदि | 20 | 1,96,21,481.00 | 3,59,08,450.00 | 1,47,19,825.00 | 2,72,21,573.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि | 21 | 5,58,38,022.00 | 1,70,00,846.00 | 5,36,27,483.00 | 1,74,14,738.00 |
| अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय | 22 | 7,21,41,206.00 | - | 7,33,79,489.00 | - |
| ब्याज | 23 | - | - | - | - |
| अवक्षयण (वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध योग) | | 4,23,59,854.00 | - | 21,04,600.00 | - |
| नियत आस्तियों के विक्रय पर हानि | | - | - | 1,62,861.00 | |
| **कुल(ख)** | | **18,99,60,563.00** | **5,29,09,296.00** | **14,39,94,258.00** | **4,46,36,311.00** |
| **व्यय से अधिक आय होने के कारण अतिशेष (क-ख)** | | **(83,64,215.00)** | **(70,53,836.00)** | **2,31,24,291.00** | **74,90,783.00** |
| विशेष आरक्षिति में अंतरण | | - | - | - | - |
| सामान्य आरक्षिति में/से अंतरण | | - | - | - | - |
| अतिशेष (कम) होने के कारण समग्र/पूंजीगत निधि में अग्रनीत | | **(83,64,215.00)** | **(70,53,836.00)** | **2,31,24,291.00** | **74,90,783.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य सचिव**

## राष्ट्रीय महिला आयोग

### प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)
### 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष

(रकम रुपयों में

| प्राप्तियां | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | | भुगतान | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| आरंभिक अतिशेष | | | | | | | | | |
| शेष नकदी | - | - | - | - | स्थापना व्यय(अनुसूची-26) | 2,40,25,949.00 | 3,56,93,692.00 | 1,79,47,076.00 | 2,65,91,290.00 |
| शेष बची डाक टिकटें | | 32,284.00 | | 35,115.00 | | | | | |
| बैंक अतिशेष | 1,62,81,559.00 | 79,92,559.00 | 1,56,55,981.00 | 18,779.00 | | | | | |
| | | | | | अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-27) | 9,96,16,658.00 | 1,66,56,176.00 | 9,21,22,280.00 | 1,76,50,962.00 |
| | | | | | अवधि पूर्व व्यय | - | - | | |
| | | | | | विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान (अनु. 28) | 6,11,29,326.00 | - | 5,41,10,610.00 | - |
| प्राप्त अनुदान | 18,37,18,000.00 | 4,44,47,000.00 | 18,43,44,000.00 | 5,14,76,000.00 | धनप्रेषण (अनुसूची 29) | - | 89,45,148.00 | - | 53,25,257.00 |
| निवेश पर आय | | | | | | | | | |
| अक्षय निधि | - | - | - | - | प्रतिभूति जमा | 27,500.00 | 88,614.00 | 2,500.00 | - |
| | | | | | जमा प्राप्तियां | | | 6,000.00 | |
| अपनी निधि | - | - | - | - | नियत आस्तियों पर व्यय | | - | - | - |
| | | | | | क)नियत आस्तियां | 70,03,837.00 | | 30,78,610.00 | |
| निवेश पर ब्याज | - | - | - | - | ख) कार्य प्रगति पर | - | | 1,90,00,000.00 | |
| | | | | | अंतिम अतिशेष | | | | |
| प्राप्त ब्याज | | | | | नकद शेष | - | - | - | - |
| | | | | | शेष डाक टिकटें | | 31,642.00 | | 32,284.00 |
| बैंक जमा | 12,72,091.00 | 3,07,758.00 | 20,57,848.00 | 5,74,631.00 | बैंक अतिशेष (अनुसूची 30) | 1,07,42,167.00 | 14,05,021.00 | 1,62,81,559.00 | 79,92,559.00 |
| गृहनिर्माण अग्रिम पर ब्याज | - | - | - | - | | | | | |
| उधार एवं अग्रिम | - | - | - | - | | | | | |
| सी.पी.एफ. पर ब्याज | - | - | - | - | | | | | |
| अन्य आय | | | | | | | | | |
| आर.टी.आई. | - | 9,195.00 | - | 8,505.00 | | | | | |
| विविध आय | 7,15,144.00 | 10,86,349.00 | 1,27,841.00 | 65,451.00 | | | | | |
| समयपूर्व विविध आय | 5,39,643.00 | - | 3,37,965.00 | | | | | | |
| धन प्रेषण(अनुसूची-29) | - | 89,45,148.00 | - | 53,25,257.00 | | | | | |
| प्रतिभूति जमा | 19,000.00 | - | 25,000.00 | 88,614.00 | | | | | |
| | **20,25,45,437.00** | **6,28,20,293.00** | **20,25,48,635.00** | **5,75,92,352.00** | | **20,25,45,437.00** | **6,28,20,293.00** | **20,25,48,635.00** | **5,75,92,352.00** |

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

## राष्ट्रीय महिला आयोग
## 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **अनुसूची -1 पूंजीगत निधि** | | | | |
| वर्ष के आरंभ में अतिशेष | 269,741,740.00 | 11,370,323.00 | 224,538,839.00 | 3,879,540.00 |
| जोड़े:- आरक्षिति एवं अधिशेष से अंतरण | - | - | | |
| जोड़े(घटाएं):- आय एवं व्यय खाते से अंतरित | | | | |
| शुद्ध आय(व्यय) का अतिशेष | (8,364,215.00) | (7,053,836.00) | 23,124,291.00 | 7,490,783.00 |
| जोड़े:-ब्याज पर स्रोत पर कर-कटौती के प्रतिदाय के लिए समायोजन प्रविष्टि | - | - | - | - |
| जोड़े:- नियत आस्तियों के विक्रय के लिए सुधार प्रविष्टि | | - | | - |
| जोड़े:- वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि का परिवर्धन | 7,874,687.00 | - | 22,078,610.00 | - |
| | | - | - | - |
| | | - | | - |
| वर्ष के अंत में अतिशेष | **269,252,212.00** | **4,316,487.00** | **269,741,740.00** | **11,370,323.00** |
| **अनुसूची-2 आरक्षिति एवं अधिशेष** | | | | |
| 1) **पूंजीगत आरक्षिति** | | | | |
| पिछले खाते के अनुसार | - | - | - | - |
| घटाएं: पूंजीगत निधि में अंतरण अनुसूची-1 | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **अनुसूची 3 - निर्धारित/अक्षय निधियां** | | **शून्य** | | | |
| **अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार** | | **शून्य** | | | |
| **अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार** | | **शून्य** | | | |
| **अनुसूची 6 - आस्थगित उधार दायित्व** | | **शून्य** | | | |
| **अनुसूची 7 चालू दायित्व एवं प्रावधान** | | | | | |
| ***चालू दायित्व*** | | | | | |
| मार्च, 2017 मास के लिए संदेय वेतन | | - | 1,670,730.00 | - | 1,735,873.00 |
| मार्च, 2017 मास के लिए संदेय धनप्रेषण | | - | 640,110.00 | - | 391,089.00 |
| मार्च, 2017 मास के संदेय बिल | | 15,750.00 | 249,473.00 | - | - |
| श्री एस. मुरुली को संदेय | | 3,992.00 | - | - | - |
| प्रतिभूति जमा | | 132,289.00 | 133,565.00 | 118,789.00 | 222,179.00 |
| संदेय गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम(क+ख+ग+घ+च+छ+झ+ञ+ट+ड+ढ) | | 60,230,028.00 | - | 47,051,185.00 | - |
| संदेय गैर सरकारी संगठनों(पूर्वोत्तर क्षेत्र) को अग्रिम | ड+ज+ठ | 9,074,234.00 | - | 6,897,005.00 | - |
| एन.बी.सी.सी. को कार्यालय भवन निर्माण के लिए संदेय | | 5,013,968.00 | | | |
| | | **74,470,261.00** | **2,693,878.00** | **54,066,979.00** | **2,349,141.00** |
| **विशेष अध्ययन** | क | **14,762,518** | | **13,721,765** | |
| एकेडमी ऑफ ग्रासरूट्स स्टडीज़ एंड रिसर्च-ए.पी.-वि. अध्य. | | - | | 77385 | |
| भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद वि. अध्य. | | 136318 | | 136318 | |
| अमृत विश्व विद्यापीठम(विश्वविद्यालय) एसपी. एसटी. तमिलनाडु | | 463050 | | - | |
| अंजनेया सेवा समिति राजस्थान-वि. अध्य. | | 134190 | | 134190 | |
| एसोसिएशन फार डेवेल्पमेंट एंड रिसर्च(ए.डी.ए.आर.ए.एस.) | | 135000 | | 135000 | |
| आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण कोटा- वि. अध्य. | | 164430 | | 164430 | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| भारतीदसन यूनिवर्सिटी कालेज - वि. अध्य. | 171360 | | 171360 | |
| बोमोनग्राम रेशन खादी प्रतिष्ठान - वि. अध्य. | 142380 | | 142380 | |
| सेंटर फार वूमेन स्टडीज़, असम - वि. अध्य. | 141120 | | 141120 | |
| सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान - वि. अध्य. | 347760 | | 347760 | |
| संसाधन विकास अध्ययन केन्द्र - वि. अध्य. | 206,700 | | - | |
| सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, वसंत कुंज, दिल्ली-वि. अध्य. | 85470 | | 256410 | |
| सेंटर ऑफ स्टडीज़ फॉर कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वीकर | 101400 | | 101400 | |
| चैतन्य मोहन कोठी, गया (बिहार) | 58800 | | 58800 | |
| छायादीप समिति, ग्राम राजखेता, छत्तीसगढ़ | 158760 | | 158760 | |
| धनवंतरी मेंटली रिटार्डिड एंड ड्रग एडिक्टर्स (वि.अध्य.) | 220710 | | 220710 | |
| धारा, झारखंड - वि.अध्य. | 49980 | | 49980 | |
| डायरेक्टर कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस, पुणे-वि. | - | | 73500 | |
| डा. शैला परवीन, लैक्चरर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश | - | | 61000 | |
| इकानमिक डेवेल्पमेंट ट्रस्ट, बिहार -वि.अध्य. | - | | 48090 | |
| इनवायरोनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली - वि.अध्य. | 109200 | | 109200 | |
| ई.आर.यू. कंसलटेंट्स प्रा. लि.-वि.अध्य. | - | | 791940 | |
| फोरम फॉर फैक्ट फाइंडिंग डाक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी- वि.अध्य. | 140730 | | 140730 | |
| गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय - वि.अध्य. | 225540 | | 225540 | |
| ज्ञानोदय फाउंडेशन इठर्वा, बिहार-वि.अध्य. | 68040 | | 204120 | |
| एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय - वि.अध्य. | 45045 | | 135135 | |
| भारती वैज्ञानिक अनुसंधान एवं. विकास परिषद - वि. अध्य. | 65100 | | 65100 | |
| भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली-वि.अध्य. | 1232460 | | 1232460 | |
| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पश्चिमी बंगाल-वि.अध्य. | 64050 | | 64050 | |
| आर्थिक विकास मानिटरिंग संस्थान, केरल-वि.अध्य. | 164430 | | 164430 | |
| जबाला एक्शन रिसर्च आर्गेनाइज़ेशन | 48615 | | 48615 | |
| जन कल्याण परिषद्, छत्तीसगढ़ - वि.अध्य. | 133560 | | 133560 | |
| कल्याणी रूरल डेवेल्पमेंट फाउंडेशन, अजमेर- वि. अध्य. | 48720 | | 48720 | |
| केरल महिला आयोग - वि. अध्य. | 1479712 | | - | |
| कुन्दन वैल्फेयर सोसाइटी - वि. अध्य. | - | | 116550 | |
| लौगल सर्विसेज़, अपोलो अस्पताल के पास, दिल्ली | 65200 | | 65200 | |
| लियाकत अली खान | 40000 | | 40000 | |
| लोक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश - वि. अध्य. | 46620 | | 46620 | |
| मासूम सोसाइटी फॉर सोशल साइंस (वि.अध्य.) | 38600 | | 38600 | |
| मथुरा कृष्ण फाउंडेशन, बिहार | 41200 | | 41200 | |
| मदर्स एल.ए.पी. पूर्त संगठन (वि.अध्य.) | 15000 | | 15000 | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, तमिलनाडु - वि.अध्य. | 134820 | | 134820 | |
| मदर टेरेसा ग्रामीण विकास सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश | 108360 | | 108360 | |
| सुश्री शीला चौधरी | 49200 | | 49200 | |
| नवकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवेल्पमेंट स्टडीज़ | 40000 | | 40000 | |
| राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, कर्नाटक | 123788 | | 270063 | |
| नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बांगी - वि.अध्य. | 615636 | | - | |
| राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली-वि.अध्य. | 590940 | | - | |
| नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज़ - वि.अध्य. | 41160 | | 41160 | |
| नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च (वि.अध्य.) राजस्थान | 119700 | | 119700 | |
| पश्चिम बंगा युवा कल्याण मंच, कोलकाता | 38640 | | 38640 | |
| फगवाड़ा एनवायरमेंट एसोसिएशन, पंजाब-वि.अध्य. | 119700 | | 119700 | |
| प्रिंसीपल जेपियर इंजीनियरिंग कालेज, चेन्नई - वि. अध्य. | 171600 | | - | |
| प्रिंसीपल यूनिवर्सिटी कालेज, केरल-वि.अध्य. | 115920 | | 115920 | |
| प्रो. विजयलक्ष्मी, निदेशक, यू.जी.सी. सेंटर, उदयपुर | 42600 | | 42600 | |
| रजिस्ट्रार सैंटर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात- वि.अध्य. | 192780 | | 192780 | |
| रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय - वि.अध्य. | 475,650 | | - | |
| रजिस्ट्रार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सेशल साइंस(टी.आई.एस.एस.)-वि.अध्य. | 615780 | | 1847340 | |
| रजिस्ट्रार, मद्रास यूनिवर्सिटी-वि. अध्य. | 140580 | | 140580 | |
| रूरल डेवेल्पमेंट एंड वैल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान - वि. अध्य. | 115930 | | 115930 | |
| रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसाइटी, तमिलनाडु | 178290 | | 178290 | |
| रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इम्प्रूवमेंट, वि.अध्य. | 128520 | | 128520 | |
| साहस ब्रदरहुड अपलिफ्टिंग हिमाचल प्रदेश - वि.अध्य. | 56280 | | 56280 | |
| सामाजिक न्याय संस्था, दिल्ली 0 वि.अध्य | 217665 | | 319725 | |
| सार्थक, शक्रपुर - वि.अध्य. | - | | 149625 | |
| स्कूल ऑफ कम्यूनिकेशन, मनीपाल यूनिवर्सिटी - वि.अध्य. | 144774 | | 144774 | |
| शिव चरण माथुर सोशल पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट | 51450 | | 51450 | |
| श्रीनिवास बहु उद्देश्य संस्थान, महाराष्ट्र, वि.अध्य. | 196245 | | 196245 | |
| सिचुएशलन एनालाइसिस ऑफ होमलेस वूमेन | 150000 | | 150000 | |
| सोसाइटी फार यूनिवर्सिटी वेलफेयर, जयपुर, वि.अध्य. | 50820 | | 50820 | |
| साउत विहार वेलफेयर सोसाइटी फॉर ट्राइबल- वि. अध्य. | 211680 | | 211680 | |
| टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़(टी.आई.एस.एस.) वि.अध्य. | 1831540 | | 1921540 | |
| द एसोसिएशन फॉर डेवेल्पमेंट इनिशिएटिव, दिल्ली(वि.अध्य.) | 47460 | | 47460 | |
| थैंडरल मूवमेंट, तमिनलाडु - वि.अध्य. | 59640 | | 59640 | |
| यूनाइटेड ट्रस्ट पी.टी.आर. नगर, तमिलनाडु - वि.अध्य. | 48040 | | 48040 | |
| उत्कल विश्वविद्याल, ओडिशा-वि.अध्य. | 544950 | | - | |
| विजया ओडिशा- वि. अध्य. | - | | 48930 | |
| वूमेन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी, कोलकाता, वि.अध्य. | 86730 | | 260190 | |
| वूमेन स्टडीज़ एंड डेवेल्पमेंट, कोची | 116400 | | 116400 | |

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **राष्ट्रीय महिला आयोग की नेटवर्किंग** | **ख** | **195000** | | **160,800.00** | |
| गुजरात राज्य महिला आयोग - नेटवर्किंग | | 75000 | | 75000 | |
| असम राज्य महिला आयोग | | 120000 | | - | |
| राज्य महिला आयोग, सिकंदराबाद, आन्ध्रप्रदेश - नेटवर्किंग | | - | | 85800 | |
| **न्यायिक एवं पुलिस पदाधिकारियों का क्षमता-निर्माण** | **ग** | **1,015,734** | | **565,734** | |
| ए.सी.पी./मुख्यालय/डी.डी.ओ., एस.पी.यू.डब्ल्यू.सी.- क्षमता निर्माण | | 112140 | | 112140 | |
| सेंटर फॉर सोशल डिफेंस एंड जेंडर - क्षमता निर्माण | | 152869 | | 152869 | |
| पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण), तमिलनाडु -क्षमता निर्माण | | 150000 | | - | |
| निदेशक, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद - क्षमता निर्माण | | 56700 | | 56700 | |
| पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण) एवं निदेशक, राजा बहादुर वेंकट रमन रेड्डी हैदराबाद | | 150,000 | | - | |
| महाराष्ट्र राज्य आयोग - क्षमता निर्माण | | 63000 | | 63000 | |
| महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक - क्षमता निर्माण | | 150000 | | - | |
| पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दारोह, हिमाचल प्रदेश- क्षमता निर्माण | | 29405 | | 29405 | |
| प्रिंसीपल, के.टी.डी.एस. पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, त्रिपुरा | | 21000 | | 21000 | |
| राजा बहादुर वेंकट रामा रेड्डी आन्ध्र प्रदेश पुलिस - क्षमता निर्माण | | 42000 | | 42000 | |
| निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी - क्षमता निर्माण | | 88620 | | 88620 | |
| **कानूनी जागरुकता कार्यक्रम** | **घ** | **8,864,675** | | **9,824,300** | |
| आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर | | 30000 | | 30000 | |
| अभिजन उद्योग ग्रामीण विकास सोसाइटी, गुवाहाटी -एल.ए.पी. | | 23800 | | 23800 | |
| अभिनव विकास मंच, बिहार -एल.ए.पी. | | 50000 | | 50000 | |
| आदर्श, ओडिशा - एल.ए.पी. | | 30000 | | 30000 | |
| आदर्श, ओडिशा - एल.ए.पी. | | 25000 | | 25000 | |
| आगरा ग्रामीण विकस संघ -एल.ए.पी. | | 50000 | | 50000 | |
| एकतन संघ ग्राम एवं डाकघर दारा, पश्चिमी बंगाल | | 15000 | | 15000 | |
| अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु -एल.ए.पी. | | 50000 | | - | |
| अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश -एल.ए.पी. | | - | | 250000 | |
| अल-मदीना मुस्लिम एजुकेशन, आन्ध्र प्रदेश -एल.ए.पी. | | 75000 | | 75000 | |
| अमन ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा | | 15000 | | 15000 | |
| आनन्द स्वरूप बहुद्देश्यीय सेवाभावी -एल.ए.पी. | | 50000 | | 50000 | |
| आन्ध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी. | | - | | 600000 | |
| अंकुर सामाजिक सेवाभावी संस्था - महाराष्ट्र -एल.ए.पी. | | 50000 | | 50000 | |
| अन्नामलई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु -एल.ए.पी. | | 50000 | | - | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| अन्नपूर्णा जन विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश -एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति -एल.ए.पी. | 30000 | | 30000 | |
| एराइज़, राजामंद्री, आन्ध्र प्रदेश-एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| आशा विकास संस्थान, उदयपुर | 30000 | | 30000 | |
| महिला ग्रामीण विकास संघ, ओडिशा | 15000 | | 15000 | |
| अस्तित्व बाबू उद्देश्य मानव उत्थान संस्थान | 15000 | | 15000 | |
| बाल निकेतन शिक्षा समिति, उत्तर प्रदेश (एल.ए.पी.) | 15000 | | 15000 | |
| बाल विकास एजूकेशल सोसाइटी, फरीदाबाद - एल.ए.पी. | 30000 | | 30000 | |
| बरेली कालेज, बरेली, उत्तर प्रदेश -एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| बेनोदिनी सेंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवेल्पमेंट, पश्चिमी बंगाल | 15000 | | 15000 | |
| भरथियर यूनिवर्सिटी आर्ट एंड साइंस कालेज-एल.ए.पी. | - | | 100000 | |
| भारत उदय संस्थान, राजस्थान -एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| भारतवासी सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश-एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| भारतीय ध्यानवर्धनी लोक विकास, महाराष्ट्र - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| भारतीय शिक्षा प्रसार संस्थान - एल.ए.पी. | 25000 | | 25000 | |
| बृजराम स्वैन महिला समिति, ओडिशा | 15000 | | 15000 | |
| बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा-एल.ए.पी. | 50,000 | | - | |
| सेंटर फॉर एक्शन आन डिसेबल्ड राइट्स, आन्ध्र प्रदेश -एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय -एल.ए.पी. | 150000 | | 150000 | |
| सेंटर फॉर पर्सनल लाज़, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-एल.ए.पी. | 50000 | | - | |
| चांदीपुर ग्रामीण विकास, पश्चिमी बंगाल-एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग | 530000 | | 30000 | |
| छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड -एल.ए.पी. | 600,000 | | - | |
| क्राफ्ट्स एंड सोशल डेवेल्पमेंट आर्गेनाइजेशन, त्रिनगर -एल.ए.पी. | 30000 | | 30000 | |
| कल्चरल एक्शन फॉर रूरल डेवेल्पमेंट, कर्नाटक -एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| दलित महिला रचनात्मक परिषद्, अहमदाबाद, गुजरात | 15000 | | 15000 | |
| दया कृष्ण समाज कल्याण समिति, मध्य प्रदेस -एल.ए.पी. | - | | 100000 | |
| महिला अध्ययन विभाग, गोआ विश्वविद्यालय -एल.ए.पी. | 50,000.00 | | - | |
| ग्रामीण शिक्षा विकास, अग्रीतुर, तमिलनाडु -एल.ए.पी. | - | | 25000 | |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरी 24 परगना, पश्चिमी बंगाल-एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर -एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोलकाता पश्चिमी बंगाल -एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण -एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल | 50000 | | 50000 | |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नादिया, पश्चिमी बंगाल | - | | 50000 | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रा.- एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर-एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल -एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर, पश्चिमी बंगाल | 15000 | | 15000 | |
| जिला महिला एवं बाल विकास एजेन्सी आन्ध्र प्रदेश -एल.ए.पी. | 50,000 | | - | |
| ईस्ट मग्रहात अकातल बाल -एल.ए.पी. | 45000 | | 45000 | |
| फैकल्टी आफ मेनेजमेंट स्टडीज़ एंड ला, राजस्थान -एल.ए.पी. | - | | 200000 | |
| फैकलटी आफ ला, जामिया मिलिया इस्लामिया -एल.ए.पी. | 250000 | | 250000 | |
| गांधी सेवा संस्थान, छत्तीसगढ़ | 15000 | | 15000 | |
| गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन, हरियाणा | 15000 | | 15000 | |
| ग्रामीण जन कल्याण सेवा समिति उत्तर प्रदेश -एल.ए.पी. | 30000 | | 30000 | |
| ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा -एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| ग्रामीण युवा विकास मंडल, हरियाणा | 15000 | | 15000 | |
| ग्रामोधार कल्याण समिति, बिहार (एल.ए.पी.) | 15000 | | 15000 | |
| ग्रामोद्योग आश्रम, बिहार | 15000 | | 15000 | |
| ग्राम सुधार समिति, हरियाणा | 15000 | | 15000 | |
| गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्याल -एल.ए.पी. | 150000 | | 100000 | |
| गुजरात राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी. | 250000 | | 250000 | |
| गुरुभक्ति शैक्षणिक एवं सेवाभावी - एल.ए. पी. | 15000 | | 15000 | |
| ज्ञान दर्शन अकादमी, उत्तर प्रदेश | 15000 | | 15000 | |
| हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, बिहार -एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| हरि श्री, नई दिल्ली -एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| हीरा सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश -एल.ए.पी. | - | | 100000 | |
| हैल्प एम इंडिया संस्थान, राजस्थान -एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| हैल्पफुल सोसाइटी, दिल्ली -एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| हिमालय फाउंडेशल, बिहार -एल. ए.पी. | - | | 150000 | |
| एच.एम.यू. हाशमी ला कालेज , उत्तर प्रदेश -एल. ए.पी. | - | | 100000 | |
| भारतीय अल्पसंख्यक युवा संघ, उत्तर प्रदेश | 15000 | | 15000 | |
| इंडियन सोसाइटी, उदयपुर | 15000 | | 15000 | |
| इंदिरा विकास महिला मंडली, आन्ध्र प्रदेश | 10000 | | 10000 | |
| इंस्टीट्यूट आफ सोशल वैल्फेयर एक्शन, गुजरात (एल.ए.पी.) | 15000 | | 15000 | |
| जमशेदपुर महिला कालेज, झारखंड -एल.ए.पी. | 50,000 | | - | |
| जनसाधना, ओडिशा -एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| जन हितेशिनी कल्याण समिति, उत्तराखंड -एल.ए.पी. | 45000 | | 45000 | |
| जमनादास सोसाइटी फार सोशल एंड एनवायरमेंट, दिल्ली -एल.ए.पी. | - | | 50000 | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| जन सेवा समिति, रोहतक, हरियाणा -एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| झारखंड राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी. | - | | 250000 | |
| जीवन ज्योति समित, हरियाणा - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| ज्वाइंट वूमन्स प्रोग्राम, नई दिल्ली | 30000 | | 30000 | |
| कादम्बिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा, एमपी - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| कनौडिया स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय जयपुर - एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| कर्नाटक महाविद्यालय - एल.ए.पी. | 50,000.00 | | - | |
| केरल राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण - एल.ए.पी. | - | | 100000 | |
| लेडी दोअक कॉलेज कटी विकोक्स एजुकेशन तमिलनाडु - एल.ए.पी. | 42,875 | | - | |
| लेकसिटी मूवमेंट सोसाइटी, राजस्थान | 45000 | | 45000 | |
| लक्ष्य एजुकेशन, आर्ट & कल्चरल सोसाइटी, हरियाणा | 15000 | | 15000 | |
| लोकसेवा महिला युवक, महाराष्ट्र, एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| माँ द्रौपदई जनसेवा समिति, उत्तर प्रदेश | 15000 | | 15000 | |
| मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी - एल.ए.पी. | 50,000 | | - | |
| महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण - एल.ए.पी. | 150000 | | 150000 | |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान - एल.ए.पी. | - | | 150000 | |
| महात्मा साईराम प्रतिष्ठान महाराष्ट्र - एल.ए.पी. | 25000 | | 25000 | |
| महावीर शिक्षा समिति - एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| महिला जागरूकता शिक्षा एवं कल्याण समिति, बिलासपुर | 15000 | | 15000 | |
| महिला कल्याण एवं विद्या विकास समिति, कानपुर | 25000 | | 25000 | |
| महिला उद्योग केंद्र परमेश्वर भवन, बिहार - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| मालाबपूर पीपल रूरल डेवल्पमेंट सोसाइटी, पश्चिम बंगाल | 30000 | | 30000 | |
| ममता मकल्लय मंदिरा, कर्नाटक - एल.ए.पी. | - | | 100000 | |
| मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, हरियाणा - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| मानव कल्याण समिति, अल्मोड़ा (एल.ए.पी.) | 30000 | | 30000 | |
| मानव कल्याण संस्थान, देहरादून | 30000 | | 30000 | |
| मानव सेवा आश्रम वनौषधि ग्रामोद्योग संस्था उ.प्र. - एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| मंगल शांति महिला विकास चैरिटेबल, गुजरात - एल.ए.पी. | 25000 | | 25000 | |
| मनोंमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु - एल.ए.पी. | 47500 | | - | |
| मरुधारा संस्थान जयपुर - एल.ए.पी. | 250000 | | 250000 | |
| मातृ दर्शन शिक्षा समिति, बांसवाड़ा | 15000 | | 15000 | |
| मातृ दर्शन शिक्षा समिति, उदयपुर | 15000 | | 15000 | |
| मौलासाईं सेवाभावी संस्थान, महाराष्ट्र | 15000 | | 15000 | |
| माडर्न शिक्षा विकास समिति | 15000 | | 15000 | |
| मदरली एसासिएशन फॉर सोशल सर्विसेज (मास) - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| मदर सोसाइटी (मिरेकल आर्गेनाइजेशन) आं.प्र. - एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| मुक्त भारती शिक्षा समिति राजस्थान - एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| नबीन संघ, पश्चिमी बंगाल - एल.ए.पी. | 30000 | | 30000 | |
| नालंदा एजुकेशनल सोसाइटी, हरियाणा | 15000 | | 15000 | |
| नन्दा इंजीनियरिंग कालेज तमिलनाडु - एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| नेशनल एलायंस ऑफ वूमन (एनएडब्ल्यूओ) - एल.ए.पी. | - | | 225000 | |
| नेशनल यूथ एसोसिएशन, असम | 40000 | | 40000 | |
| नेटिव एजुकेशन एंड एम्पलायमेंट डेवेल्पमेंट सोसाइटी, म.प्र. | 15000 | | 15000 | |
| नैचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड रिसोर्स | 15000 | | 15000 | |
| नवदागर छत्तीसगढ़ - एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| न्यू एज फाउण्डेशन, वाराणसी | 15000 | | 15000 | |
| न्यू लाइफ क्लब, ओडिशा | 15000 | | 15000 | |
| एन. जे.मार्था विद्या प्रसारक समाज, गुजरात - एल.ए.पी. | 25000 | | 25000 | |
| ओएसिस फाउण्डेशन, तमिलनाडु | 10000 | | 10000 | |
| ओडिशा राज्य महिला आयोग | 50000 | | 50000 | |
| पेस अकादमी, महाराष्ट्र - एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| प्रभात सागर ज्ञान विकास संस्थान, राजस्थान - एल.ए.पी. | 30000 | | 30000 | |
| पर्वतीय महिला विकास समिति, उत्तराखंड - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| पीपल वॉलेंटरी इंटेगरल सर्विस आर्गेनाइजेशन - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| पेरियार विश्वविद्यालय पल्कलाई नगर  तमिलनाडु - एल.ए.पी. | 250000 | | - | |
| स्नातकोत्तर विधि विभाग, बेरहामपुर विश्विद्यालय. ओडिशा-एल.ए.पी. | 50000 | | - | |
| प्रगति  महिला बहूद्देशीय, महाराष्ट्र - एल.ए.पी. | 25000 | | 25000 | |
| प्रेमचंद शिक्षा विकास सोसाइटी आंध्रप्रदेश - एल.ए.पी. | - | | 25000 | |
| प्रधानाचार्य गवर्नमेंट स्नातकोत्तर महाविद्यालय म.प्र. - एल.ए.पी. | 250000 | | - | |
| प्रधानाचार्य, जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय लखनऊ - एल.ए.पी. | - | | 100000 | |
| प्रधानाचार्य, नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  लखनऊ - एल.ए.पी. | - | | 300000 | |
| पब्लिक हैथ एंड मैडिकल टैक्नॉलोजी, दिल्ली - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| पूर्वांचल विकास समिति (एल.ए.पी.) | 25000 | | 25000 | |
| पुष्पा केकाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट | 15000 | | 15000 | |
| रोछेरी जनता विकास ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा | 12500 | | 12500 | |
| राजपुर ग्राम विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान - एल.ए.पी. | 100000 | | 100000 | |
| राना जैविक ग्रामीण एवं कृषि सेवा समिति, उत्तराखंड | 25000 | | 25000 | |
| राष्ट्रीय सदभाव सेवा समिति, हरियाणा - एल.ए.पी. | 125000 | | 125000 | |
| रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी - आं.प्र. - एल.ए.पी. | - | | 75000 | |
| रूरल डेवेल्पमेंट ट्रस्ट तमिलनाड् - एल.ए.पी. | 25000 | | 25000 | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| रूरल डेवेल्पमेंट एंड वैल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान | 30000 | | 30000 | |
| रूरल आर्गेनाईजेशन फॉर पावर्टी एराडीकेशन, ओडिशा | 15000 | | 15000 | |
| समाज कल्याण समिति, हरियाणा - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| समाज संस्थान एंड सर्वांगीण विकास संस्थान, महाराष्ट्र | 9000 | | 9000 | |
| समाज उत्थान समिति, उ.प्र. | 13250 | | 13250 | |
| समता सेवा संस्थान, उदयपुर | 30000 | | 30000 | |
| संकल्प साधना महाराष्ट्र - एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| सर्वांगीण उन्नयन समिति, असम | 20000 | | 20000 | |
| सर्वोदय विकास समिति, उ.प्र. - एल.ए.पी. | - | | 50000 | |
| सेवेज (सोसाइटी ऑन एक्शन विलेज एजूकेशन), आं.प्र.(एल.ए.पी.) | 15000 | | 15000 | |
| सेवाहार (सोसाइटी फॉर एजूकेशन, वेलफेयर एण्ड हैल्थ), हरियाणा | 15000 | | 15000 | |
| शेयर एजुकेशन रूरल अमंग पीपल्स तमिलनाडु - एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| शिव जन जागृति शिक्षा समिति, हरियाणा - एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| शिव शंकर सेवा संस्थान, राजस्थान- एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| श्री सिद्ध देव ग्रामोद्योग संस्थान - एल.ए.पी. | 25000 | | 25000 | |
| श्री आसरा विकास संस्थान, उदयपुर - एल.ए.पी. | - | | 100000 | |
| श्री बानशंकरी महिला मंडल - एल.ए.पी. | 25000 | | 25000 | |
| श्री हरि कृष्ण शिक्षा सेवा समिति, अलवर | 15000 | | 15000 | |
| श्री लक्ष्मी नरायण बद्री विशाल - एल.ए.पी. | 30000 | | 30000 | |
| श्री लक्ष्मी रूरल डेवेल्पमेंट एण्ड एजूकेशनल सोसाइटी, आं.प्र.- एल.ए.पी. | 15000 | | 15000 | |
| श्री नारायण एवं विकास संस्थान - एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| श्री राधा कृष्णा सेवा समिति - एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| श्री राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक संस्थान, राजस्थान | 45000 | | 45000 | |
| श्याम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उ.प्र. | 15000 | | 15000 | |
| सृजन महिला विकास मंच, झारखण्ड | 15000 | | 15000 | |
| श्रीमती सुशीला देवी एजूकेशनल सोसाइटी, नई दिल्ली | 30000 | | 30000 | |
| स्नेगम मल्टी सोशल एक्शन मूवमेंट, तमिलनाडु | 10000 | | 10000 | |
| सोशल एक्शन नेटवर्क ग्रुप, उ.प्र. | 15000 | | 15000 | |
| सोसाइटी फॉर नरचरिंग एजूकेशन हैल्थ, आं.प्र. - एल.ए.पी. | 30000 | | 30000 | |
| सोसवा ट्रेनिंग एंड प्रोमोशन, पुणे - एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| सौंदर्य रूरल एण्ड अर्बन डेवेल्पमेंट एसोसिएशन, कर्नाटक | - | | 100000 | |
| श्रीगुरू अयप्पास्वामी एजूकेशनल ट्रस्ट कर्नाटक - एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| श्री कृष्णा शिक्षा प्रसार समिति, म.प्र. | 15000 | | 15000 | |
| श्री स्वामी धरनीधर सेवा संस्था उ.प्र. - एल.ए.पी. | 50000 | | 50000 | |
| स्टेयर्स, उ. प्र. - एल.ए.पी. | 75750 | | 75750 | |

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| सुरेश शर्मा फाउण्डेशन, राजस्थान - एल.ए.पी. | | 100000 | | 100000 | |
| सस्टेनेबल रिसर्च एण्ड डेवेल्पमेंट सेंटर, महाराष्ट्र - एल.ए.पी. | | 50000 | | 50000 | |
| एस. वी. एस. संस्थान, राजस्थान | | 15000 | | 15000 | |
| स्वालंबी ग्रामोद्योग एवं जन चेतना विकास संस्थान, आर | | 15000 | | 15000 | |
| तमिलनाडु राज्य आयोग - एल.ए.पी. | | 200,000 | | - | |
| टी.ए.वी. एजुकेशन एंड रूरल डेवेल्पमेंट तमिलनाडु - एल.ए.पी. | | 50000 | | 50000 | |
| तेलंगाना राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी. | | 500,000 | | - | |
| द कर्नाटक स्टेट हरिजन - एल.ए.पी. | | - | | 50000 | |
| सोसाइटी फॉर वूमन एंड चाईल्ड डेवेल्पमेंट एंड सर्विसेस, दिल्ली | | 30000 | | 30000 | |
| थिरूमंगई चैरिटेबल ट्रस्ट, तमिलनाडु - एल.ए.पी. | | 15000 | | 15000 | |
| तुलसी ग्रामोद्योग सेवा समिति, उ.प्र. | | 25000 | | 25000 | |
| उम्मीद समिति, राजस्थान - एल.ए.पी. | | 30000 | | 30000 | |
| यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली फैकल्टी ऑफ़ लॉ - एल.ए.पी. | | 100,000 | | - | |
| उत्कर्ष महिला एवं बाल कल्याण म.प्र., (एल.ए.पी.) | | 15000 | | 15000 | |
| उत्तराखंड राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी. | | 175000 | | 125000 | |
| विद्या भूषण युवक मंडल - एल.ए.पी. | | 75000 | | 75000 | |
| विज्ञान शिक्षा केन्द्र, हरियाणा | | 30000 | | 30000 | |
| विकास ग्रामोद्योग मंडल, सोनीपत, हरियाणा | | 30000 | | 30000 | |
| विश्व भारती विश्वविद्यालय, प.बं. - एल.ए.पी. | | 150000 | | 150000 | |
| यमुना संस्था, राजस्थान - एल.ए.पी. | | 30000 | | 30000 | |
| युवा संघर्ष समिति, हरियाणा (एल.ए.पी.) | | 45000 | | 45000 | |
| युवा खेल समिति, हरियाणा- एल.ए.पी. | | 15000 | | 15000 | |
| **विधिक जागरूकता कार्यक्रम - पूर्वोत्तर क्षेत्र** | **E** | **5,391,500** | | **4,551,500** | |
| अबू ट्रेनिंग सोशियो - इकोनोमिक डेवेल्पमेंट सोसाइटी | | 30000 | | 30000 | |
| अमतसारा, शिलांग एल.ए.पी. एनईआर | | 550000 | | 550000 | |
| अरूणाचल राज्य महिला आयोग (एल.ए.पी. एन.ई.आर.) | | 600,000 | | - | |
| असम राज्य महिला आयोग, उझानबाजार एल.ए.पी. | | 440000 | | 440000 | |
| असम विश्वविद्यालय - एल.ए.पी. | | 180000 | | 300000 | |
| दीरा गांव वन प्रबंधन, अरूणाचल प्रदेश | | 20000 | | 20000 | |
| जिला समाज कल्याण कार्यालय, असम | | 56500 | | 56500 | |
| ड्रीम्स असम | | 20000 | | 20000 | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| हयांग मेमोरियल एग्रो इण्डस्ट्री एण्ड एजूकेशन - अ.प्र.-एल.ए.पी. | 40000 | | 40000 | |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मणिपुर - एल.ए.पी. | 180000 | | 300000 | |
| इत्तेहाद सोशिओ - कल्चरल ऑर्गनाइजेशन, असम | 20000 | | 20000 | |
| जैज़ी, गुवाहाटी, असम | 20000 | | 20000 | |
| ज्योतिमय फाउण्डेशन, असम एल.ए.पी. एनईआर | 20000 | | 20000 | |
| खोमीदोक मुस्लिम महिला कल्याण सोसाइटी, मणिपुर | 20000 | | 20000 | |
| कोनवार चतिया सेनशनि महिला समिति, असम | 40000 | | 40000 | |
| लाइट ऑफ विलेज, गुवाहाटी, असम | 20000 | | 20000 | |
| लांगमई मल्टी - परपज एसोसिएशन, मणिपुर - एल.ए.पी. | 20000 | | 20000 | |
| मणिपुर राज्य महिला आयोग | - | | 360000 | |
| मसकोट्टे डेवेल्पमेंट सोसाइटी, नागालैंड - एल.ए.पी. एनईआर | 60000 | | 60000 | |
| मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, एनईआर | 300000 | | 120000 | |
| मेरिट एजूकेशनल सोसाइटी, असम | 20000 | | 20000 | |
| मिजोरम विधि महाविद्यालय - एल.ए.पी. एनईआर | - | | 180000 | |
| नागालैंड राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी. एनईआर | 660000 | | - | |
| नन्दिनी वेल्फेयर सोसाइटी, असम - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 30000 | | 30000 | |
| नयन मणी प्रगति संघ, असम | 15000 | | 15000 | |
| एनआईएमएस एजूकेशनल एण्ड सोशल एसोसिएशन, असम (एल.ए.पी.) | 40000 | | 40000 | |
| नार्थ - ईस्ट ब्राइट सोसाइटी, असम | 40000 | | 40000 | |
| नार्थ - ईस्ट पीपल राइट, असम | 20000 | | 20000 | |
| पातेरी रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी असम, एनईआर | - | | - | |
| फाकुन हरमोती गांव श्रीमाता संकर, असम एनईआर | 40000 | | 40000 | |
| प्रयास, असम | 40000 | | 40000 | |
| प्रोग्रेसिव डेवेल्पमेंट ऑर्गेनाइजेशन, असम - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 20000 | | 20000 | |
| रेडको फाउण्डेशन, मणिपुर - एल.ए.पी. | 40000 | | 40000 | |
| रजिस्ट्रार मणिपुर विश्वविद्यालय. जिला इम्फाल - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 360000 | | - | |
| रोटरी क्लब, शिलांग - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एल) | 510000 | | 510000 | |
| रूरल एरिया सर्वोदया प्रोलेटरिएट - मणिपुर - एल.ए.पी. | 120000 | | 120000 | |
| सेल्फ इम्पलॉयड ट्राइबल एण्ड बैकवर्ड्स वूमेन्स - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 20000 | | 20000 | |
| सिक्किम राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र | - | | 60000 | |
| सन क्लब, असम इनईआर | 20000 | | 20000 | |
| तेजपुर सोशल सर्विस सोसाइटी (टीएसएसएस)-असम एल.ए.पी. | - | | 180000 | |
| द एसोसिएशन फॉर डेवेल्पमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, मणिपुर | 20000 | | 20000 | |
| द संगीत नाट्य, मणिपुर - एल.ए.पी. एनईआर | 60000 | | 60000 | |
| त्रिपुरा महिला आयोग अगरतला (एनईआर) एल.ए.पी. | 600000 | | 540000 | |
| यूनाईटेड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, असम - एल.ए.पी. एनईआर | 60000 | | 60000 | |
| वेलफेयर ऑफ आल हेपाह, असम (एलपीए) | 20000 | | 20000 | |

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)** | **(च)** | **675,000** | | **795,000** | |
| अहर्निश सेवा संस्थान, देवरिया, उ.प्र. (पीएमएलए) | | 60000 | | 60000 | |
| आशा महिला जनकल्याण प्रतिष्ठान - एल.ए.पी. | | 30000 | | 30000 | |
| दलित उत्थान राष्ट्रीय गर्ल्स समिति, उ.प्र. - पीएमएलए | | 30000 | | 30000 | |
| हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा | | 150000 | | 150000 | |
| इस्लामिया मकतब प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, उ.प्र. | | 15000 | | 15000 | |
| जन समाधान सेवा संस्थान, उ.प्र. - पीएमएलए | | 30000 | | 30000 | |
| क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास समिति - पीएमएलए | | 30000 | | 30000 | |
| मानव कल्याण समिति - पीएमएलए | | 30000 | | 30000 | |
| नरेन्द्र देव एजूकेशनल स्कूल, महाराष्ट्र | | 15000 | | 15000 | |
| नेचर उ.प्र.- पीएमएलए | | - | | 90000 | |
| प्रतिभा, उ.प्र. - पीएमएलए | | 90000 | | 90000 | |
| सहारा समिति (पीएमएलए), उ.प्र. | | 15000 | | 15000 | |
| श्री मीरा सरस्वती शिक्षा समिति - पीएमएलए | | 30000 | | 30000 | |
| स्पंदन, सीतापुर, उ.प्र. - पीएमएलए | | - | | 30000 | |
| द वूमेन्स वैल्फेयर सोसाइटी, कर्नाटक (पीएमएलए) | | 30000 | | 30000 | |
| यशवंत सेवाभावी बहुउद्देशीय, लातूर - पीएमएलए | | 60000 | | 60000 | |
| युवा चेतना समाज कैल्याण समिति, दिल्ली (पीएमएलए) | | 45000 | | 45000 | |
| जैन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ, उ.प्र. | | 15000 | | 15000 | |
| **राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठियां और सम्मेलन** | **(छ)** | **270,000** | | **630,000** | |
| भारथियार यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर तमिलनाडु-एस/सी एनएल | | - | | 90000 | |
| गांधी स्मारक ग्राम सेवा, केरल - एस/सी | | 90000 | | 90000 | |
| हील इण्डिया - एस/सी एसएल | | - | | 90000 | |
| राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर - एस/सी एनएल | | 60000 | | 60000 | |
| रजिस्ट्रार, अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु - एस/सी | | - | | 60000 | |
| रजिस्ट्रार, हेमचन्द्राचार्य उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय - एस | | - | | 90000 | |
| रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया - एस/सी | | 90000 | | 90000 | |
| सोसाइटी फॉर कम्युनिटी एक्शन आं.प्र. - एस/सी एनएल | | 30000 | | 30000 | |
| कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान - एस/सी एनएल | | - | | 30000 | |
| वूमेंस स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी एस./सी. | | | | | |

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **संगोष्ठियां एवं सम्मेलन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)** | **(ज)** | **1,037,950** | | **822,200** | |
| एक्शन फॉर वूमेन एंड रूरल डेवेल्पमेंट मणिपुर - एस/सी | | 145200 | | 145200 | |
| अखण्ड, त्रिपुरा - एनईआर एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| असम विश्वविद्यालय, - एस/सी एनईआर | | - | | - | |
| महिला अध्ययन केंद्र, असम | | 30000 | | 30000 | |
| कालेज ऑफ होम साइंस सेंट्रल मेघालय - एस/सी एनईआर | | - | | 30000 | |
| राजनीति विज्ञान विभाग डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय | | 30000 | | 30000 | |
| डेवेल्पमेंट नेटवर्किंग एजेंसी, मणिपुर - एस/सी एनईआर | | 30000 | | 30000 | |
| डेवेल्पमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन एंड स्पोर्टिंग - एस/सी एनईआर | | 36000 | | 36000 | |
| दुकुतिया चैरिटेबल ट्रस्ट, बीटीएडी | | 30000 | | 30000 | |
| फाउण्डेशन फॉर सोशल डेवल्पमेंट ऑर्गेनाइजेशन इम्फाल, मणिपुर | | 30000 | | 30000 | |
| ग्लोबल हैल्थ इम्यूनिजेशन एंड पॉपूलेशन असम - एस/सी एन | | - | | - | |
| ग्रासरूट, मेघालय - एस/सी | | 20000 | | 20000 | |
| हयांग मेमोरियल एग्रो इण्डस्ट्री एण्ड एजूकेशन, ए.पी.एस/सी एनईआर | | 30000 | | 30000 | |
| ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स आर्गेनाईजेशन मणिपुर-एस./सी. | | 65,750 | | - | |
| ईश्वरम्भा समिति संघ - एस/सी एनईआर | | 30000 | | 30000 | |
| मेघालय राज्य महिला आयोग - एस/सी | | 36000 | | 36000 | |
| न्यू इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी (एस/सी) | | 30000 | | 30000 | |
| न्यू विज़न क्रिएटिव सोसाइटी विलेज एंड पोस्ट एरा.असम | | 30000 | | 30000 | |
| नार्थ-ईस्टर्न डेवलपमेंट कौंसिल फॉर ह्यूमन असम एस/ | | 90000 | | - | |
| नार्थ-ईस्ट इंडिया सेंटर फॉर मास कम्यूनिकेशन-- एस/सी एन | | - | | 30000 | |
| नार्थ ईस्ट नेटवर्क, असम - एस/सी एनईआर | | 135000 | | 135000 | |
| पराडा, मणिपुर | | 30000 | | 30000 | |
| रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश - एस/सी एनईआर | | - | | 30000 | |
| सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेल्फेयर एंड एजूकेशन मणिपुर - एस/सी एनईआर | | 150,000 | | - | |
| साउथ एशिया बम्बू फाउंडेशन - एस/सी एनईआर | | 30000 | | 30000 | |
| **क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठियां / सम्मेलन** | ***(झ)*** | **210,000** | | **240,000** | |
| अखिल भारतीय सामाजिक न्याय सोसाइटी- एस/सी | | 90000 | | 90000 | |
| इंदिरम्मा महिला मंडली - - एस/सी | | - | | 30000 | |
| नव भारत ग्रामीण एवं शिक्षा सोसाइटी ए.पी. - एस/सी | | 60000 | | 60000 | |
| श्री राजे शिव क्षत्रपति महाराष्ट्र - एस/सी आर | | 60000 | | 60000 | |

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **संगोष्ठियां सम्मेलन - राज्य स्तरीय** | **(ञ)** | **630,000** | | **1,140,000** | |
| अल-ए-यासीन मानव संसाधन विकास एस/सी | | - | | 30000 | |
| ए.आर. फाउंडेशन आन्ध्र प्रदेश -एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| अस्थाना-ए-चिस्तिया महिला मंजली - एस/सी | | - | | 30000 | |
| बालाजी ग्रामीण विकास सोसाइटी, कर्नाटक - एस/सी | | - | | - | |
| बंकुरा मानस सोशल वैल्फेयर सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| बरबेरिया चेतना सत्संग, पश्चिमी बंगाल -एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| भारतीय लोक कल्याण संस्थान, झारखंड-एस/सी | | - | | 30000 | |
| सेंटर फॉर आल्टरनेट रूरल (केयर)-एस/सी | | - | | 30000 | |
| चन्द्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सेवा-एस/सी | | - | | 30000 | |
| डी. एस. सोशल सोसाइटी आवास विकास, उत्तर प्रदेश-एस/सी | | - | | 30000 | |
| ग्रामियम, तमिलनाडु-एस/सी | | - | | 30000 | |
| जय देवी शिक्षा प्रसार समिति, मध्य प्रदेश-एस/सी | | - | | 30000 | |
| जय किसान शिक्षण प्रसारक मंडल-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| जय श्री अरिहन्त विद्या मंदिर, बूंदी-एस/सी | | - | | 30000 | |
| जन कल्याण समाज सेवा ट्रस्ट-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| कमला नेहरू महाविद्यालय-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| लोक सेवा संस्थान-एस/सी(राज्य स्तर) | | 30000 | | 30000 | |
| मानव विकास फाउंडेशन, दिल्ली-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| मातोश्री माइसाहेद अम्बेडकर ग्राम विकास-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| मित्र जागरुकता समाज सेवा- आन्ध्र प्रदेश-एस/सी | | - | | 30000 | |
| मुक्ति ममता महिला मंडल- मध्य प्रदेश-एस/सी | | - | | 30000 | |
| नागरिक उत्थान समिति, उत्तर प्रदेश-एस/सी | | - | | 30000 | |
| नेहरू युवा क्लब-हरियाणा-एस/सी | | - | | 30000 | |
| नोबल रिफार्मेशन इंटेग्रेशन सोसाइटी-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| राजधानी कालेज, दिल्ली-एस/सी | | - | | 30000 | |
| रामेश्वर महादेव विकास संस्था-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| सेफ सोसाइटी-एस/सी एस.एल. | | - | | 30000 | |
| सांस्कृतिक सामाजिक समिति, उत्तर प्रदेश-एस/सी | | 60000 | | 60000 | |
| सतर्विन्दर शिक्षा समिति-एस/सी एसएल | | 30000 | | 30000 | |
| सावित्रीबाई फुले भाउ शिक्षण संस्थान-एस/सी एसएल | | 30000 | | 30000 | |
| शेयर (सोसाइटी फॉर ह्यूमेनिता एक्शन) ओडिशा-एस/सी | | - | | - | |
| श्री दर्पण पूर्त संस्थान - गुजरात-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| श्रीपद नवजीवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र-एस/सी एस.एल. | | 30000 | | 30000 | |
| श्री राजीव गांधी स्मृति खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| श्री राम जन कल्याण विकास समिति-एस/सी एसएल राजस्थान | | - | | 30000 | |
| सोशल एक्शन फॉर रूरल पुअर कर्नाटर-एस/सी | | - | | 30000 | |
| सोशल वैल्फेयर एंड रिसर्च एसोसिएशन, दिल्ली एस/सी | | - | | - | |
| सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ प्रगति संस्थान, राजस्थान एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| स्वावलंबन, हिमाचल प्रदेश-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| कमजोर वर्ग विकास सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| **अन्य संगोष्ठियां एवं सम्मेलन** | ट | **21,160,669** | | **19,973,586** | |
| ए.सी.पी./डी.डी.ओ./एस.पी.यू.डब्ल्यू.सी. नानकपुरा-एस/सी एक्स | | 4379000 | | 3665000 | |
| आदर्श, ओडिशा(एस/सी) | | 15000 | | 15000 | |
| एकतन संघ, पश्चिमी बंगाल(एस/सी) | | 30000 | | 30000 | |
| अखिल भारतीय विकलांग सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| अखिल मानव सेवा परिषद्-एस/सी | | 13950 | | 13950 | |
| अक्कामहादेवी महिला मंडल, कर्नाटक-एस/सी | | - | | 90000 | |
| अखिल भारतीय महिला संघ, दिल्ली-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| एमेटी लॉ स्कूल, उत्तर प्दसे(एस/सी) | | 153750 | | 153750 | |
| अमृत विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी-एस/सी | | - | | 109250 | |
| अरुणोदय एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी-एस/सी | | 29624 | | 29624 | |
| अन्नदाता, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी | | 73500 | | - | |
| आर्य महिला पी.जी. कालेज, वाराणसी -एस/सी | | 39675 | | - | |
| एसोसिएशन फॉर डेवेल्पमेंट एंड रिसर्च ओडिशा एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| आवाज़-ए-निस्वान, मुम्बई-एस/सी | | - | | 109300 | |
| अवध एजूकेशनल सोसाइटी, लखनऊ-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| बशीरहट पथप्रदर्शक वैल्फेयर सोसीइटी-एस/सी | | 67000 | | - | |
| भागीदारी जन सहयोग समिति | | 30000 | | 30000 | |
| भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान-एस/सी | | 150,000 | | - | |
| भारतीय स्त्री शक्ति, मुम्बई-एस/सी | | 173500 | | - | |
| भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश(एस/सी | | 15000 | | 15000 | |
| बिहंग वैल्फेयर एसोसिएशन, गाज़ियाबाद-एस/सी | | 97030 | | - | |
| सेंटर फार वूमेन स्टडीज़, दिल्ली-एस/सी | | 90000 | | 90000 | |
| महिला चेतना जागृति, दिल्ली-एस/सी | | 91000 | | - | |
| डेवेल्पिंग कंट्रीज़ रिसर्च सैंटर डी. यू.-एस/सी | | 90000 | | 90000 | |
| धनवंधरी मेंटली रिटार्डेड ड्रग-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| धरती फाउंडेशन, दिल्ली-एस/सी | | - | | 60000 | |
| निदेशक, माया फाउंडेशन, चंडीगढ़-एस/सी | | 90000 | | 90000 | |
| निदेशक, स्कूल ऑफ इंश्योरेंस स्टडीज़ नेशनल लॉ | | 142750 | | 142750 | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| डिवाइन टच दिल्ली-एस/सी | 90000 | | 90000 | |
| डा. बी.आर. अम्बेडकर रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, कर्नाटक-एस/सी | 164000 | | 30000 | |
| डा. हाहनेमन एजूकेशनल डेवेल्पमेंट, दिल्ली | 30000 | | 30000 | |
| दुआर्शनी श्रमिक संघ, ओडिशा | 9000 | | 9000 | |
| एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु(एस/सी) | 29000 | | 29000 | |
| एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट, तमिलनाडु(एस/सी) | - | | 95150 | |
| गंदारपुरकर श्री रामकृष्ण आश्रम, पश्चिमी बंगाल-एस.सी. | 30000 | | 30000 | |
| गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोयडा-एस/सी | 90000 | | - | |
| गीत महिला समिति, उत्तर प्रदेश | 15000 | | 15000 | |
| जी.एच.जी. खालसा महिविद्यालय, लुधियाना-एस/सी | - | | 142750 | |
| ज्ञान सुधा एजूकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद | 15000 | | 15000 | |
| गोखले एजूकेशल सोसाइटी, मुम्बई-एस/सी | - | | 63650 | |
| ग्रामीण सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश-एस/सी | 84750 | | - | |
| ग्रीन वर्ल्ड एजूकेशनल सोसाइटी | 30000 | | 30000 | |
| गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-एस/सी | 45500 | | - | |
| गुजरात राज्य महिला आयोग-एस/सी | 60000 | | 60000 | |
| हस्तक्षेप वैल्फेयर सोशल सोसाइटी-एस/सी | - | | 100300 | |
| स्वास्थ्य कृषि ग्रामीण विकास सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी | 100500 | | 100500 | |
| हेलेना कौशिक महिला महाविद्यालय, झुंझुनु | 90000 | | 90000 | |
| हेमनगर सुन्दरबन ड्रीम-एस/सी | 9500 | | 86600 | |
| हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी-एस/सी | 146223 | | 146223 | |
| ह्यूमेन रिसोर्स एडवांसमेंट वैल्फेयर दिल्ली-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| भारतीय युवा कल्याण संस्थान, महाराष्ट्र | 15000 | | 15000 | |
| इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवेल्पमेंट फॉर वर्कर | 30000 | | 30000 | |
| जागृति जन कल्याण समिति, बिहार (एस/सी) | - | | - | |
| जलाना ग्रामीण विकास सोसाइटी, कर्नाटक-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| जन कल्याण कुटीर ग्रामोद्योग संस्था (एस/सी) | 30000 | | 30000 | |
| जनकल्याण ओडिशा-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| जन कल्याण युवक संघ, ओडिशा | 27540 | | 27540 | |
| जन सेवा एवं शिक्षण संस्था-एस/सी | 60000 | | - | |
| जीवन प्रकाश ट्रस्ट, गुजरात-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| जीवन विकास संस्था, महाराष्ट्र-एस/सी | - | | 90000 | |
| झारखंड राज्य आयोग-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| जिग्नाशा सेवा संघ, गुजरात-एस/सी | 59750 | | - | |
| जीजामाता बहूद्देश्य महिला, लातूर-एस/सी | 30000 | | 30000 | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| कल्याणम, उत्तर प्रदेश-एस/सी | 58750 | | - | |
| करुणामयी महिला मंडली -एस/सी | 64565 | | - | |
| कौशिकी वैल्फेयर सोसाइटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेस-एस/सी | 46700 | | - | |
| केरल एजूकेशनल डेवेल्पमेंट एंड इम्पावरमेंट, केरल-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| क्रांति वैल्फेयर एसोसिएशन, कर्नाटक-एस/सी | 60000 | | 60000 | |
| कृषि महिला मंडली, नावा, आन्ध्र प्रदेस | 30000 | | 30000 | |
| कुमार्शा रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल | 15000 | | 15000 | |
| कुन्दन वैल्फेयर सोसाइटी-एस/सी | - | | - | |
| लोकहितवादी सामाजिक व सांस्कृतिक क्रीड़ा-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| मा पूर्णा जन कल्याण सेवा संस्थान-एस/सी उत्तर प्रदेश | - | | 72200 | |
| मदुरै नॉन फार्मल एजूकेशन सेंटर, तमिलनाडु-एस/सी | - | | - | |
| महिला सखी सहेली समिति, छत्तीसगढ़-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| मानव उत्थान जन कल्याण सेवा संस्थान-एस/सी उत्तर प्रदेश | - | | 90000 | |
| मंदाकिनी सांस्कृतिक एवं समाज कल्याण, भोपाल-एस/सी | 75000 | | - | |
| माया फाउंडेशन, चंडीगढ़-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| नागरा भावी अर्बन एंड रूरल सर्विस(एन.बी. अर्बन)-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| नेशनल चैरिटेबल वैल्फेयर सोसाइटी- उत्तर प्रदेस-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परामर्श-एस/सी | - | | 53500 | |
| नातुन पाथर साथी, कोलकाता-एस/सी | - | | 30000 | |
| नवजीवन ग्रामीण विकास सोसाइटी-आन्ध्र प्रदेश-एस/सी | 60000 | | 60000 | |
| नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च-एस/सी -जयपुर | 30000 | | 30000 | |
| एन.ए.डब्ल्यू.ओ., मार्फत डा. पाम राजपूत वूमेन रिसोर्स, चंडीगढ़ | 200000 | | 200000 | |
| नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी-एस/सी | 60000 | | 60000 | |
| ओडिशा राज्य महिला आयोग-एस/सी | - | | 150000 | |
| ओम आदर्श समिति, दौसा-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, 33वां क्रिमिनोलॉजी कांफ्रेंस, जम्मू-कश्मीर | 90000 | | 90000 | |
| पहल वैल्फेयर सोसाइटी, हरियाणा-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| परवाज़ जन कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| पीस रिकांसिलिएशन मिनिस्ट्रीज़, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| पूजा आदर्श विद्या मन्दिर संस्था, राजस्थान(एस/सी) | 30000 | | 30000 | |
| पूजा वैल्फेयर सोसाइटी, जम्मू-कश्मीर-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| प्रगति उत्तराखंड-एस/सी | 64750 | | - | |
| परिक्रमा महिला समिति(एस/सी) | 30000 | | 30000 | |
| प्रिंसीपल, होली क्रास इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, केरल-एस | - | | 142750 | |
| प्रिंसीपल, मध्य प्रदेश सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजस्थान | 30000 | | 30000 | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर कम्यूनिटी इमेनसीपेशन आन्ध्र प्रदेश-एस/सी | 75250 | | - | |
| पंजाब राज्य महिला आयोग-एस/सी | 300000 | | - | |
| राजीव गांधी जनसेवा संस्थान, राजस्थान | 30000 | | 30000 | |
| रवीन्द्र नाथ टैगौर ग्रामोत्थान, उत्तर प्रदेश-एस/सी | - | | 63500 | |
| आर.के. एच.आई.वी. एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, मुम्बई | 60000 | | 60000 | |
| रोल ऑफ वूमेव राइटर इन सोशल एवेकनिंग3 | 18000 | | 18000 | |
| सबरी एजूकेशनल एंड वैल्फेयर सोसाइटी, उत्तर प्रदेश | 30000 | | 30000 | |
| सद्भावना समन्वय संस्थान-एस/सी | 45000 | | 45000 | |
| सहयोग, कर्नाटक-एस/सी | 72750 | | - | |
| सखी केन्द्र-एस/सी | 60000 | | 60000 | |
| सम्मति सामाजिक समिति, मध्य प्रदेश | 15000 | | 15000 | |
| संवेदना सर्वोदय संस्थान, उत्तर प्रदेश-एस/सी | 66750 | | - | |
| संचित विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश-एस/सी | 76350 | | - | |
| संजीवनी, भुवनेश्वर | 9000 | | 9000 | |
| संजीवनी,दिल्ली-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| संजीवनी सोसाइटी(एस/सी) | 15000 | | 15000 | |
| सांस्कृतिक विकास एवं नव कल्याण समिति उत्तराखंड-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| सर्व कल्याण सेवा समिति उत्तर प्रदेश-एस/सी | 67000 | | - | |
| सर्वोद्य समग्र विकास एवं संचार संस्थान,एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| सेल्प इनिशिएटिव फॉर टोटल अवेयरनेस, देवगढ़(एस/सी) | 30000 | | 30000 | |
| शक्ति वाहिनी(एस/सी) | 30000 | | 30000 | |
| श्री गिरिराज जी महाराज, शिक्षा, उत्तर प्रदेश-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| श्री जगतभारती एजूकेशन एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, गुजरात एस/सी | 65,750 | | - | |
| श्री राम स्मृति शैक्षणिक, इन्दौर-एस/सी | - | | 30000 | |
| सृष्टि जन कल्याण सांस्कतिक, छत्तीसगढ-एस/सी | 69000 | | - | |
| सिलदा स्वास्ति उन्नयन समिति, मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल | 30000 | | 30000 | |
| समाज कल्याण एवं विकास संगठन-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| सोसाइटी फॉर हैल्थ एंड एजूकेशन डेवेल्पमेंट, हैदराबाद | 15000 | | 15000 | |
| सृजन, लखनऊ-एस/सी | 77250 | | - | |
| स्टार यूथ एसोसिएशन आन्ध्र प्रदेस-एस/सी | 69750 | | - | |
| स्त्री मुक्ति संगठन, मुम्बई(एस/सी) | 30000 | | 30000 | |
| सुरूचि कलाकेन्द्र, बिहार-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| एस. वी. एजूकेशनल सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी | 30000 | | 30000 | |
| तराई खादी ग्रामोद्योग संस्थान-एस/सी उत्तर प्रदेश | 56750 | | - | |
| तरंगिनी सोशल सर्विस सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश | 15000 | | 15000 | |

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई-एस/सी | | 9743362 | | 10197549 | |
| कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर | | 30000 | | 30000 | |
| पुलिस आयुक्त, पुणे-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| द होली फेथ एजूकेशनल डेवेल्पमेंट सोसाइटी-आन्ध्र प्रदेश-एस/सी | | 72,250.00 | | - | |
| यूनीक विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश-एस/सी | | - | | 90000 | |
| मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक-एस/सी | | 85650 | | 142750 | |
| उत्थान शोध संस्थान, राजस्थान | | 30000 | | 30000 | |
| विद्या कला संस्थान, उत्तर प्रदेश | | 15000 | | 15000 | |
| विज़न - ए रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी-एस/सी | | 125000 | | | |
| पश्चिमी बंगाल महिला आयोग-एस/सी | | 60000 | | 60000 | |
| विप्रो फाउंडेशन-एस/सी | | 30000 | | 30000 | |
| महिला अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र मध्य प्रदेश-एस/सी | | - | | 90000 | |
| यशवंतराव चव्हाण विधि महाविद्यालय, पुण-एस/सी | | 64500 | | - | |
| योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड-एस/सी | | 600000 | | 600000 | |
| **<u>विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र</u>** | ठ | **2,644,784** | | **1,523,305** | |
| आन्ध्र प्रदेश राज. आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र | | 112602 | | 112602 | |
| असम राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन | | 146800 | | 146800 | |
| असम विश्वविद्याल-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र | | 131040 | | 131040 | |
| ड्रीम प्रोग्रेसिव वैल्फेयर एसोसिएशन, असम- पूर्वोत्तर क्षेत्र | | 36600 | | 36600 | |
| जन नेता इरावत फाउंडेशन, मणिपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र | | 37065 | | 37065 | |
| जन समृद्धि समिति, इम्फाल, मणिपुर | | 32350 | | 32350 | |
| मणिपुर राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र | | 91350 | | 91350 | |
| मेघालय राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र | | 634809 | | 87717 | |
| मिज़ोरम राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर | | 492000 | | 559473 | |
| मिज़ोरम विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान विभाग, ऐज़वाल | | 820260 | | - | |
| नागालैंड राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र | | - | | 100400 | |
| ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट -ए सोशल चेंज | | 48000 | | 48000 | |

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| सिक्किम राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र | | 61908 | | 61908 | |
| त्रिपुरा राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र | | - | | 78000 | |
| **कानूनों की समीक्षा** | **ड** | **236906** | | - | |
| संकायाध्यक्ष, लॉ फैक्लटी दिल्ली विश्वविद्यालय | | 236906 | | - | |
| **महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए क्षमता-निर्माण** | **ढ** | | | | |
| | | **12209526** | | - | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान | | 10665270 | | - | |
| टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान(टी.आई.एस.एस.)-पंचायती | | 1544256 | | | |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य सचिव**

## अनुसूची 8 - नियत आस्तियां

(रकम रुपयों में)

| | सकल ब्लाक | | | | | अवक्षयण | | | | शुद्ध ब्लाक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरंभिक अतिशेष | परिवर्धन | कटोतिया | समायोजन | अंतिम अतिशेष | आरंभिक अतिशेष | परिवर्धन पर | कटौती पर | अंत में कुल अवक्षयण | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
| **नियत आस्तियां** | | | | | | | | | | - - | |
| भूमि | 35,53,443 | | | - | 35,53,443 | - | - | - | - | 35,53,443 | 35,53,443 |
| भवन(*) | 21,82,69,860 | 10,00,000.00 | 79836921.00 | 5013968.00 | 14,44,46,907 | - | - | - | 2,16,62,142 | 12,27,84,765 | |
| संयंत्र एवं. मशीनरी | 38,72,928 | 14,79,815.00 | | 7,24,97,736.00 | 7,78,50,479 | 5,80,939 | 1,65,27,755 | - | 1,71,08,694 | 6,07,41,785 | 38,72,928 |
| यान | 25,19,815 | 6,94,160.00 | | - | 32,13,975 | 3,77,972 | 1,04,124 | | 4,82,096 | 27,31,879 | 25,19,815 |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर | 79,58,146 | 32,32,760.00 | | 73,39,185.00 | 1,85,30,091 | 7,95,815.00 | 14,17,004.00 | - | 22,12,819.00 | 1,63,17,272 | 79,58,146 |
| कम्प्यूटर | 1,19,510 | 14,67,952.00 | | | 15,87,462 | 71,706.00 | 8,00,747 | - | 8,72,453 | 7,15,009 | 1,19,510 |
| पुस्तकें एवं प्रकाशन | 36,083 | | | - | 36,083 | 21,649.80 | - | - | 21,650 | 14,433 | 36,083 |
| वृत्तचित्र | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **चालू वर्ष का कुल** | **23,63,29,785** | **78,74,687** | **7,98,36,921** | **8,48,50,889** | **24,92,18,440** | **18,48,082** | **1,88,49,631** | | **4,23,59,854** | **20,68,58,586** | **1,80,59,925** |
| **प्रगति पर पूंजीगत कार्य** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | | **शून्य** | **21,82,69,860** |
| **सकल योग** | **23,63,29,785** | **78,74,687** | **7,98,36,921** | **8,48,50,889** | **24,92,18,440** | **18,48,082** | **1,88,49,631** | - | **4,23,59,854** | **20,68,58,586** | **23,63,29,785** |

**अवक्षयण संगणना**

**भवन**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,43,49,032 पर अवक्षयण डेढ़ वर्ष के लिए प्रभारित (अर्थात् 10%+5%) | 21652355 | 7,28,08,611 पर अवक्षयण डेढ़ वर्ष के लिए प्रभारित (अर्थात् 15%+7.5%) | 1,63,81,937.00 | 73,39,185 पर अवक्षयण डेढ़ वर्ष के लिए प्रभारित (अर्थात् 10%+5%) | 11,00,878.00 |
| 97,875 पर एक वर्ष के लिए अवक्षयण | 9,787 | 46,48,218 पर 15% की दर पर अवक्षयण | 6,97,233.00 | 1,10,47,918 पर 10% की दर पर अवक्षयण | 11,04,792.00 |
| | | 3,93,650 पर 15% की दर पर अवक्षयण | 29,524.00 | 1,42,988 पर आधा प्रभारित अवक्षयण | 7,149.00 |
| **कुल अवक्षयण** | **21662142** | | **1,71,08,694.00** | | **22,12,819.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी**

**सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

**अनुसूची 8 - नियत आस्तियां**

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | **योजना** | **गैर-योजना** | **योजना** | **गैर-योजना** |
| 1) भूमि | 3,553,443 | - | 3,553,443 | |
| 2) फर्नीचर एवं फिक्सचर | 16,317,272 | - | 7,958,146 | |
| 3) मशीनरी एवं उपस्कर | 60,741,785 | - | 3,872,928 | |
| 4) कम्प्यूटर | 715,009 | - | 119,510 | |
| 5) यान | 2,731,879 | - | 2,519,815 | |
| 6) वृत्तचित्र | - | | - | |
| 7) पुस्तकें एवं प्रकाशन | 14,433 | - | 36,083 | |
| 8) भवन | 122,784,765 | | | |
| 9) भवन- प्रगति पर कार्य | - | - | 218,269,860 | |
| | **206,858,586** | **-** | **236,329,785** | |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **अनुसूची-9 - निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश** | | | **शून्य** | | |
| **अनुसूची-10 - निवेश-अन्य** | | | **शून्य** | | |
| **अनुसूची-11- चालू आस्तियां, उधार एवं अग्रिम** | | | | | |
| क. ***चालू आस्तियां*** | | | | | |
| 1) नकदी शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित) | | - | - | - | |
| 2) शेष बची डाक टिकटें | | | 31,642.00 | | 32,284.00 |
| 3) बैंक अतिशेष | | | | | |
| केनरा बैंक - 7,76,775 | अनुसूचित बैंकों के पास | | | | |
| इंडियन बैंक - 1,13,70,413 | बचत खाते पर | 10,742,167.00 | 1,405,021.00 | 16,281,559.00 | 7,992,559.00 |
| | | - | - | | - |
| 4) नकद या वस्तु रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूलीय उधार, अग्रिम और अन्य रकम | | - | - | - | - |
| 5) एन.आई.सी.एस.आई. को संदत्त तीन मास के लिए पूर्वसंदत्त व्यय | | 231,719.00 | | 127,251.00 | |
| 6) विविधि देनदारियां | | | 3,703.00 | - | - |
| **क** | | **10,973,886.00** | **1,440,366.00** | **16,408,810.00** | **8,024,843.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| ख | ***उधार एवं अग्रिम*** | | | | |
| | ***योजना गत*** | **ख 112,056,241.00** | | **68,975,229.00** | |
| | **कर्मचारियों को अग्रिम(भ+म+य)** | **1,150,111.00** | | **1,055,866.00** | |
| | ***संगोष्ठियां एवं सम्मेलन(भ)*** | 1,063,008.00 | | 1,055,866.00 | |
| | अब्दुस सलाम | 357,109.00 | | 357,109.00 | |
| | अनीता पपरेजा | - | | - | |
| | मंजू एस. हैम्ब्रम | 460,097.00 | | 460,097.00 | |
| | मृदुल भट्टाचार्य | 14,000.00 | | 70,848.00 | |
| | अनीश दावर, जे.टी.ई. | 2,840.00 | | | |
| | डी.बी. श्रीवास्तव, जे.एच.टी. | 10,000.00 | | | |
| | गीता राठी, जे.टी.ई. | 15,000.00 | | | |
| | ललिता के,सहायक विधिक अधिकारी. | 5,000.00 | | | |
| | एम. कृष्ण प्रसाद, निजी सचिव | 950.00 | | | |
| | प्रवीण सिंह, परामर्शदाता-अग्रिम एस/सी | 2986.00 | | 3699.00 | |
| | रेखा शर्मा, सदस्य- अग्रिम एस/सी | - | | 8742.00 | |
| | ऋचा ओझा, अग्रिम एस/सी | 7245.00 | | 15587.00 | |
| | राकेश रानी, आर.ए. | 3300.00 | | | |
| | स्मिता झा, परामर्शदाता - अग्रिम एस/सी | - | | 3565.00 | |
| | एस. मुरली, सहायक - अग्रिम एस/सी | 133566.00 | | 59869.00 | |
| | सुषमा साहू, सदस्य | 36915.00 | | | |
| | सुधार चौधरी-अग्रिम एस/सी | - | | 2561.00 | |
| | वंदना गुप्ता, संयुक्त सचिव | 10000.00 | | | |
| | वरुण छाबड़ा-अग्रिम एस/सी | 4000.00 | | 40000.00 | |
| | वी.वी.बी. राजू, उपसचिव-एस/सी अग्रिम | - | | 33789.00 | |
| | **विशेष अध्ययन(म)** | **82063.00** | | **0.00** | |
| | एस. मुरली | 82063.00 | | 0.00 | |
| | **कानूनों की समाक्षा के लिए कर्मचारी को अग्रिम** | **5,040.00** | | **0.00** | |
| | जी. नागराजन | 5,040.00 | | 0.00 | |
| | | | | - | |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **मशीनरी उपस्कर के लिए अग्रिम** | **4,150,000.00** | | **8,000.00** | |
| ईश्वर चन्द्र-अग्रिम मशीनरी एवं उपस्कर | 0.00 | | 8,000.00 | |
| यू.पी. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड | 4,150,000.00 | | - | |
| **विज्ञापन के लिए अग्रिम** | **42,405,037.00** | | **22,455,037.00** | |
| लेख अधिकारी, डी.ए.वी.पी., विज्ञापन(अग्रिम) | 42,350,000.00 | | 22,400,000.00 | |
| संपादक, रोजगार समाचार, अग्रिम विज्ञापन | 55,037.00 | | 55,037.00 | |
| **श्रव्य-दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम** | **41,340,834.00** | | **25,367,734.00** | |
| विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय | 19,541,461.00 | | 11,910,361.00 | |
| प्रसार भारती(बी.सी.आई.) दूरदर्शन | 8,280,000.00 | | | |
| राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम -श्रव्य दृश्य अग्रिम | 13,519,373.00 | | 13,457,373.00 | |
| **गैर-सरकारी संगठनों को अग्रिम** | **650,000.00** | | **750,000.00** | |
| *संगोष्ठियां एवं सम्मेलन* | | | | |
| ए.सी.पी., मुख्यालय, डी.डी.ओ. नानकपुरा | - | | 100,000.00 | |
| सी.ई.क्यू.यू.आई.एन., नई दिल्ली | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| स्वरलिपि स्वागत भवन, मुम्बई | 450,000.00 | | 450,000.00 | |
| **संगोष्ठियों के लिए अग्रिम** | **258,259.00** | | **705,380.00** | |
| सहायक निदेशक, संपदा निदेशालय-एस/सी अग्रिम | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| बामर एंड लारी कंपनी लि. अग्रिम-संगोष्ठी | - | | 300,000.00 | |
| कुज़ीन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली-एस/सी | - | | 306,680.00 | |
| भारतीय अंतरराष्ट्रीय केन्द्र | 98,819.00 | | - | |
| आई. टी.डी.सी. | 44,514.00 | | - | |
| स्कोप कम्प्लेक्स, एम,एम,ओ, खाता -संगोष्ठी अग्रिम | 68,700.00 | | 68,700.00 | |
| वाई.एम.सी.ए. चेन्नई | 16,226.00 | | - | |
| **वृत्तिकों को भुगतान के लिए अग्रिम** | **7,400,000.00** | | **3,100,000.00** | |
| एन.बी.सी.सी. सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड - फीस | 7,400,000.00 | | 3,100,000.00 | |
| **कम्प्यूटर के लिए अग्रिम** | **0.00** | | **137,052.00** | |
| फ्यूचर वर्ल्ड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड | 0.00 | | 137,052.00 | |

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **मोटन यानों के लिए अग्रिम** | | **-** | | **694,160.00** | |
| किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड | | - | | 694,160.00 | |
| **अन्य अग्रिम** | | **14,702,000.00** | | **14,702,000.00** | |
| सी.पी.डब्ल्यू.डी. (अग्रिम) | | 14,702,000.00 | | 14,702,000.00 | |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर के लिए अग्रिम-एन.बी.सी.सी. | | - | | | |
| मशीनरी एवं उपस्कर के लिए अग्रिम-एन.बी.सी.सी. | | - | | | |
| भवन के लिए अग्रिम-एन.बी.सी.सी. | | - | | | |
| ***गैर-योजनागत*** | **C** | | **457,311.00** | **-** | **315,899.00** |
| **कर्मचारियों को अग्रिम** | | | **446,158.00** | | **304,746.00** |
| *यानों की मरम्मत एवं अनुरक्षण* | | | **12,012.00** | **-** | **11,559.00** |
| दलेर सिंह | | | 3500.00 | - | 3000.00 |
| महेन्द्र सिंह, चालक | | | 2500.00 | | 2500.00 |
| जय भगवान | | | 3953.00 | | 4000.00 |
| सोहन लाल | | | 2059.00 | | 2059.00 |
| *कार्यालय व्यय* | | | **112,620.00** | **-** | **145,490.00** |
| डी.बी.श्रीवास्तव, जे.एच.टी. | | | 99330.00 | | 6500.00 |
| ईश्वर चन्द्र | | | - | | 5000.00 |
| राजकुमार, लिपिक | | | - | | 20000.00 |
| सुरुचि पुंज | | | 12790.00 | | 12790.00 |
| वी. आर. रमण | | | 500.00 | | 500.00 |
| भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण-कार्यालय व्यय अग्रिम | | | - | | 700.00 |
| वीना पैकर्स एंड मूवर्स-कार्यालय व्यय अग्रिम | | | - | | 100000.00 |

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| | | **300,000.00** | **-** | **78,948.00** |
| *यात्रा व्यय* | | | | |
| कर्मचारियों को अग्रिम | | | | |
| रेखा शर्मा | | - | | 42886.00 |
| सुधा चौधरी, विधि अधिकारी | | - | | 11962.00 |
| वरुण छाबड़ा | | - | | 24100.00 |
| बामर एंड लारी को अग्रिम | | 300,000.00 | | - |
| *पेट्रोल के लिए अग्रिम* | | **8,626.00** | | **8,626.00** |
| महेन्द्र सिंह | | 4855.00 | | 4855.00 |
| बी.एस. रावत | | 1365.00 | | 1365.00 |
| सोहन लाल-पी.ओ.एल. अग्रिम | | 2406.00 | | 2406.00 |
| **फर्नीचर के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए अग्रिम** | | **-** | | **19173.00** |
| रेखा शर्मा, सदस्य | | - | | 19173.00 |
| **वेतन अग्रिम** | | **12,900.00** | | **40,950.00** |
| *त्यौहार अग्रिम* | | 12,900.00 | | 25,950.00 |
| छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम | | - | | 15,000.00 |
| **ओ.एम.सी.ए.** | | **11,153.00** | | **11,153.00** |
| अन्य मोटर कार अग्रिम | | 11,153.00 | | 11,153.00 |

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| ***पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत*** | **D** | **18,886,788.00** | | **7,413,957.00** | **-** |
| ***संगोष्ठियों/सम्मेलन के लिए कर्मचारियों के अग्रिम*** | | **10,700.00** | | **-** | |
| *रेखा शर्मा, सदस्य* | | 7,500.00 | | - | |
| *विकास विनोद भाले, समन्वयक* | | 3,200.00 | | - | |
| **गैर-सरकारी संगठनों को अग्रिम** | | **10,490,000.00** | | **2,590,000.00** | |
| *संगोष्ठियां एवं सम्मेलन(पूर्वोत्तर क्षेत्र)* | | **10,090,000.00** | | **2,090,000.00** | **-** |
| निदेशक, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य | | 440,000.00 | | 440,000.00 | - |
| राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तेलंगाना | | 8,000,000.00 | | - | - |
| पुडुचेरी महिला आयोग | | 500,000.00 | | 500,000.00 | - |
| प्रधान सचिव, त्रिपुरा सरकार | | 250,000.00 | | 250,000.00 | - |
| रोटरी क्लब, शिलांग | | 900,000.00 | | 900,000.00 | - |
| *कानूनी जागरुकता कार्यक्रम(पूर्वोत्तर क्षेत्र)* | | **400,000.00** | | **500,000.00** | - |
| रोटरी क्लब, शिलांग- पूर्वोत्तर क्षेत्र | | 400,000.00 | | 400,000.00 | - |
| एस. मुरली | | - | | 100,000.00 | |
| विज्ञापन के लिए अग्रिम(पूर्वोत्तर क्षेत्र) | | **6,618,188.00** | | **4,823,957.00** | |
| लेखा अधिकारी, डी.ए.वी.पी. | | 1,794,231.00 | | - | |
| प्रसार भारती | | 4,823,957.00 | | 4,823,957.00 | |
| | | - | | | |
| श्रव्य दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम(पूर्वोत्तर क्षेत्र) | | **1,767,900.00** | | **-** | |
| लेखा अधिकारी, डी.ए.वी.पी. | | 847,900.00 | | - | |
| प्रसार भारती(बी.सी.आई.) दूरदर्शन | | 920,000.00 | | - | |
| **कुल (ख+ग+घ)** | | **130,943,029.00** | **457,311.00** | **76,389,186.00** | **315,899.00** |
| प्रतिभूति जमा | **च** | **38,160.00** | **21,500.00** | **38,160.00** | **21,500.00** |
| **कुल क+ङ+च** | | **141,955,075.00** | **1,919,177.00** | **92,836,156.00** | **8,362,242.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य सचिव**

## राष्ट्रीय महिला आयोग

## 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय से संबद्ध अनुसूचियां

रकम रुपयों

**अनुसूची 12 - वेतन एवं सेवाओं से आय**

| | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | **योजना** | **गैर-योजना** | **योजना** | **गैर-योजना** |
| | **कोई नहीं** | | **कोई नहीं** | |

**अनुसूची 13 - अनुदान**

(रकम रूपयों में)

| | | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **योजना** | **गैर-योजना** | **योजना** | **गैर-योजना** |
| 1) | केंद्रीय सरकार | | | | |
| | अनुदान | 183,718,000.00 | 44,447,000.00 | 184,344,000.00 | 51,476,000.00 |
| | घटाएं :- पूंजीकृत सहायतानुदान की रकम | 7,874,687.00 | - | 22,078,610.00 | - |
| | कुल अनुदान | **175,843,313.00** | **44,447,000.00** | **162,265,390.00** | **51,476,000.00** |

**अनुसूची 14 - शूल्क / अभिदान**

| | | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **योजना** | **गैर-योजना** | **योजना** | **गैर-योजना** |
| 1) | प्रवेश शुल्क | - | - | - | - |
| 2) | वार्षिक शूल्क / अभिदान | - | - | - | - |
| 3) | सूचना का अधिकार शूल्क | - | 9,195.00 | - | 8,505.00 |
| | | | - | | |
| | | | **9,195.00** | | **8,505.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य सचिव**

(रकम रूपयों में)

| | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **अनुसूचि 15 - निवेश से आय** | | **कोई नहीं** | | **कोई नहीं** |
| **अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय** | | **कोई नहीं** | | **कोई नहीं** |

## अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(रकम रूपयों में)

| | | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| 1) | बचत बैंक खाता पर | | | | |
| | क) अनुसूचित बैंक में | 1,272,091.00 | 307,758.00 | 2,057,848.00 | 574,631.00 |
| 2) | गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज | - | - | - | - |
| 3) | अंशदायी भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज | - | - | - | - |
| 4) | एफ.डी.आर. पर अर्जित ब्याज | - | - | - | - |
| | | **1,272,091.00** | **307,758.00** | **2,057,848.00** | **574,631.00** |

## अनुसूची 18 - अन्य आय

(रकम रूपयों में)

| | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| 1) पुनरांकित देयताएं | 3,226,157.00 | | 2,210,681.00 | - |
| 2) विविध आय | 715,144.00 | 1,091,507.00 | 60,815.00 | 65,451.00 |
| 3) अवधि पूर्व विविध आयु | 539,643.00 | - | 523,815.00 | 2,507.00 |
| | **4,480,944.00** | **1,091,507.00** | **2,795,311.00** | **67,958.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य सचिव**

(रकम रूपयों में)

| | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **अनुसूची 19 - तैयार सामान एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)** | **काई नहीं** | | **काई नहीं** | |

## अनुसूची 20 - स्थापना ब्याज

(रकम रूपयों में)

| | | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| 1 | वेतन :- | | | | |
| | अध्यक्ष एवं सदस्य (11162648-618280 {संदेय}) | - | 10,544,368.00 | - | 6,054,294.00 |
| | अधिकारी (11638456-950014 {संदेय}) | - | 10,688,442.00 | - | 8,102,687.00 |
| | कर्मचारी (11993218-742546 {संदेय}) | - | 11,250,672.00 | - | 9,819,989.00 |
| 2 | मजदूरी | 9,751,727.00 | - | 9,230,055.00 | - |
| 3 | अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान | | | | |
| | एल.एस.सी. | - | 1,114,128.00 | - | 733,906.00 |
| | पी.सी. | - | - | - | 383,735.00 |
| 4 | वृत्तिक फीस एवं सेवाओं के लिए भुगतान | 9,869,754.00 | - | 5,489,770.00 | - |
| 5 | मार्च, 2017 माह में देय वेतन | | 1,670,730.00 | - | 1,735,873.00 |
| 6 | मार्च, 2017 माह में देय वेतन विप्रेषण | | 640,110.00 | - | 391,089.00 |
| | | **19,621,481.00** | **35,908,450.00** | **14,719,825.00** | **27,221,573.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी**

**सदस्य सचिव**

## अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(रकम रूपयों में)

| | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | **योजना** | **गैर-योजना** | **योजना** | **गैर-योजना** |
| विज्ञापन व्यय | 100,000.00 | - | 4,057,082.00 | - |
| कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | 1,080.00 | - | - | - |
| मुद्रण | 930,859.00 | - | 869,098.00 | - |
| संगोष्ठी एवं सम्मेलन | 4,062,981.00 | - | 5,898,771.00 | - |
| विशेष अध्ययन | 7,445,786.00 | - | 4,142,330.00 | - |
| कानूनों की समीक्षा | 154,492.00 | - | 104,134.00 | - |
| पारिवारिक महिला लोक अदालत | - | - | - | - |
| नुक्कड नाटकों के लिए गैर सरकारी संगठनों को रकम | - | - | - | - |
| श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार-स्पॉट्स, वृत्त चित्र आदि | 41,066,950.00 | - | 25,848,375.00 | - |
| न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता-निर्माण | - | - | 269,016.00 | - |
| महिला पंचायतीराज सशक्तीकरण के लिए क्षमता निर्माण | 9,136.00 | - | - | - |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण योजना | - | - | - | - |
| भूमि एवं भवन आरआरटी | - | - | - | - |
| राष्ट्रीय महिला आयोग का राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग | 57,195.00 | - | 641,309.00 | - |
| पुस्तिकाओं, पर्चियों एवं अन्य सामग्री का मुद्रण कार्यालय व्यय | - | - | 367,429.00 | - |
| कार्यालय व्यय | - | 8,739,944.00 | - | 6,769,237.00 |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | - | 457,782.00 | - | 715,584.00 |
| टेलीफोन | - | 631,513.00 | - | 571,697.00 |
| यात्रा व्यय | - | 3,318,735.00 | - | 552,582.00 |
| लेखापरीक्षा शुल्क | - | 289,360.00 | - | 61,200.00 |
| बैंक प्रभार | - | 20,016.00 | - | 17,866.00 |
| पैट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट | - | 2,635,767.00 | - | 1,120,038.00 |
| समय पूर्व व्यय - किराया | - | - | - | - |
| किराया, दर्रे और कर | - | 185,695.00 | - | 7,606,534.00 |
| मुकदमेंबाजी | - | 273,171.00 | | - |
| दवाईयां | - | 448,863.00 | | |
| श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार-स्पॉट्स, वृत्त चित्र आदि | 1,211,514.00 | - | | |
| विज्ञापन पूर्वोत्तर क्षेत्र | - | - | 10,863,104.00 | - |
| मुद्रण पूर्वोत्तर क्षेत्र | 232,806.00 | - | - | - |
| कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र | 232,857.00 | - | - | - |
| संगोष्ठी एवं सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र | 332,366.00 | - | 361,192.00 | - |
| विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र | - | - | 205,643.00 | - |
| | | | - | |
| | **55,838,022.00** | **17,000,846.00** | **53,627,483.00** | **17,414,738.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी**

**सदस्य सचिव**

## अनुसूची 22 - व्यय अनुदान, सहायिकी आदि

(रकम रूपयों में)

| | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| **योजना शीर्ष के अंतर्गत** | | | | |
| कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | 8,420,750.00 | - | 9,031,840.00 | - |
| संगोष्ठी एवं सम्मेलन | 18,077,910.00 | - | 38,561,785.00 | - |
| विशेष अध्ययन | 10,566,847.00 | - | 15,655,358.00 | - |
| पारिवारिक महिला लोक अदालत | | - | - | - |
| विधि की समीक्षा | 473,812.00 | - | - | - |
| राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य आयोगों के साथ नेटवर्किंग और टेलीकांफ्रेंसिंग | 1,567,300.00 | | 536,000.00 | |
| महिला पंचायतीराज सशक्तीकरण करने के लिए क्षमता-निर्माण | 23,904,300.00 | | | |
| न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता- निर्माण | 1,035,666.00 | - | 608,641.00 | - |
| **क** | **64,046,585.00** | - | **64,393,624.00** | - |
| **योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र शीर्ष के अंतर्गत** | | | | |
| कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र | 6,512,000.00 | - | 4,320,000.00 | - |
| संगोष्ठी एवं सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र | 611,500.00 | - | 2,179,200.00 | - |
| विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र | 971,121.00 | - | 2,486,665.00 | - |
| मुद्रण पूर्वोत्तर क्षेत्र | - | - | - | |
| **ख** | **8,094,621.00** | **-** | **8,985,865.00** | |
| **कुल (क+ख)** | **72,141,206.00** | - | **73,379,489.00** | |

**अनुसूची 23 - ब्याज**

**कोई नहीं**

**वेतन एवं लेखा अधिकारी**

**सदस्य सचिव**

## राष्टीय महिला आयोग
## 31 मार्च, 2017 को प्राप्ति एवं संदाय का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

**अनुसूची-26 - स्थापन व्यय**

(रकम रुपयों में)

| | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| 1 | वेतन:-<br>अध्यक्ष एव. सदस्य<br>अधिकारी<br>स्टाफ | | 34579564.00 | | 25473649.00 |
| 2 | मजदूरी | 9751727.00 | | 9230055.00 | |
| 3 | अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाय | | | | |
| 4 | अन्य निधियों में अभिदाय<br>एल.एस.सी.<br>पी.सी. | | 1114128.00 | | 1117641.00 |
| 5 | वृत्तिक फीस एवं सेवाओं के लिए भुगतान | 14274222.00 | | 8717021.00 | |
| | | **24,025,949.00** | **35,693,692.00** | **17,947,076.00** | **26,591,290.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य सचिव**

**अनुसूची 27 - अन्य प्रशासनिक व्यय**

(रकम रुपयों में

| | | | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **योजनागत** | | | |
| | विज्ञापन व्यय | | 20050000.00 | 26457082.00 |
| | कानूनी जागरुकता कार्यक्रम | | 1,080.00 | - |
| | मुद्रण | | 915109.00 | 869098.00 |
| | सेमीनार और सम्मेलन | | 3796912.00 | 6670021.00 |
| | विशेष अध्ययन | | 7864199.00 | 4274213.00 |
| | कानूनों की समीक्षा | | 1,59,532.00 | 1,04,134.00 |
| | पी.एम.एल.ए. | | - | - |
| | श्रव्य एवं दृश्य प्रचार | | 5,70,40,050.00 | 3,93,05,748.00 |
| | मशीनरी एव. उपस्करों के लिए अग्रिम | | 41,50,000.00 | 8,000.00 |
| | एन.बी.सी.सी. को फर्नीचर एवं फिक्सचर के लिए अग्रिम | | - | - |
| | मोटर यान के लिए अग्रिम | | - | 6,94,160.00 |
| | कम्प्यूटर के लिए अग्रिम | | - | 1,37,052.00 |
| | वितरण हेतु पुस्तिकाएं, पत्रक और अन्य सामग्री का मुद्रण | | - | 367429.00 |
| | महिलाओं से संबंधित विधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिए न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षम | | - | 2,69,016.00 |
| | पंचायती राज के लिए क्षमता-निर्माण | | 9,136.00 | |
| | राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकांफ्रेंसिंग | | 57195.00 | 641309.00 |
| | नुक्कड़ नाटक एवं स्थानीय गीतों आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां | | - | - |
| | | **क** | **9,40,43,213.00** | **7,97,97,262.00** |
| 2 | **गैर योजनागत** | | | |
| | कार्यालय व्यय | | 8708104.00 | 6906027.00 |
| | मरम्मत एवं अनुरक्षण | | 439062.00 | 743816.00 |
| | टेलीफोन | | 601161.00 | 571697.00 |
| | यात्रा व्यय | | 3239787.00 | 616523.00 |
| | लेखापरीक्षा फीस | | 289360.00 | 61200.00 |
| | बैंक प्रभार | | 20016.00 | 17866.00 |
| | पेट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट | | 2450957.00 | 1127299.00 |
| | किराया, शुल्क एवं कर | | 185695.00 | 7606534.00 |
| | चिकित्सा | | 448863.00 | |
| | मुकदमेबाजी | | 2,73,171.00 | - |
| | | **ख** | **1,66,56,176.00** | **1,76,50,962.00** |

3 पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत

(रकम रुपयों में

| विशिष्टियां | | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|
| विज्ञापन | | 1794231.00 | 11522383.00 |
| कानूनी जागरुकता कार्यक्रम | | 1,44,857.00 | 1,00,000.00 |
| सेमीनार एवं सम्मेलन | | 3,62,836.00 | 4,96,992.00 |
| विशेष अध्ययन | | 59301.00 | 205643.00 |
| श्रव्य एवं दृश्य प्रचार | | 2979414.00 | - |
| मुद्रण | | 2,32,806.00 | - |
| | **ग** | **55,73,445.00** | **1,23,25,018.00** |

**अनुसूची 28 - विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान**

(रकम रुपयों में)

| **योजनागत - सामान्य** | | | |
|---|---|---|---|
| कानूनी जागरुकता कार्यक्रम | | 7958519.00 | 12426723.00 |
| सेमीनार एवं सम्मेलन | | 17213326.00 | 23577330.00 |
| विशेष अध्ययन | | 7759583.00 | 9912820.00 |
| पी.एम.एल.ए. | | 73806.00 | 432220.00 |
| महिलाओं से संबंधित विधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिए न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षम | | 585666.00 | 608641.00 |
| पंचायती राज के लिए क्षमता-निर्माण | | 11694774.00 | - |
| राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकांफ्रेंसिंग | | 1179592.00 | 375200.00 |
| विधियों की समीक्षा | | 236906.00 | - |
| नुक्कड़ नाटक एवं स्थानीय गीतों आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां | | - | - |
| | **घ** | **4,67,02,172.00** | **4,73,32,934.00** |
| **पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत** | | | |
| कानूनी जागरुकता कार्यक्रम | | 49,20,000.00 | 24,28,310.00 |
| सेमीनार एवं सम्मेलन | | 83,49,713.00 | 18,62,200.00 |
| विशेष अध्ययन | | 11,57,441.00 | 24,87,166.00 |
| | **ङ** | **1,44,27,154.00** | **67,77,676.00** |
| **कुल =क+ख+ग+घ+ङ** | | **17,74,02,160.00** | **16,38,83,852.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य सचिव**

**विप्रेषण अनुसूची 29**

(रकम रुपयों में)

| | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | **परिवर्धन** | **विप्रेषित रकम** | **परिवर्धन** | **विप्रेषित रकम** |
| सामान्य भविष्य निधि | 20,92,000.00 | 20,92,000.00 | 11,49,000.00 | 11,49,000.00 |
| अनुज्ञप्ति फीस | 1,57,490.00 | 1,57,490.00 | 56,723.00 | 56,723.00 |
| आयकर | 44,81,943.00 | 44,81,943.00 | 20,21,288.00 | 20,21,288.00 |
| सी.जी.एच.एस. | 38,625.00 | 38,625.00 | 28,875.00 | 28,875.00 |
| सी.जी.ई.जी.आई.एस. | 12,405.00 | 12,405.00 | 11,940.00 | 11,940.00 |
| गृह निर्माण अग्रिम | 48,000.00 | 48,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| गृह निर्माण अग्रिम पर ब्य | 9,000.00 | 9,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| एम.सी.ए. +(ब्याज) | - | - | 3,348.00 | 3,348.00 |
| त्यौहार अग्रिम | - | - | 4,050.00 | 4,050.00 |
| कम्प्यूटर अग्रिम | 3,850.00 | 3,850.00 | 11,056.00 | 11,056.00 |
| कंम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज | - | - | - | - |
| सी.पी.एफ. अंशदान | 2,46,627.00 | 2,46,627.00 | 4,08,508.00 | 4,08,508.00 |
| ई.पी.एफ. | 2,55,349.00 | 2,55,349.00 | 1,09,372.00 | 1,09,372.00 |
| स्रोत पर कर कटौती | 13,49,364.00 | 13,49,364.00 | 12,54,411.00 | 12,54,411.00 |
| राष्ट्रीय पेंशन स्कीम | 2,50,495.00 | 2,50,495.00 | 2,38,686.00 | 2,38,686.00 |
| कुल | **89,45,148.00** | **89,45,148.00** | **53,25,257.00** | **53,25,257.00** |

**अनुसूची 30**

बैंक अतिशेष का विवरण

| | **कुल बैंक अतिशेष** |
|---|---|
| 1 केनरा बैंक | 7,76,775.00 |
| 2 इंडियन बैंक | 1,13,70,413.00 |
| | **1,21,47,188.00** |

**वेतन एवं लेखा अधिकारी**

**सदस्य सचिव**

# राष्ट्रीय महिला आयोग

**वर्ष 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय लेखाओं का भाग गठित करने वाली अनुसूची – 24**

**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

**1. लेखांकन परिपाटी**

वित्तीय विवरण, महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा केन्द्रीय स्वशासी निकायों(अलाभकारी संगठन और समरूप संस्था) के लिए विहित प्ररूप में प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए गए हैं।

**2. निवेश**

2.1 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान किसी भी रूप में कोई निवेश नहीं किया गया है और तारीख 31 मार्च, 2017 तक शेष शून्य है।

**3. नियत आस्तियां**

3.1 नियत आस्तियों का उल्लेख अर्जन की कुल लागत के अनुसार किया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। ऐसी परियोजनाओं की बाबत, जिसमें निर्माण अंतर्वलित है, संबंधित प्रचालन–पूर्व व्यय पूंजीकृत आस्तियों के मूल्य का भाग गठित करते हैं।

3.2. 31 मार्च, 2016 को चालू कार्य की बाबत 21,82,69,860/– रुपए वर्ष 2016–17 के दौरान लेखा–बहियों में पूंजीकृत किए गए हैं (भवन के लिए 13,84,32,939/– रुपए, मशीनरी और उपस्कर के लिए 7,24,97,736/– रुपए तथा फर्नीचर और फिक्सचर के लिए 73,39,185/– रुपए की रकम)।

3.3 एन.बी.सी.सी. को भवन के निर्माण मद्धे संदेय 50,13,968/– रुपए की रकम 'भवन' शीर्ष में पूंजीकृत की गई है।

3.4 नियत आस्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग को भेंट की गई/दान दी गई पुस्तकें सम्मिलित हैं और उन्हें अंकित मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है।

**4. अवक्षयण**

4.1 अवक्षयण का उपबंध आय–कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य के आधार पर किया गया है।

4.2 भवन, मशीनरी और उपस्कर और फर्नीचर और फिक्सचर (वर्ष 2016–17 के दौरान पूंजीकृत चालू काम) पर अवक्षयण इन नियत आस्तियों को उपयोग में लाए जाने की तारीख, अर्थात् 9 फरवरी, 2016 से प्रभारित किया गया है।

**5. सरकारी अनुदान/सहायिकी**

5.1 सरकारी अनुदानों का परिकलन प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

**वर्ष 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय लेखाओं का भाग गठित करने वाली अनुसूची - 25**

**लेखाओं पर टिप्पणियां**

**1. आकस्मिक दायित्व**

1.1 आयोग के प्रति ऋण के रूप में माने गए दावे – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)

1.2 निम्नलिखित की बाबतः

– आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी – शून्य रुपए(पिछले वर्ष शून्य रुपए)

– आयोग की ओर से बैक द्वारा खोले गए ऋण–पत्र – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रूप)

– आयोग के पास बट्टे पर संदेय बिल – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

1.3 निम्नलिखित की बाबत विवादित मांगें

आय कर – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

विक्रय कर – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

नगरपालिक कर – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

1.4 आदेशों का निष्पादन न करने के लिए पक्षकारों की ओर से किए दावों की बाबत जिनका आयोग द्वारा विरोध किया गया – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

**2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**

जसोला में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण करने की आरंभिक अनुमानित लागत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए प्राक्कलन के अनुसार 6.09 करोड़ रुपए थी और उन्हें 1.80 करोड़ रुपए की रकम अग्रिम रूप में दी गई थी। किन्तु प्रशासनिक कारणों से भवन का निर्माण नहीं किया जा सका। किन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उस समय तक चारदीवारी आदि के लिए 32.98 लाख रुपए उपगत किए थे। इसके पश्चात्, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा एन.बी.सी.सी. से नए सिरे से प्राक्कलन मांगे गए थे जिसमें एन.बी.सी.सी. ने निर्माण के लिए कम लागत कोट की थी। अतः, नया एस.एफ.सी. किया गया था और एन.बी.सी.सी. को कार्य सौंपा गया था। एन.बी.सी.सी. ने कार्य पूरा कर लिया और राष्ट्रीय महिला आयोग को फरवरी, 2016 में भवन सौंप दिया। एन.बी.सी.सी. को अभी भी 50,13,968/– रुपए की रकम भवन के निर्माण मद्धे संदेय है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से पहले ही यह अनुरोध किया गया है कि उन्हें संदत्त किए गए अग्रिम में से शेष 147.02 लाख रुपए की रकम का प्रतिदाय किया जाए।

**3. चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम**

चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम का मूल्य कारबार के सामान्य अनुक्रम में प्राप्तियों पर आधारित है, जो कि कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल रकम के समान है।

**4. कराधान**

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई कर–योग्य आय न होने के कारण आय कर के लिए उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

**5. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार**

5.1 सी.आई.एफ. आधार पर संगणित आयातों का मूल्यः

| | |
|---|---|
| तैयार माल का क्रय | शून्य |
| कच्ची सामग्री और संघटक(मार्गस्थ सहित) | शून्य |
| पूंजीगत माल | शून्य |
| भंडार, फालतू पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं | शून्य |

5.2 विदेशी मुद्रा में व्ययः

| | |
|---|---|
| (क) यात्रा | शून्य |
| (ख) वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किया गया धन– | |
| प्रेषण और ब्याज का भुगतान | शून्य |
| (ग) अन्य व्यय | शून्य |
| विक्रय कर कमीशन | शून्य |
| विधिक और वृत्तिक व्यय | शून्य |
| विविध व्यय | शून्य |

5.3 उपार्जनः

| | |
|---|---|
| एफ.ओ.बी. आधार पर निर्यातों का मूल्य | शून्य |

6. वित्तीय विवरणों का पेश किया जाना महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा दिए गए विहित हमारे आयोग को लागू प्ररूप पर आधारित है।

7. कर्मचारियों को मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान और संचित छुट्टी नकदीकरण फायदों मद्धे कोई दायित्व लेखा बहियों में नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वशासी निकाय है। इस संगठन के अपने स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। सभी कर्मचारी या तो केन्द्रीय सरकार और अर्ध सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर है या कुछ कर्मचारी आकस्मिक/संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोई उपदान/पेंशन संदेय नहीं है।

8. भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण करता है। मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों की संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है:–

| क्रम सं. | विशिष्टियां | योजना(रू.) | गैर-योजना(रू.) |
|---|---|---|---|
| 1. | वर्ष के आरंभ में खर्च न किया गया शेष अनुदान | 1,63,81,559 | 79,92,559 |
| 2. | वर्ष के आरंभ में खर्च न की गई नकदी शेष | –– | –– |
| 3. | अप्रयुक्त शेष डाक टिकटें | –– | 32,284 |
| 4. | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | 18,37,18,000 | 4,44,47,000 |
| 5. | वर्ष के अंत में अनुदान का अप्रयुक्त शेष(जिसमें विविध प्राप्तियां भी हैं) | 1,07,42,167 | 14,05,021 |
| 6. | वर्ष के अंत में खर्च न किया गया नकद शेष | –– | –– |
| 7. | अप्रयुक्त शेष डाक टिकटें | –– | 31,642 |

9. समरूप लक्ष्य और उद्देश्य रखने वाले गैर–सरकारी संगठनों आदि को दिए जाने वाले अनुदान/वित्तीय सहायता को हिसाब में लिया जा रहा है और उन्हें अनुदान/वित्तीय सहायता के समायोजन पर व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

10. अनुसूची 1 से अनुसूची 30 उपाबद्ध हैं, जो कि वर्ष 2016–17 के लिए तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा का अभिन्न भाग गठित करती हैं।

**वेतन एवं लेखा अधिकारी** **सदस्य-सचिव**

अध्याय-14

# लेखापरीक्षा रिपोर्ट

# राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय महिला आयोग(एन.सी.डब्ल्यू) की 31 मार्च, 2017 को यथा–विद्यमान संलग्न तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रबंधतंत्र का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन व्यवहार के संबंध में केवल सर्वोत्तम लेखा पद्धति के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–कार्यनिष्पादन पहलुओं, आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों के बारे में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक्–पृथक् प्रतिवेदित किया गया है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्यनिष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, जांच आधारों पर उन साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है जो वित्तीय विवरणियों में की रकमों और प्रकटनों का समर्थन करते हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

(i) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय/प्राप्तियां और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे वित्त मंत्रालय द्वारा विहित प्ररूप में तैयार किए गए हैं;

(iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समुचित लेखा बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों की हमारे द्वारा की गई परीक्षा से प्रकट होता है, सिवाय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध के बिन्दु 2(ङ) और 3(ग)।

(iv) हम इसके अतिरिक्त यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

**क. तुलनपत्र**

**क.1 दायित्वः**

**क.1.1 चालू दायित्व और प्रावधान (अनुसूची–7): 771.64 लाख रूपए**

**क.1.1.1** 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 121.47 लाख रुपए की खर्च न की गई अनुदान रकम मंत्रालय को प्रतिदेय नहीं दर्शाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों को कम दर्शाया गया है और पूंजीगत निधि में उतनी रकम अधिक दर्शाई गई है।

**क.1.1.2** राष्ट्रीय महिला आयोग के पास मार्च, 2017 में 5.85 लाख रुपए के बिल लंबित हैं जिसके लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक लेखे में कोई दायित्व सृजित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दायित्वों तथा व्यय खाते में उतनी रकम कम दर्शाई गई है।

**क.1.1.3** लेखाओं में उस वर्ष के लिए लेखापरीक्षा फीस के लिए प्रावधान नहीं किया गया था । इसी प्रकार, बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, जैसा कि लेखाओं के एकसमान प्ररूप और आई.सी.ए.आई. के ए.एस. –15 द्वारा अपेक्षित है।

**क.2 आस्तियां:**

**क.2.1 नियत आस्तियां (अनुसूची–8): 2068.59 लाख रूपए**

**क.2.1.1** वर्ष 2016–17 के दौरान 2.13 लाख रुपए के पूर्व अवधि के व्यय को पूंजीकृत किया गया है। इस राजस्व व्यय के पूंजीकरण के परिणामस्वरूप "नियत आस्तियों" तथा "पूंजीगत निधि" में उतनी रकम अधिक दर्शाई गई है।

**क.2.1.2** राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय फरवरी, 2016 में आई.टी.ओ. से जसोला स्थानांतरित किया गया था। तथापि, 6.24 लाख रुपए की नियत आस्तियां नए कार्यालय में अंतरित नहीं की गई थीं। इन मदों को नियत आस्तियों में से कम नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप "नियत आस्तियों" में अधिक राशि दर्शाई गई और "व्यय" में उतनी रकम कम दर्शाई गई।

**क.2.1.3** राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2016–17 के दौरान 0.34 लाख रुपए की नियत

आस्तियों का अर्जन किया, तथापि, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप नियत आस्तियों में उतनी रकम कम दर्शाई गई तथा पूंजीगत निधि में अधिक दर्शाई गई।

**क.2.2 चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम ( अनुसूची–11): 1438.74 लाख रूपए**

**क.2.2.1** 1.76 लाख रुपए मूल्य की वस्तु–सूची(उपभोज्य स्टाक) के अंत अतिशेष को तुलनपत्र की चालू आस्तियां (अनुसूची–11) में वस्तु–सूची के अधीन वर्णित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू आस्तियां कम दर्शाई गईं और व्यय को 1.76 लाख रुपए अधिक दर्शाया गया।

**ख. आय और व्यय**

**ख.1.1 अन्य आय (अनुसूची–18): 55.72 लाख रूपए**

तारीख 31 मार्च, 2017 तक पुराने चैकों को पुनः लिखने के कारण 7.15 लाख रुपए की रकम विविध आय के रूप में ली गई थी, तथापि, उसके लिए दायित्व का सृजन नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 'विविध आय' में अधिक रकम दर्शाई गई और 'दायित्व(लेनदार)' खाते में उतनी रकम कम दर्शाई गई ।

**ग. साधारण**

**ग.1** राष्ट्रीय महिला आयोग के बकाया दायित्व 378.23 लाख रुपए के थे, जो कि 2008–09 से 2015–16 तक की अवधि से लंबित हैं। ये इसलिए लंबित हैं क्योंकि प्रथम किस्तों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं। इन्हें यथाशीघ्र ठीक करने की आवश्यकता है।

**ग.2** मार्च, 2017 तक 1314.00 लाख रुपए की रकम के अग्रिम बकाया थे। इसमें से 767.05 लाख रुपए की रकम 2008–09 से 2015–16 तक की अवधि के लिए बकाया हैं। इन्हें यथाशीघ्र वसूल करने/समायोजित करने की आवश्यकता है।

**ग.3** पंजाब राज्य महिला आयोग को कानूनी जागरुकता कार्यक्रम (एल.ए.पी.) योजना शीर्ष के अधीन 5.00 लाख रुपए की रकम के अग्रिम मंजूर किए गए थे। तथापि, व्यय को अनुसूची 22 के अधीन योजना शीर्ष एल.ए.पी. की बजाय कानूनी जागरुकता कार्यक्रम–एन.ई.आर.(एल.ए.पी.–एन.ई.आर.) शीर्ष के अधीन डाला गया था। व्यय शीर्ष के इस गलत वर्गीकरण को ठीक करने की आवश्यकता है।

**घ. सहायता अनुदान**

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए प्राप्त सहायता अनुदान, व्यय और खर्च न किए गए अतिशेष का विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

(लाख रूपयों में)

| विशिष्टियां | योजना | गैर-योजना | कुल |
|---|---|---|---|
| प्राप्त अनुदान | 1837.18 | 444.47 | 2281.65 |
| पूर्व वर्ष की खर्च न की गई रकम | 162.81 | 79.93 | 242.74 |
| अन्य प्राप्तियां | 25.46 | 14.03 | 39.49 |
| कुल उपलब्ध निधियां | 2025.45 | 538.43 | 2563.88 |
| व्यय | 1918.03 | 524.38 | 2442.41 |
| वर्ष की समाप्ति पर खर्च न की गई रकम | 107.42 | 14.05 | 121.47 |

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास अंत अतिशेष 121.47 रुपए था ।

(v) हम, पूर्ववर्ती पैराओं में किए गए प्रेक्षणों के अधीन रहते हुए यह रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियों को लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पढ़ने और ऊपर कथित महत्वपूर्ण विषयों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन रहते हुए, वे भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप सही और ऋजु दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं ।

क. जहां तक उनका संबंध राष्ट्रीय महिला आयोग के 31 मार्च, 2017 तक के तुलनपत्र की स्थिति से है; और

ख. जहां तक उनका संबंध उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए घाटे संबंधी आय और व्यय लेखे से है ।

**भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से**

**स्थानः नई दिल्ली**
**तारीखः 19.9.2017**

**लेखापरीक्षा महानिदेशक**
**केन्द्रीय व्यय**

## उपाबंध

### 1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- राष्ट्रीय महिला आयोग की आंतरिक लेखापरीक्षा मानव संसाधन मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा खंड द्वारा मार्च, 2015 तक की गई थी।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

क. आयोग के गठन को 20 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भर्ती नियम विरचित नहीं किए गए हैं।

ख. प्रबंधतंत्र की कानूनी लेखापरीक्षा की आपत्तियों के संबंध में प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि 2009–10 से 2015–16 तक की अवधि के लिए 28 लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।

ग. राष्ट्रीय महिला आयोग के बकाया दायित्व 378.23 लाख रुपए के थे, जो कि 2008–09 से 2015–16 की अवधि से लंबित हैं। ये इसलिए लंबित हैं क्योंकि प्रथम किस्तों के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख किए जाने के बावजूद राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इन्हें ठीक नहीं किया गया था।

घ. वर्ष 2008–09 से 2015–16 तक की अवधि के लिए 767.05 लाख रुपए के अग्रिम बकाया हैं। इन्हें यथाशीघ्र वसूल करने/समायोजित करने की आवश्यकता है।

ङ. नियत आस्ति रजिस्टर और उपभोज्य वस्तु रजिस्टर में सभी वस्तुओं के विवरण नहीं दिए गए हैं। आस्तियों की अस्तित्व जांच समय पर नहीं की गई थी।

इन बातों को पूर्ववर्ती वर्ष की रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया है, किन्तु प्रबंधतंत्र द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अभी तक उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रकार, राष्ट्रीय महिला आयोग की आतंरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

### 3. आस्तियों की अस्तित्व जांच की पद्धति

क. आस्तियों की अस्तित्व जांच अक्तूबर, 2015 तक की गई है।

ख. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा रखे गए नियत आस्ति रजिस्टर में लेखे में दर्शाई गई सभी मदों के विवरण नहीं दिए गए थे और इस प्रकार लेखाओं में चित्रित नियत आस्तियों के मूल्य की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

ग. पुस्तकालय के अभिगमन रजिस्टर की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि अनेक पुस्तकों

के मूल्य की प्रविष्टि रजिस्टर में नहीं की गई थी और लेखापरीक्षा में पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के मूल्य का सत्यापन नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त, यह प्रतिवेदित किया जाता है कि:

(i) पुस्तकालय की पुस्तकों की अस्तित्व जांच फरवरी, 2015 में की गई थी, तथापि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्तित्व जांच रिपोर्ट का अनुमोदन अभी किया जाना है

(ii) उपर्युक्त अस्तित्व जांच से यह प्रकट हुआ था कि 625 पुस्तकें गुम हो गई थीं ।

(iii) 37 पुस्तकें वर्ष 1998 से 2014 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व सदस्यों को जारी की गई थीं, तथापि, वे पुस्तकें आज तक वापस नहीं लौटाई गई हैं।

(iv) 24 अभिगमन संख्यांकों की बाबत, पुस्तकों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था ।

अतः, राष्ट्रीय महिला आयोग के लेखाओं में दर्शाई गई पुस्तकों का मूल्य गुम हो गई पुस्तकों की सीमा तक सही नहीं था। इस बात को पूर्ववर्ती वर्ष की रिपोर्ट में भी प्रतिवेदित किया गया था किन्तु उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

**4. वस्तु-सूची की अस्तित्व जांच की पद्धति**

- वस्तु–सूची की अस्तित्व जांच मार्च, 2017 तक की गई है। तथापि पुस्तकालय की अस्तित्व जांच फरवरी, 2017 तक की गई है।
- उपभोज्य वस्तुओं का रजिस्टर भी इस प्रकार नहीं रखा गया है, जिससे उसमें सभी वस्तुओं के विवरणों का वर्णन हो।

**5. देयों के भुगतान में नियमितता**

- लेखाओं के अनुसार, कानूनी देयों की बाबत कोई भी छह मास से अधिक पुराना भुगतान मार्च, 2017 तक बकाया नहीं था।

अध्याय–15

# वर्ष 2016–17 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई

| क्रम सं. | लेखापरीक्षा पैरा | आयोग का उत्तर |
|---|---|---|
| क. | **तुलन पत्र** | |
| क.1<br><br>क.1.1<br><br>क.1.1.1 | **दायित्वः**<br>**चालू दायित्व और प्रावधान (अनुसूची–7) 771.64 लाख रूपए**<br>31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 121.47 लाख रुपए की खर्च न की गई अनुदान रकम मंत्रालय को प्रतिदेय नहीं दर्शाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों को कम दर्शाया गया है और पूंजीगत विधि में उतनी रकम अधिक दर्शाई गई है। | अनुपालन के लिए नोट कर लिया है। |
| क.1.1.2 | राष्ट्रीय महिला आयोग के पास मार्च, 2017 में 5.85 लाख रुपए से बिल लंबित हैं जिसके लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक लेखे में कोई दायित्व सृजित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दायित्वों तथा व्यय खाते में उतनी रकम कम दर्शाई गई है। | |
| क.1.1.3 | लेखाओं में उस वर्ष के लिए लेखा–परीक्षा फीस के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, जैसा कि लेखाओं के एकसमान प्ररूप और आई. सी.ए.आई. के ए.एस.–15 द्वारा अपेक्षित है। | वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कार्रवाई की जाएगी। |
| क.2. | **आस्तियां** | |
| क.2.1.1 | **नियत आस्तियां (अनुसूची–8) 2068.59 लाख रूपए**<br>वर्ष 2016–17 के दौरान 2.13 लाख रुपए (वर्ष 2013–14 के दौरान संपत्ति कर के रूप में संदत्त 1.22 लाख रुपए और विज्ञापन प्रभारों के रूप में संदत्त 0.91 लाख रुपए) के पूर्व अवधि के व्यय को पूंजीकृत किया गया है। इस राजस्व व्यय के पूंजीकरण के परिणामस्वरूप "नियत आस्तियों" तथा "पूंजीगत निधि" में उतनी रकम अधिक दर्शाई गई है। | वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवश्यक सुधार किया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| **क.2.1.2** | राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय फरवरी, 2016 में आई.टी.ओ. से जसोला स्थानांतरित किया गया था। तथापि 6.24 लाख रुपए की नियत आस्तियां नए कार्यालय में अंतरित नहीं की गई थीं। इन मदों को नियत आस्तियों में से कम नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप "नियत आस्तियों" में अधिक राशि दर्शाई गई और "व्यय" में उतनी रकम कम दर्शाई गई। | |
| **क.2.1.3** | राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2016–17 के दौरान 0.34 लाख रुपए की नियत आस्तियों का अर्जन किया, तथापि, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप नियत आस्तियों में उतनी रकम कम दर्शाई गई तथा पूंजीगत निधि में अधिक दर्शाई गई। | |
| **क.2.2.1** | **चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम (अनुसूची–11) 1438. 74 लाख रूपए**<br>1.76 लाख रुपए मूल्य की वस्तु–सूची(उपभोज्य स्टाक) के अंत अतिशेष को तुलनपत्र की चालू आस्तियां (अनुसूची–11) में वस्तु–सूची के अधीन वर्णित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू आस्तियां कम दर्शाई गईं और व्यय को 1.76 लाख रुपए अधिक दर्शाया गया। | अनुपालन के लिए नोट कर लिया है। |
| **ख** | **आय और व्यय** | |
| **ख.1.1** | **अन्य आय (अनुसूची–18) 55.72 लाख रूपए**<br>तारीख 31 मार्च, 2017 तक पुराने चैकों को पुनः लिखने के कारण 7.15 लाख रुपए की रकम विविध आय के रूप में ली गई थी, तथापि, उसके लिए दायित्व का सृजन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'विविध आय' में अधिक रकम दर्शाई गई और 'दायित्व(लेनदार)' खाते में उतनी रकम कम दर्शाई गई। | अनुपालन के लिए नोट कर लिया है। |

| ग. | साधारण | |
|---|---|---|
| ग.1 | राष्ट्रीय महिला आयोग के योजना और गैर–योजना के लिए पृथक्–पृथक् बैंक खाते नहीं हैं, जिसके अभाव में, लेखाओं में दर्शाए गए 'अर्जित ब्याज' तथा 'योजना' और 'गैर–योजना' शीर्ष के अधीन चालू और बन्द बैंक अतिशेष को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। | चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात्, 2017–18 से योजना और गैर–योजना के बीच भेद समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, गैर–योजना और योजना शीर्ष के लिए पृथक् बैंक खातों की आवश्यकता नहीं है। |
| ग.2 | राष्ट्रीय महिला आयोग के बकाया दायित्व 378.23 लाख रुपए के थे, जो कि 2008–09 से 2015–16 की अवधि से लंबित हैं। ये इसलिए लंबित हैं क्योंकि प्रथम किस्तों के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं। इन्हें यथाशीघ्र ठीक करने की आवश्यकता है। | बकाया दायित्वों को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और संबंधित व्यक्ति/संगठनों को अनुस्मारक जारी किए गए हैं। की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण लेखापरीक्षा विभाग को भेज दिया गया है। |
| ग.3 | मार्च, 2017 तक 1314.00 लाख रुपए की रकम के अग्रिम बकाया थे। इसमें से 767.05 लाख रुपए की रकम 2008–09 से 2015–16 तक की अवधि के लिए बकाया हैं। इन्हें यथाशीघ्र वसूल करने/समायोजित करने की आवश्यकता है। | |
| ग.4 | पंजाब राज्य महिला आयोग को कानूनी जागरुकता कार्यक्रम (एल.ए.पी.) योजना शीर्ष के अधीन 5.00 लाख रुपए की रकम के अग्रिम मंजूर किए गए थे। तथापि, व्यय को अनुसूची 22 के अधीन योजना शीर्ष एल.ए.पी. की बजाय कानूनी जागरुकता कार्यक्रम–एन.ई.आर.(एल.ए.पी.–एन.ई.आर.) शीर्ष के अधीन डाला गया था । व्यय शीर्ष के इस गलत वर्गीकरण को ठीक करने की आवश्यकता है। | वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ठीक कर दिया जाएगा। |

**********

# उपाबंध

**उपाबंध–I**

# राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना

वर्ष 2016–2017 के दौरान आयोग की संरचना निम्नलिखित थीः

1. श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, तारीख 29 सितंबर, 2014 से
2. श्रीमती लालडिंगलानी सैलो, सदस्य, तारीख 19 सितंबर, 2013 से 18 सितंबर, 2016 तक
3. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, तारीख 6 अगस्त, 2015 से
4. सुश्री सुषमा साहू, सदस्य, तारीख 17 अगस्त, 2015 से
5. श्री आलोक रावत, सदस्य, तारीख 20 अगस्त, 2015 से
6. श्रीमती सतबीर बेदी, सदस्य–सचिव, तारीख 25 जनवरी, 2017 से

इस समय आयोग की सहायता लघु सचिवालय द्वारा की जा रही है और छह क्रियाशील प्रकोष्ठ आयोग को निर्दिष्ट कृत्यों के विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहे हैं। ये प्रकोष्ठ निम्नलिखित हैं:

उपाबंध-II

## संगठनात्मक चार्ट

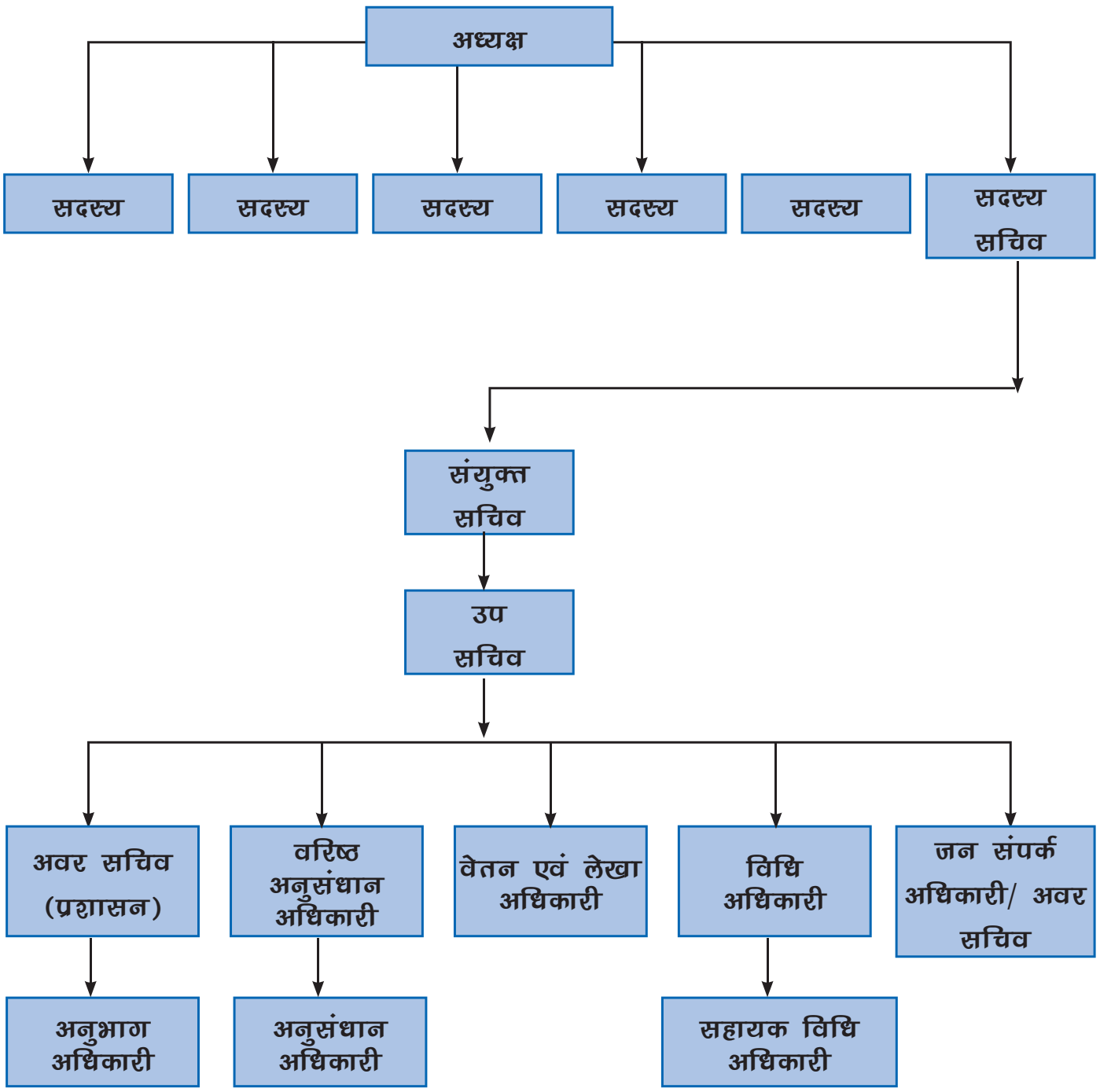

**उपाबंध–III**

# राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार किए गए विषय

**तारीख 20 मई, 2016 को आयोजित बैठक**

1. विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न संस्थानों/राज्य महिला आयोगों से प्राप्त नौ ई–प्रस्तावों का अनुसमर्थन किया गया। आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि और अधिक राज्य महिला आयोगों को विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

2. मेघालय राज्य महिला आयोग के सहयोग से आयोग द्वारा आयोजित ''अकेली महिलाओं के मुद्दों'' पर सेमिनार आयोजित करने के प्रस्ताव का अनुसमर्थन।

3. सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2014 की प्रस्तावित/सुझाई गई सिफारिशों का अनुमोदन।

4. ''वैवाहिक क्रूरता और भारतीय दंड सहिता की धारा 498–क'' पर राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट का अनुसमर्थन।

5. ''अगम्य तक पहुंच उड़ीसा की जेलों में सजा भुगत रही माताओं के बालकों की स्थिति'' पर अनुसंधान अध्ययन का अनुमोदन।

6. संसाधन विकास अध्ययन केन्द्र, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश को एक वर्ष की अवधि के अध्ययन के लिए 10,33,500 रूपये के कुल बजट का अनुसमर्थन।

7. पूर्वोत्तर अध्ययन और नीति अनुसंधान केन्द्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली को एक वर्ष की अवधि के अध्ययन के लिए 7,92,750 रूपये के कुल बजट का अनुसमर्थन।

8. जेपियर इंजीनियरिंग महाविद्यालय, प्रबंधन अध्ययन विभाग, चेन्नई, तमिलनाडू को एक वर्ष की अवधि के अध्ययन के लिए 8,58,000 रूपये को कुल बजट का अनुसमर्थन।

9. तारीख 15 अक्तूबर, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में यू. एन. महिला और यूएनएफपीए के तकनीकी समर्थन से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित ''सरोगसी मुद्दों'' पर राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट का अनुमोदन।

10. तारीख 2 दिसंबर, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिव्यांग महिलाओं के लिए अवसरों के विस्तार पर परामर्शी बैठक की रिपोर्ट का अनुमोदन।

11. पूर्वोत्तर महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन और यह विनिश्चय किया गया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में से किसी एक में आरंभिक परियोजना प्रारंभ की जाए।

**तारीख 6 जुलाई, 2016 को अयोजित बैठक**

1. तारीख 7–8 अप्रैल, 2016 को विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर उपगत व्यय का अनुसमर्थन।

2. पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर राज्यों में की महिलाओं सामजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण पर विशेषज्ञ समिति के अधीन उप–समिति की बैठक आयोजित करने पर उपगत व्यय का अनुसमर्थन।

3. केरल महिला आयोग द्वारा ''केरल में अकेली माताओं'' पर अनुसंधान अध्ययन का अनुसमर्थन।

4. मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान (न्यूरो साइंस) (एनआईएमएचएएनएस) बंगलौर, कर्नाटक द्वारा ''भारत में मनोचिकित्सा संस्थाओं में भर्ती महिलाओं की चिन्ता को दूर करने से संबंधित एक गहन विश्लेषण'' पर अध्ययन की रिपोर्ट का अनुमोदन।

5. आयोग ने जांच रिपोर्ट की निम्नलिखित विषय–वस्तु पर विचार किया:

   (i) मोती बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मीडिया रिपोर्ट का शीर्षक ''बालिका गर्भवती पाई गई, गृह कर्मचारीवृन्द निलंबित''

   (ii) मीडिया रिपोर्ट का शीर्षक ''उत्तर प्रदेश के नेता के पुत्र द्वारा अभिकथित बलात्संग के पश्चात् चौथी बार–गिरफ्तार होने के पश्चात् दलित महिला की मृत्यु''।

   (iii) मीडिया रिपोर्ट का शीर्षक ''बिहार में 21 वर्ष की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग, गुप्त अंगों में वस्तुएं घुसेड़ी गई''।

**तारीख 23 अगस्त, 2016 को अयोजित बैठक**

1. ''निर्वाचित महिलाओं के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने'' की बाबत प्रस्ताव का अनुमोदन।

2. ''निर्वाचित महिला पंचायत नेताओं का क्षमता निर्माण: धारण का सबूत–राजस्थान'' के लिए 31,32,745 रूपये का अनुमोदन।

3. ''दिल्ली में विमुक्त और खानाबदोश समुदायों की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति'' पर रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार किया गया।

4. ''बिहार में सुपाल जिले के ग्रामों में महिला साक्षरता का प्रभाव'' पर अनुसंधान अध्ययन के लिए आर्थिक विकास न्यास दिल्ली को 48,090 रूपये की शेष रकम का उन्मोचित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

5. महिलाओं के लिए प्रारूप राष्ट्रीय नीति, 2016 पर प्रादेशिक परामर्शों में उपस्थित रहने वाले आयोग के सदस्य/कर्मचारीवृन्दों द्वारा उपगत व्यय का अनुसमर्थन।

6. ''राजस्थान में दलित महिलाओं के साथ हिंसा'' पर अनुसंधान अध्ययन के लिए कुन्दन कल्याण सोसाइटी, गुड़गांव को 1,16,550 रूपये की शेष रकम को उन्मोचित करने का अनुमोदन।

7. निम्नलिखित जांच समिति की रिपोर्टों का अनुमोदनः–

   (i) मीडिया रिपोर्ट ''ससुराल वालो द्वारा गालियों के साथ टेटू बनाना''

   (ii) मीडिया रिपोर्ट ''लड़के ने प्रधानमंत्री को लिखा बलात्संग करने वालों को दंडित करें''।

   (iii) मीडिया रिपोर्ट ''सरकारी अस्पताल हरियाणा में मानसिक रूप से पीड़ित लड़की के साथ बलात्संग''।

8. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने का अनुमोदन।

9. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेमिनार, कार्यशाला और सम्मेलन करने के प्रस्तावों का अनुमोदन।

10. ''हिंसा मुक्त घर–महिला का अधिकार'' के लिए अनुवीक्षण समिति स्थापित करने का अनुमोदन।

11. स्क्रीनिंग समिति की बैठकों द्वारा सेमिनार/कार्यशाला और सम्मेलन करने और सिफारिश किए गए अनुसंधान और अध्ययनों के लिए ऑन लाइन प्रस्तावों का अनुमोदन।

**तारीख 28 नवम्बर, 2016 को अयोजित बैठक**

1. अमृत विश्व विद्यापीठम (विश्वविद्यालय), तमिलनाडू द्वारा ''महिला प्रधान परिवारों में अपनी जिम्मेदारी को कार्यान्वित करने में सामने आने वाले मुद्दों और कठिनाइयों'' पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए अनुमोदन का अनुसमर्थन।

2. उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा द्वारा ''संगठित सेक्टर में महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधाः उड़ीसा में उच्चतर शिक्षा के पब्लिक और प्राइवेट संस्थानों का तुलनात्मक विश्लेषण''

पर अनुसंधान अध्ययन के लिए 9,08,250 रूपयें के बजट का अनुमोदन।

3. अमृत विश्व विद्यापीठम (विश्वविद्यालय), तमिलनाडू द्वारा ''तमिलनाडू में घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम के अधीन संरक्षण अधिकारियों की दक्षता को प्रभावित और सुकर बनाने के आयामों'' पर अनुसंधान अध्ययन के लिए 7,71,750 रूपये के बजट का अनुमोदन।

4. कार्वे समाज विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा ''लिंग (जेंडर) आधारित हिंसा का निवारण करने के लिए पीआरआई की भूमिका में निर्वाचित महिलाओं की भूमिका का परीक्षणः पश्चिमी महाराष्ट्र का अनुभव'' पर अनुसंधान अध्ययन में की गई प्रगति पर विचार किया गया और शेष रकम को उन्मोचित करने का अनुमोदन किया गया।

5. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा ''पूर्वी उत्तर प्रदेश की जेलों में महिला कैदियों और उनके बालकों'' पर अनुसंधान अध्ययन की रिपोर्ट को और शेष रकम के संदाय को उन्मोचित करने को स्वीकार किया गया।

6. नेशनल लां स्कूल ऑफ इंडिया (विश्वविद्यालय), बेंगलुरू, कर्नाटक द्वारा ''अशक्तता के साथ महिलाओं के प्रजनन अधिकारः कानून और प्रथा'' पर अनुसंधान अध्ययन के लिए 10,26,060 रूपये के बजट का अनुमोदन किया गया।

7. भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद द्वारा ''उड़ीसा में महिलाओं और लड़कियों के पारिस्थितिक विश्लेषण पर एक अध्ययन'' पर रिपोर्ट को और शेष संदाय को निर्मोचित करने को स्वीकार किया गया।

8. केरल महिला आयोग तिरूवंथपुरम, केरल द्वारा ''केरल में अकेली माताओं'' पर अनुसंधान के लिए 24,66,187 रूपये के बजट का अनुमोदन किया गया।

9. भारतीय स्त्री शक्ति, मुम्बई द्वारा लिंग (जेंडर) सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्मार्ट सिटी पर सेमिनार के लिए 4,95,000 रूपये का पुनरीक्षित बजट का अनुमोदन किया गया।

10. ''बालगृह (क्रेच) पर राष्ट्र नीति बनाने'' के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुमोदन किया गया।

11. सर्वजानिक भारतीय प्रशासनिक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा ''कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना करने वाले अवरोधः दिल्ली में सेवा सेक्टर का एक विश्लेषण'' पर अनुसंधान रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और शेष संदाय को निर्मोचित करने का अनुमोदन किया गया।

12. वर्ष 2016–17 के प्रचार अभियान के लिए 4,30,28,765 रूपये की रकम का अनुमोदन किया गया।

13. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के स्वाधार गृहों में विधवाओं की स्थिति पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

14. ''महिलाओं और बालकों को परामर्श देने की इकाइयों के लिए विशेष पुलिस इकाई का मूल्यांकन (एसपीयूडब्ल्यूएसी), दिल्ली पुलिस'' की अध्ययन रिपोर्ट को और शेष संदाय को निर्मोचित करने को स्वीकार किया गया।

**तारीख 27 जनवरी, 2017 को अयोजित बैठक**

1. पूर्वोत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 32 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 38.40 लाख रूपये के व्यय का अनुमोदन किया गया।

2. कुल मिलाकर आयोजित की गई 66 विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 66.00 लाख रूपये के व्यय का अनुमोदन किया गया।

3. अगस्त 2016 से नवंबर, 2016 के बीच देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित जन सुनवाई पर विचार किया गया।

4. भारतीय अनुसंधान और विकास संस्थान (बीआईआरडी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा ''प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन'' पर अनुसंधान अध्ययन के लिए 7,02,450 रूपये की रकम को निर्मोचित करने का अनुमोदन किया गया।

5. धारा, बोकारो, झारखंड द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययन के लिए 49,980 रूपये की रकम का निर्मोचन करने का अनुमोदन किया गया।

6. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी, क्षेत्र (एनसीआर) में के प्राइवेट अस्पतालों में तैयारी और प्रवर्तन के स्तर का अध्ययन'' पर अनुसंधान अध्ययन के लिए 9,84,900 रूपये की रकम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

7. ''राजस्थान में महिला किसानों की भूमिका और स्थिति'' पर अनुसंधान अध्ययन पर अंतिम रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

8. ''ग्रामीण आन्ध्र प्रदेश में मद्यपान के कारण महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में बढ़ोत्तरीः चित्तूर जिले का मामला'' पर अनुसंधान अध्ययन पर अंतिम रिपोर्ट का और 77,385 रूपये के शेष संदाय के निर्मोचन का अनुमोदन किया गया।

9. ग्रामीण मुकदमा और हकदारी केन्द्र (आरएलईके), देहरादून, उत्तराखंड द्वारा ''पर्यावरण को बनाए रखने के लिए रूढ़िगत प्रथा का दस्तावेजीकरणः हिमालय के क्षेत्र में रहने वाली जनजाति पहाड़ी महिलाओं की पुकार'' पर अनुसंधान अध्ययन करने के लिए 6,56,250 रूपये की रकम का अनुमोदन किया गया।

10. बालगृह (क्रेच) पर राष्ट्रीय नीति की विशेषज्ञ समिति की ''राष्ट्रीय बालगृह (क्रेच) नीति के लिए एक दृष्टिकोण'' रिपोर्ट के विस्तार पर विचार किया गया।

**तारीख 17 मार्च, 2017 को अयोजित बैठक**

1. कैलाशलिंगम विश्वविद्यालय, आनन्द नगर, कृष्णनकोली, विरूधूनगर, तमिलनाडु द्वारा ''महिलाओं के व्यवहार पर भारतीय धारावाहिक का असर तमिलनाडु और केरल में एक तुलनात्मक अध्ययन'' पर अनुसंधान अध्ययन के लिए 9.03 लाख रूपये के कुल बजट का अनुमोदन किया गया।

2. राष्ट्रीय संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज (एनआईआरडी और पीआर) हैदराबाद को 2,18,25,540 रूपये के कुल बजट का अनुमोदन किया गया।

3. ''देवदासी और इससे संबंधित दुष्कृत्यों के रूप में महिलाओं का शोषण'' पर अध्ययन के लिए मद्रास विश्वविद्यालय को 1,40,580 रूपये शेष संदाय को निर्मोचित करने के लिए अनुमोदन किया गया।

**********

**राष्ट्रीय महिला आयोग**

प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया–110025

http://www.ncw.nic.in